Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 27-11-2006
Participants : Tripathy Shri Braja Kishore,Badnore Shri Vijayendra Pal Singh,Dikshit Shri Sandeep,Tytler Shri Jagdish,Hussain Shri Syed Shahnawaz ,Mehta Shri Bhubneshwar Prasad,Sajjan Kumar Shri ,Sibal Shri Kapil,Singh Kunwar Rewati Raman,Tirath Smt. Krishna,Singh Shri Rajiv Ranjan,Yadav Shri Devendra Prasad,Geete Shri Anant Gangaram,Reddy Shri Sudini Jaipal ,Malhotra Prof. Vijay Kumar,Mollah Shri Hannan

>

Title : Discussion regarding situation arising out of on-going sealing drive in Delhi.

MR. SPEAKER: Hon. Members, the House will now take up the Short Duration Discussion under Rule 193 on the situation arising out of the ongoing sealing drive in Delhi. As the Members are aware, these are matters concerning very large number of people as also their properties and businesses and the hon. Supreme Court is seized of the matter. As per established practice, any matter which is under adjudication by a court of law is not generally discussed on the floor of the House. However, in view of the fact that the rules governing Short Duration Discussion do not specifically bar discussion on *sub judice* matters and that the subject matter we are now going to take up is of great public importance, I have allowed the discussion.

At the same time, I earnestly request the hon. Members to be objective in their expression and on the subject. I am sure the hon. Members will not say anything which may amount to casting any reflection on the hon. Supreme Court, which is entitled to highest respect from us.[r21]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैम्बर्स कुछ नहीं कहेंगे। केवल स्पीकर साहब ही उसके बारे में कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: हमने संविधान के बारे में बोला है।

…(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन जो ज्यूडिशियल सिस्टम है, उस पर तो चर्चा कर सकते हैं।…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, so far as my little knowledge goes, the Supreme Court itself has said: "You are entitled to make comments on the judgement, even criticize a judgement, but not the Judge or the Judiciary."

SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN' : But, we can discuss about the judicial system. …(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Let us start as objectively as possible. It is of great public interest because of the number of people. Here is the Law Minister. He will keep watch over the situation, I know. I have read his views today.

… (*Interruptions*)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : अध्यक्ष महोदय, आपने अपने प्रारंभिक सम्बोधन में ठीक ही कहा कि आज दिल्ली में जो सीलिंग चल रही है. उससे लगभग सात लाख दुकानदार और 30 लाख लोग जो उन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन 37 लाख लोगों के भविय पर प्रश्न चिह्न ख़ड़ा हो गया है। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया है। ये सारी परिस्थितियां एमसीडी और डीडीए के कुप्रबन्धन के कारण पैदा हुई हैं। उनके मिसमैनेजमैंट और सरकार की अदूरदर्शिता के कारण ऐसा हुआ है क्योंकि सरकार ने इस दिशा में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया। आज प्रतिदिन दिल्ली की आबादी बढ़ रही है। दिल्ली की आबादी प्रतिदिन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति वार्िक औसत आय लगभग 47 हजार 400 रुपये है जबकि पूरे देश का वार्िक औसत आय लगभग 19 हजार रुपये है इसलिए दिल्ली की आबादी बढ़ रही है। जब दिल्ली शहर की आबादी बढ़ती है, तो कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं जैसे बिजली, सड़क, यातायात, पानी आदि। इसी तरह प्रति परिवार को रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए दुकानों पर जाना पड़ता है। इन सारी व्य़वस्थाओं की जिम्मेदारी एमसीडी और डीडीए की है लेकिन वे इसमें पूरी तरह से फेल हुए है। उसी का परिणाम है कि आज दिल्ली में सीलिंग का काम चल रहा है। अब सीलिंग की परिस्थिति एमसीडी और डीडीए के फेल्य़ोर से कैसे पैदा हुई है? जिन दुकानदारों की दुकानों पर सीलिंग लगाई जा रही है, वे दुकानदार 35-40 वर्ों से अपनी दुकानें चला रहे हैं। एमसीडी ने उनको दुकानों के लाइसेंस निर्गत किए हुए हैं। एमसीडी द्वारा उन दुकानदारों से 35-40 वर्ों से म्युनिसिपल टैक्स, इलैक्ट्रीसिटी टैक्स आदि कई टैक्स कमर्शियल रेट पर लिये जा रहे हैं। सरकार ने इसको कई बार वहां स्वीकार किया है, लेकिन सरकार उसे आज डिफेंड नहीं कर पा रही है। आज सरकार उनका बचाव नहीं कर पा रही है। इसका कारण है यह है कि जब 1962 में सबसे पहला दिल्ली का मास्टर प्लान निकला, उस प्लान में जो प्रावधान किया गया था, उसमें करीब-करीब 75 डिस्ट्रिक्ट सैंटर्स, 300 कम्युनिटी सैटर्स और 1250 स्थानीय शापिंग सैंटर्स के निर्माण का लक्ष्य था। उस मास्टर प्लान के लक्ष्य में से इन्होंने मात्र 9 डिस्ट्रिक्ट सैंटर्स, 135 कम्युनिटी सैंटर्स और 135 लोकल शापिंग सैंटर्स का टारगेट ही एचीव किया। उन्होंने उसका केवल 16 परसेंट लक्ष्य ही एचीव किया। 1962 के बाद 1981 में दिल्ली का दूसरा मास्टर प्लान बनना था लेकिन वह मास्टर प्लान नौ वर्ों बाद यानी 1990 में आया। उस मास्टर प्लान के लक्ष्य को भी ये आज तक पूरा नहीं कर पाये। उसके बाद वर्ा 2001 में इनका तीसरा मास्टर प्लान आना था लेकिन उस मास्टर प्लान पर हम वर्ा 2005 में चर्चा कर रहे हैं। जो मास्टर प्लान 2001 में आना था, उसके पांच साल बाद वे उस पर आब्जेक्शन्स इन्वाइट कर रहे हैं। …(व्यवधान) [MSOffice22]

MR. SPEAKER: Properties of so many people are involved. Let us do it seriously.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : इसलिए जो मास्टर प्लान वर्ा 2001 में लाना चाहिए था, उसे आज तक नहीं लाया गया है। इस सीलिंग को रोकने का एकमात्र तरीका वही था। वर्ा 2001 के मास्टर प्लान में अगर आपने उन सारी जगहों को रेगुलराइज किया होता और उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा होता तो आज यह परिस्थिति पैदा नहीं होती। हमें याद है कि जब 9 सितम्बर और फिर उसके परसुएशन में 15 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किए गए, उस समय भी इस सदन में चर्चा हो रही थी। उस

समय भी श्री विजय मल्होत्रा जी एवं अन्य माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया था कि आज आप जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, उससे दिल्ली की सीलिंग का कोई समाधान निकलने वाला नहीं है, आप मास्टर प्लान बनाइए। आपने उस समय सारी आशंकाओं को निर्मूल बताया था। उस समय भी माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हम इसे रोकने के लिए सक्षम है। इन्हीं दोनों डेफिनिशन्स के आधार पर हम लोग इसे रोकने के लिए सक्षम हैं। लेकिन आप सीलिंग को नहीं रोक पाए, निरीह बनकर खड़े रहे क्योंकि एमसीडी और डीडीए को जो करना चाहिए था, उन्होंने वह नहीं किया। इसीलिए आज यह स्थिति पैदा हुई है। 35-40 लाख लोग सालों से कॉमर्शियल रेट्स पर टैक्स दे रहे हैं। आज जो 37 लाख लोगों के भविय का स वाल खड़ा हो गया है, यह जो सारी परिस्थिति पैदा हुई है, उसके निराकरण के लिए भारत सरकार को जो करना चाहिए था, वह नहीं किया गया। जब उस समय हम लोगों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि आप जो दो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट यह समझेगा कि ये नोटिफिकेशन हमारी कार्यवाही में दखलंदाजी करने के लिए जारी किए गए हैं। उस समय उन आशंकाओं को शहरी विकास मंत्री जी ने नकार दिया था और यह कहा था कि ये आशंकाएं सही साबित नहीं होंगी। लेकिन आज वही आशंका सही साबित हो रही है, आपके दोनों नोटिफिकेशन आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको लागू करने पर रोक लगा दी है। सरकार मास्टर प्लान सामने रख सकती थी, लेकिन आज सरकार कमजोर है। अगर कोई सरकार अपने 37 लाख लोगों को भुखमरी और कंगाली की कगार पर खड़ा करने से नहीं रोक सकती है तो उस सरकार को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।

महोदय, संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान है। इन तीनों की रेखाएं निर्धारित हैं कि किसे किस रेखा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसे कार्यान्वित करना और न्यायपालिका का काम है उसकी समीक्षा करना। लेकिन आज लक्ष्मण रेखा को लांघा जा रहा है। आज ऐसा सरकार की कमजोरियों के कारण हो रहा है। हम जनता के प्रति एकाउण्टेबल हैं। पांच वर्ों बाद हम जनता के बीच जाते हैं, अपनी परफार्मेंस के आधार पर जनता के बीच जाते हैं। सरकार जो एक्जीक्युटिव बनाती है और एक्जीक्युटिव की प्रधान है, वह एकाउण्टेबल है, वह पांच वर्ा पर जनता के बीच जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 65 साल तक एकाउण्टेबल नहीं होते हैं। एक बार आने के बाद 65 वर्ों तक उनकी कोई एकाउण्टेबिल्टी नहीं होती है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं एक बयान पढ़ा। आप अभी कह रहे थे कि लॉ मिनिस्टर डिफेन्स में खड़े हैं। कल उनका एक बयान पढ़ने का मिला जो उन्होंने किसी सम्मेलन में व्यक्त किया था। उसमें बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने डिफेन्ड किया। हम लोगों को याद है कि कुछ दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया का एक बयान अखबारों में आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी गलत निर्णय हो जाते हैं, लेकिन वही निर्णय अन्तिम होता है। जिस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश, देश का प्रधान न्यायाधीश यह कहता है कि हम भी गलत करते हैं, लेकिन हम ही अन्तिम हैं, इसके बाद कोई नहीं है, वह व्यवस्था देश को बहुत खतरनाक स्थिति की ओर ले जाएगी। एकाउण्टेबिल्टी हर आदमी की है, प्रजातंत्र में एकाउण्टेबिल्टी होनी चाहिए और जुडिशियल एक्टीविज्म के नाम पर ...(कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द ठीक नहीं है, That word will be deleted.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : इसीलिए अध्यक्ष महोदय, आज यह परिस्थिति पैदा हुई है। एक बार इस देश को उनकी एकाउंटेबिलिटी की समीक्षा करने का समय मिला था। उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट आया था और इसी सदन में आया था। सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने भ्रटाचार का आरोप उस समय प्रमाणित पाया था। जब यहां इम्पीचमेंट पर बहस शुरू हुई थी, तब जार्ज फर्नांडीज साहब ने, जो लोक सभा के सदस्य थे, उस चर्चा में हिस्सा लिया था। हम लोग उस समय एक राजनीतिक दल के साधारण कार्यकर्ता थे और हमें यहां आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन हमनें उस बहस को देखा था।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): उस समय हिस्टॉरिक स्पीच हुई थी।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : उस समय सदन में इम्पीचमेंट पर बहस हुई थी और उनकी तरफ से बहस की थी - श्री कपिल सिब्बल ने। उस समय ये भ्रटाचार के पक्ष में खड़े थे एक वकील की हैसियत से खड़े थे। सारी बहस के बाद कपिल सिब्बल जी को इस सदन ने सुना था। उनकी बहस धराशाई हो गई थी, लेकिन जब मतदान का सवाल आया तो कांग्रेस पार्टी ने भ्रटाचार के पक्ष में वोट दिया था।

अध्यक्ष महोदय: एबस्टेशन किया था।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : मतलब वही है कि छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने भ्रटाचार का समर्थन किया था, मौन समर्थन किया था। उसका ही परिणाम है कि आज वे यह समझते हैं कि हमारी कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र के लिए यह बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है।

कल जिस तरह से कानून मंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर इसे डिफेंड किया कि उनके भ्रटाचार पर निगरानी करने के लिए कोई गैर-सरकारी व्यक्ति वहां नहीं आ सकता, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, कानून मंत्री जी कह रहे हैं कि उन पर कोई अंकुश नहीं है - यह एक प्रकार से निरंकुशता है और प्रजातंत्र के अंदर कोई भी व्यवस्था निरंकुश नहीं होती।

दिल्ली में आज जो अव्यवस्था पैदा हुई है, चाहे कार्यपालिका की वजह से हो या अन्य वजह से, कुछ लोग उस लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। विधायिका कोई कानून बनाती है, तो सरकार या कार्यपालिका का काम उसे लागू करना होता है। लेकिन यहां जो आज कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है, उसे कौन देखेगा। यह न्यायपालिका का काम नहीं है। उसका काम है कि हमने जो कानून बनाया, वह सही या गलत, इसे देखे। लेकिन कानून कैसे लागू किया जाएगा, यह देखना कार्यपालिका का काम है।

मेरा आरोप है कि केन्द्र सरकार आज एक कमजोर सरकार है। आज कार्यपालिका कमजोर हो गई है और उसी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सचेत हों। यह 37 लाख लोगों के भविय पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उनके भविय का सवाल है। अगर पूरी मजबूती से सदन आपको अधिकार देता है तो पूरी मुस्तैदी के साथ आप खड़े हों। इस देश में यह संसद और यह सदन सर्वोच्च संस्था है।

मैं सरकार से अपील करते हुए दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। आज आवश्यकता इस बात की है कि 2001 के मास्टर प्लान का तत्काल आप ड्राफ्ट तैयार करें, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और इन सभी को आप रेग्युलराइज करें। इसलिए 31 दिसम्बर, 2005 तक की यथास्थिति को बरकरार रखते हुए आप मास्टर प्लान तैयार करें।

सरकार के अनुसार दिल्ली में जो 1400 अनाधिकृत कालोनीज हैं, उन्हें भी रेग्युलेराइज करने का प्रावधान किया जाए। आपने पूर्व में यह किया भी है, डीडीए के फ्लैट्स में किया है। जिन लोगों ने अतिक्रमण करके अनधिकृत निर्माण किया था, डीडीए और एमसीडी ने उसे रेग्युलराइज किया है। उसके लिए आपने उन लोगों से कुछ फाइन लिया था। इसी तरह से आप इन्हें भी रेग्युलराइज करें। भविय में इस कानून को कोई न तोड़ें और इस तरह की व्यावसायिक कार्यवाही न हो, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए।[R23]

अध्यक्ष महोदय, आप भी ऐसे मामलों में स्टेंड लेते हैं। इस मामले में 37 लाख लोगों के भविय का सवाल है। आप सख्ती से स्टेंड लीजिए, पूरा सदन आपके साथ खड़ा है।

अध्यक्ष महोदय: हमें यहां बैठना होता है, खड़ा होना नहीं होता।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' जब सब लोग छोड़े देते हैं तब हम लोग आपके साथ खड़े रहते हैं।

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली) अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। आज आप एक ऐसी समस्या पर चर्चा करा रहे हैं जिसमें न सिर्फ 35 और 37 लाख लोगों का सवाल है बल्कि जिस सवाल पर दिल्ली की एक करोड़ से ज्यादा आबादी चिंतित है। माननीय न्यायाधीश के आदेश से दुकानें बंद करने का कार्य चला, सिलिंग हुई, हजारों दुकानों को बंद कर दिया गया। उनमें काम करने

वाले कर्मचारी और मजदूर बेकारी के कगार पर आकर खड़े हो गये। इस पर पहले भी चर्चा हुई और सदन ने अपने विचार व्यक्त किये। अभी मेरे दोस्त 1962 और 1981 के मास्टर प्लान के बारे में जिक्र कर रहे थे। आज पुनः मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि सन् 2001 में जो मास्टर प्लान आना था उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? एनडीए की सरकार उस समय बैठी हुई थी और बीजेपी उसमें मुखिया थी। मास्टर प्लान बनाने की बात तो दूर उसकी शुरुआत भी नहीं की गयी। अभी तक नया मास्टर प्लान बन गया होता, उसे लागू कर दिया गया होता तो शायद वे तमाम विाय जो आज चर्चा में बने हुए हैं उनका हल निकल गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से एनडीए की सरकार उस समय कुछ नहीं कर पाई। मैं माननीय जयपाल रेड्डी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मास्टर प्लान की शुरुआत की। मास्टर प्लान एक दिन या दो दिन में नहीं बन पाता, उसको बनाने के लिए वाी लगते हैं। उस पर चर्चा करायी गयी, उस पर सुझाव मांगे गये और दिल्ली के लोगों ने सुझाव भेजे। सभी राजनीतिक पार्टियों ने उस पर सुझा व भेजे और आज वह मास्टर प्लान बनने के कगार पर खड़ा है। मुझे उम्मीद है कि नया मास्टर प्लान बनेगा और नया मास्टर प्लान बनने के बाद दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज भाजपा इस सवाल पर दिल्ली के अंदर राजनीति क्यों कर रही है। अभी मेरे दोस्त माननीय मल्होत्रा जी का जिक्र कर रहे थे। यह सच है कि कि मल्होत्रा जी ने जब इस विाय पर चर्चा हुई थी तो सवाल खड़ा किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मल्होत्रा कमेटी की चर्चा की जाती है यदि मल्होत्रा कमेटी सिफारिशों को लागू कर दिया गया होता तो शायद यह समस्या नहीं आती, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मल्होत्रा कमेटी के अंदर वे सब सुझाव जो आज यहां लोग दे रहे हैं, उनका मिश्रण उसके अंदर था। मल्होत्रा कमेटी को किसने नहीं माना, एनडीए की सरकार ने और उसके मंत्री ने नहीं माना और उसको कूड़ेखाने में डाल दिया गया। उसकी जिम्मेदारी हमारे पास नहीं थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज को बंद करने के सवाल पर आपने क्या किया था? क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली की इंडस्ट्रीज जब बंद की जा रही थीं और लाखों मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का बेकार हो रहा था, दिल्ली से पलायन कर रहा था और हम शोर मचा-मचाकर कह रहे थे कि संविधान में छोटा सा संशोधन कीजिए और इंडस्ट्रीज का सवाल हल हो जाएगा, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। इंडस्ट्रीज का हल हमने निकाला और हल निकालने के बाद अब उनको एडजस्ट करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की नीयत रही है कि गरीब लोगों को राहत दी जाए और जो छोटे-बड़े व्यापारी और दुकानदार हैं उनको राहत भी दी जाए।[r24]

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस गंभीर समस्या की तरफ हमारे दोस्त ने सदन का ध्यान आकर्िात किया है, यह बात सच है। मास्टर प्लान बना, उस आधार पर साढ़े 16 प्रतिशत कमर्शियल मार्केट और दुकानें बनाई जानी चाहिए थीं, लेकिन नहीं बनीं। केवल 2,3,4 प्रतिशत दुकानें बनाई गईं, क्या इसके लिए डीडीए की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या यह डीडीए की जिम्मेदारी नहीं है कि वह मांग के अनुसार कमर्शियल मार्केट नहीं बना पाई? इस वजह से लोगों को रिहायशी इलाके में, अपने घरों के अंदर दुकानें खोलनी पड़ीं, बड़ी-बड़ी कालोनियां डैवलप हो गईं चाहे द्वारका हो, पश्चिम विहार हो, वसंत कुंज हो या रोहिणी का इलाका हो। वहां पर डीडीए ने कमर्शियल मार्केट या दुकानें पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाईं, इस कारण लोगों ने घरों में दुकानें खोलीं लेकिन आज उन्हीं दुकानों को बंद करने का सवाल खड़ा हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने इस समस्या से निजात पाने की कोशिश की। जिन नोटिफिकेशंस का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, वे नोटिफिकेशंस हुए, उन्हें अदालत ने उसे रद्द नहीं किया है, उन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। मैं श्री जयपाल रेड्डी और अपनी सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो गंभीर सवाल सामने था, उसके बारे में हम मास्टर प्लान में संशोधन करके अदालत के सामने ले गए, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। यहां सबने चर्चा की और चर्चा करने के बाद हमने एक रास्ता निकाला कि किस तरीके से हम अपनी बात अदालत के सामने रखें और रास्ता निकाल कर लोगों को राहत दिला सकें, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। आज मैं यह समझता हूं कि जिन कारणों से दुकानें बंद की गईं, उसका एक रास्ता निकाला जा रहा है। माननीय न्यायाधीशों ने हमें कुछ रिलीफ दिया हैं, लेकिन जो रिलीफ मिला है वह पूरा रिलीफ नहीं है। हम चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी पूरा रिलीफ मिलना चाहिए। मास्टर प्लान के साथ-साथ हमारे जोनल प्लान भी तैयार होने हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो 18 जोनल प्लान और 250 सब जोनल प्लान बनने हैं, उन्हें बनाने के विाय में जब तक आप गंभीरता से मास्टर प्लान बनाने के सवाल को पूरा नहीं करेंगे, तब तक यह मामला हल होने वाला नहीं है। यदि डीडीए इस काम को करने में सक्षम नहीं है तो प्राइवेट लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिससे जोनल प्लान जल्दी से जल्दी तैयार हो सकें।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि हमने दो हजार के करीब सड़कों की अर्बन डैवलेपमेंट मिनिस्ट्री के आदेश से निशानदेही की और उन सड़कों को कमर्शियल और मिक्स्ड लैंड यूज के रूप में निर्धारित किया। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो शायद अदालत के आदेश से और लाखों दुकानें बंद करनी पड़तीं, लेकिन केंद्रीय सरकार के आदेश से उन सड़कों की पहचान की गई और सड़कों की पहचान करने का काम भी किया जा रहा है।

मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। नया मास्टर प्लान आ रहा है। जिन अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की बात है, वहां पर भी दुकानें हैं, उन दुकानों को भी सील करने का काम शुरू हुआ था, जो आपने रुकवाया है। इन कालोनियों को नियमित किया जाए। श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों के अनुसार जिस तरह से हमने 1976-77 के अंदर 612 कालोनियों को नियमित किया था, उसी आधार पर आज भी इन कालोनियों को नियमित किया जाना चाहिए। उस आधार पर नहीं, जैसा पिछली सरकार, जो एनडीए की सरकार थी, उन्होंने इन कालोनियों को नियमित करने के लिए 3200 रुपए गज के हिसाब से उस वक्त जुर्माने के तौर पर लेने का फैसला लिया था। सौ गज के लिए 3,20,000 और 200 गज के लिए 6,40,000 रुपए लिए जाएंगे। उस नीति पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। हमने अपने घोाणा पत्र में भी जिक्र किया है और इन कॉलोनीज़ को रैगुलराइज़ किया जाना चाहिए। मैं शापिंग सेंटर के सवाल पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुकानें बनायी जानी चाहिए। जब डीडीए पूरी दिल्ली का विकास का कर रहा है तो दुकानें बनाने की भी उनकी जिम्मेदारी है।[MSOffice25]

आज जगह-जगह मॉल बनाए जा रहे हैं। मॉल में खरीदारी करने के लिए कौन जा सकता है - जिसकी जेब में बहुत सा पैसा हो, वही जा सकता है। क्या 90 फीसदी दिल्ली के लोग उन मॉल्स में जा सकते हैं? जो कमीज बाजार में डेढ़ सौ रुपए में मिलती है, वही मॉल में 600 रुपए में मिलती है। ऐसी हालत में मॉल में खरीदने के लिए कौन जाएगा? आज शॉपिंग कॉम्प्लैक्स को भी मॉल बनाया जा रहा है। डीडीए के पास जमीन अवेलेबल है। नजूल की जमीन दिल्ली में मौजूद है। उसकी निशानदेही हो, मार्किट बने और जोनल लैवल पर कमर्शियल मार्किट बना कर उसकी जरूरत को पूरा करना चाहिए। कई जगह दुकानें अदालत के आदेश से बंद की गई हैं। जरूरी वजह से यदि कोई दुकान बंद की जाती है, तो उनको भी इसके अन्दर दुकानें दी जानी चाहिए, जिससे उन व्यापारियों का भी रोजगार चल सके और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को काम मिल सके। सब के साथ न्याय होना चाहिए।

यहां ए और बी कैटेगिरीज की बात कही गई है। उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। आप नया मास्टर प्लान ला रहे हैं। उसकी भी जरूरत है। वह भी जरूरत के मुताबिक बनना चाहिए। उसके बारे में भी गहराई से सोचना चाहिए। कई पब्लिक स्कूल बंद करने का भी आदेश दिया गया है। दिल्ली में जितने सरकारी स्कूल होने चाहिए, उतने स्कूल अवेलेबल नहीं हैं। 50 परसेंट स्कूलों की कमी हैं। इसी कारण पब्लिक स्कूल खुले। वे एग्रीकल्चर लैंड पर खुले, अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में खुले और उनको सरकार की तरफ से मान्यता मिली। उन्हें दिल्ली सरकार ने मान्यता दी। बाकायदा जहां स्कूल की जरूरत है, उसके हिसाब से बिल्डिंग बनायी गईं। आज कहा जा रहा है कि मई के बाद उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लाखों बच्चों के भविय का सवाल जुड़ा है। अब वे कहां जाएंगे और कहां एडमिशन लेंगे? उनके बारे में अलग से नीति बनायी जाए। उन पब्लिक स्कूलों को रैगुलेराइज किया जाए, वरना एक बड़ा तमाशा दिल्ली में खड़ा होने वाला है। लाखों बच्चे सड़कों पर होंगे और उनके परिवार के लोग भी सड़कों पर होंगे। इस विाय को गम्भीरता से देखने की जरूरत है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के समय डीडीए ने छोटे-छोटे स्टॉल्स बना कर दिए थे जहां सब्जी वाले, बार्बर्स, दर्जी, फल बेचने वाले और दूसरे कई काम करने वाले अपना धंधा चलाते थे। आज वह नीति बंद हो गई है। डीडीए सिर्फ मॉल बना कर उसे बेच रहा है। वहां 200 रुपए में एक चीज मिलती है। स्टॉल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? आप नए मास्टर प्लान के अन्दर व्यवस्था कर रहे हैं। हर कॉलोनी में छोटे-छोटे स्टॉल बनें। उन्हें आप ऐसे आठवी, दसवीं पास किए लोगों और गरीब लोगों को दें ताकि वे अपना काम चला सकें। इससे बढ़ती चीजों के दाम भी रुक जाएंगे और लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

दुनिया में साप्ताहिक बाजार लगते हैं। दिल्ली में भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं। उन साप्ताहिक बाजारों को लगाने के लिए आप निश्चित जगह बनाइए। उनके लिए पार्किंग की जगह निश्चित करिए, लाइट, पानी की व्यवस्था करिए। इसके साथ-साथ साप्ताहिक बाजारों को रैगुलेराइज्ड करने की व्यवस्था करिए जिससे वहां लोगों को रोजगार मिल सके।

गरीबों का सवाल एक गम्भीर विाय है। दिल्ली मे चुनी हुई सरकार है लेकिन जमीन का प्रबन्ध करने का सवाल केन्द्र सरकार के पास है। डीडीए अपनी मनमानी करती है। उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली सरकार को यदि स्कूल के लिए जगह चाहिए, तो डीडीए के सामने खड़ी हो जाती है। श्मशान या कब्रिस्तान के लिए जमीन चाहिए तो सरकार उसके सामने खड़ी रहती है। जमीन नहीं मिलती है। आप दिल्ली में जमीन का प्रबन्ध दिल्ली सरकार को क्यों नहीं सौंपते हैं? यह काम दिल्ली सरकार को सौंपना चाहिए। उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। डीडीए हजारों-करोड़ रुपया कमा कर बैंकों के अन्दर फिक्सड़ डिपॉजिट कर रहा है। वह विकास के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहा है। उसका एक हिस्सा दिल्ली के विकास पर खर्च करने के लिए निर्धारित होना चाहिए। दिल्ली की उन्नति के लिए वह पैसा खर्च होना चाहिए।

जिन सड़कों को दिल्ली नगर निगम ने आपके आदेश पर निशानदेही करने के बाद, कमर्शियल और मिक्सड लैंड यूज किया है, उनमें ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को छोड़ दिया है[r26]।

अब वे कहां जाएंगे? हजारों सालों से वे गांव बसे हुए हैं।

MR. SPEAKER: Please conclude your speech.

श्री सज्जन कुमार : आप महरौली से गुड़गांव रोड पर चले जाएं। आप रोहिणी से कंझावला जाएं और देखें कि सड़क संख्या 3 का कुछ हिस्सा शहरी क्षेत्र में पड़ता है, उसे आपने कमर्शियल कर दिया है, लेकिन उससे आगे जो गांव पड़ते हैं, उन्हें कमर्शियल और मिक्स्ड लैंड यूज़ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी यह गंभीर सवाल है कि जिस गांव की जमीन पर आज कंकरीट का शहर बस कर खड़ा हो गया है, उस गांव की जमीन के कमर्शियल होने की बात नहीं की जा रही है, मिक्स्ड लैंड यूज़ होने की बात नहीं की जा रही है - इसे आप करने की कृपा करें। आज उन गांव वालों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। मुझे मालूम है कि आप इतने काबिल मंत्री हैं और आप गांव वालों की तकलीफ को समझते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसे हल करेंगे।

कहीं कहीं सरकारी जमीनों पर लोगों ने अनऑथोराइज्ड कब्जा कर रखा है। इस बारे में हमने साफ कहा है और हमारी पार्टी ने भी कहा है कि यदि किसी ने एन्क्रोचमेंट किया है, तो उसे सरकार को खाली कराना चाहिए। हम एन्क्रोचमेंट के खिलाफ हैं। आपने जो लोग वार्ं से झुग्गी-झोंपड़ियों में बैठे हुए हैं, वहां रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए बहुमंजिले मकान बनाकर व्यवस्था की है। मंत्री जी, मैं डॉ. मनमोहन सिंह जी को और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ओखला में एक लाख रुपए गज जमीन पर बहुमंजिला मकान बनाकर आप झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को देने जा रहे हैं। यह हमारी सरकार कर रही है।

MR. SPEAKER: Hon. Member, you have got many other speakers from your Party to speak on this issue.

श्री सज्जन कुमार : मुझे याद है जब एन.डी.ए. सरकार के काल में झुग्गी-झोंपड़ियों को तोड़ दिया गया था।

MR. SPEAKER: Hon. Member, you have got many other speakers from your Party to speak on this issue.

श्री सज्जन कुमार : उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया था, जिनके सिर पर बाल और दाढ़ी देखी गई थी उन्हें बांग्लादेशी के सवाल पर उजाड़कर फेंक दिया गया था। उन्हें कोई आल्टरनेटिव प्लॉट भी नहीं दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद उन्हें बसाया गया और उन्हें पानी, बिजली, सीवर और लाइट की सुविधा दी गई। हम इसे आज भी दोहराना चाहते हैं। इसलिए चाहे झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का सवाल हो या दुकानदारों का सवाल हो, उसे हम हल करेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री जयपाल रेड्डी, श्री अजय माकन, अर्बन डेवलपमेंट मिनस्टर का धन्यवाद करता हूं कि वे जो कारगर कदम उठा रहे हैं, उन्हीं कारगर कदमों से इस समस्या का हल निकलेगा। मैं इन्हीं शब्दों अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

MR. SPEAKER: Next speaker is Prof. Vijay Kumar Malhotra.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Let us all hear Mr. Malhotra. We are waiting to hear him. Please maintain silence in the House.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Let us listen to each other with patience.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि यह समस्या जिस गंभीर रूप में सामने आई है, इस बारे में मेरे परम मित्र, श्री सज्जन कुमार यहां पर उसका उल्लेख करेंगे लेकिन उन्होंने प्रारंभ किस बात से किया, मैं यहां देख रहा था और लिख रहा था कि उन्होंने एक बार नहीं दस-बारह बार बधाई दी। उन्होंने बधाई श्री जयपाल रेड्डी और श्री अजय माकन को दी। मैंने हाऊस में आठ-नौ बार यह सवाल उठाया था और चेतावनी दी थी कि आगे चलकर ऐसे हालात पैदा होंगे। लेकिन चेतावनी के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। दिल्ली में पचास हजार के करीब दुकानें सील हुई, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, चार आदमी गोली से उड़ा दिए गए तथा बी.एस.एफ. और सी.आर.पी.एफ. को दिल्ली में बुला लिया गया। दिल्ली में व्यापारियों को तीन-चार दिन बंद करना पड़ा और विधान सभा को घेरना पड़ा। पचास हजार से ज्यादा लोग जेलों में चले गए, क्या इसलिए यहां बधाई दी गई है और कहा जा रहा है कि आपने कमाल कर दिया, लोगों को बचाने का काम किया। जब मैंने पहली बार यह सवाल उठाया था, तब कहा था कि दिल्ली में ये चीज़ें होने जा रही हैं जिससे दिल्ली में हाहाकार मचेगा। लेकिन उस समय रेड्डी जी का जवाब मिला था कि -

> "Shri Vijay Kumar Malhotra has also tried to paint an alarmist scenario, which is not correct…"[r27]

Then, he said:

> "He is trying to send false fears so that some vested interest can be served. There is no need for us to get worked up and get people worked up."

मैं लगातार तब कहता रहा कि दिल्ली में यह स्थिति पैदा होगी तो इनका जवाब था कि यह आतंक फैला रहे हैं, किसी को वर्क अप होने की जरूरत नहीं है, यहां कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। सब चीजें हमारे काबू में हैं। उसके बाद दोबारा यह मामला उठा और दोबारा मैंने कहा था कि यह सैशन खत्म हो जायेगा और फिर यहां हाहाकार मचेगा। फिर जैसा मैंने तीन महीने पहले आपको चेतावनी दी थी, लेकिन आपने सुना नहीं। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं कि दिल्ली में यह स्थिति पैदा होगी। मैंने तब भी कहा था कि जो कानून आप बनाने जा रहे हैं, यह कानून टिकेगा नहीं।

यह मेरे बहुत काबिल दोस्त हैं, पास में भारद्वाज जी बैठे हैं। उस समय हमारे मंत्री महोदय ने भी कहा था कि यह बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप इस बिल को कोर्ट के पास ले जायेंगे, यह सारी अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, परन्तु आप इस पर एक साल कोई कदम मत उठाइये, "It will not stand judicial scrutiny." यह न्यायालय में टिकेगा नहीं, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तब आपने कहा था कि देखिये, यह फिर से इस तरह की बात कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर टिकेगा, कोई चीज इसे रद्द नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने यहां तक कहा था कि रेड्डी साहब, आप यहां कोई एमनेस्टी स्कीम लाओ, कानून बदलो, कुछ भी करिये, यह चीज नहीं चलेगी। तब रेड्डी साहब ने क्या कहा था -

> "I will be more than willing not only to amend the law, but also to amend the Constitution. I want the BJP to put their vote where their mouth is."

और मैंने कहा था -

> "We will support you. We are giving the blank cheque to do it, but you are not doing it."

फिर इन्होंने कहा था -

"I must thank the BJP for the *carte blanche*. I will encash it as and when the time arises." उस समय इसके बाद मैंने कहा था कि 16 सितम्बर को हाउस नहीं होगा और तब जो हालात पैदा होंगे, उनके लिए आप जिम्मेदार होंगे। यहां ऐसा हाहाकार मचेगा, तब आपको इस बात का पता चलेगा। लेकिन मेरी बात को सुना नहीं गया। यहां लाखों लोग सड़कों पर निकल आये और सीलिंग शुरू हो गई, दुकानें बंद की जाने लगीं और कम से कम चालीस हजार दुकानें सील हो गईं और बाकियों को नोटिस आ गया। उसके बाद उनमें काम करने वाले कर्मचारी बेकार हो गये, गोली चला दी गई और गोली चलाने के बाद सीलिंग के लिए बी.एस.एफ. बुला ली गई, सी.आर.पी.एफ. बुला ली गई और उन्हें बुलाने के बाद यहां सीलिंग का काम चालू किया गया। आप इन्हें लगातार बधाई देने का काम करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपने पहले दिन एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन के बाद अजय माकन जी के बोर्ड सारी दिल्ली में लग गये, बधाई, आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया। लेकिन नोटिफिकेशन रद्द हो गया। उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन निकाला, वह भी रद्द हो गया। फिर आप इस रास्ते पर चले... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : वह रद्द नहीं हुआ, आप मिसगाइड मत कीजिए, उसे कोर्ट ने अपहैल्ड किया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अपहैल्ड करने के बाद भी सीलिंग शुरू हो गई। ...(व्यवधान) अगर आपके नोटिफिकेशन ने स्टैन्ड किया तो फिर सीलिंग क्यों शुरू हो गई, फिर दुकानें क्यों बंद करनी शुरू हो गईं। आप यह मत समझिये, रेड्डी साहब आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने राहत दे दी है, इस समय भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं अभी उस बात पर आऊंगा। यदि आज भी आपने कदम नहीं उठाया तो तब यह सैशन नहीं होगा, दिल्ली में घरों में सात लाख दुकाने हैं।

MR. SPEAKER: How many you said – seven lakhs?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सात लाख दुकानें दिल्ली में घरों में चल रही हैं और उनमें से राहत 25-30 हजार दुकानों को दी गई है, बाकी को कोई राहत नहीं होने वाली है। आप कहते हैं कि 95 परसैन्ट दूसरों को राहत हो गई है, अब कुछ नहीं होने वाला

है। यह वही जवाब है, जिसे आप पहले भी रिपीट करते रहे हैं। घरों में जो दुकानें बनी हैं इन दुकानों का ...(व्यवधान)

श्री अजय माकन : रोड नोटिफाई हो गई हैं और हजारों और जो नोटिफाई होनी हैं ...(व्यवधान) आप इस तरह की बात मत बोलिये।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: He has not yielded, Mr. Minister. Unless he yields, you cannot speak.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमने तीन बातें इनसे कहीं थीं। मैं कहना चाहता हूं कि सज्जन कुमार जी कह रहे थे और उन्होंने जिक्र किया कि ए. और बी. कैटेगरीज यहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ए.और बी. कैटेगरीज क्यों बनाई गई। यह कोर्ट ने नहीं बनाई है, कोर्ट ने इस बात को नहीं कहा था कि ए.और बी. केटेगरीज कीजिए[MSOffice28]।

कोर्ट ने कहा कि मोनीटरिंग कमेटी चाहती है कि जो राहत दी गई है, वह ए और बी कैटेगरीज में भी दी जाए। वहां आपका वकील भी खड़ा हुआ था, केन्द्रीय सरकार का वकील भी खड़ा हुआ था, जब कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ए और बी कैटेगरीज में भी यह सहूलियत दी जाए। मैं जानना चाहता हूं कि आप किसे ऐसा कह रहे हैं कि ए और बी कैटेगरीज करके इसका कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहिए। क्या ए और बी कैटेगरी के अंदर, जो एक छोटी दुकान चल रही है, क्या उसे उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए जो लाभ आप दूसरी तरफ दे रहे हैं, जो राहत आप जनकपुरी, रोहिणी और द्वारका में दे रहे हैं वही राहत ग्रीन पार्क और साउथ एक्स में क्यों नहीं दी जानी चाहिए? छोटी दुकानों के मामले में, जजमेंट में साफ तौर पर लिखा है कि तीन लाइनें हम नहीं मान रहे हैं, बाकी सब बातें हम मान रहे हैं और ये तीन लाइनें हम इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि सरकारी वकील ने इसे रिपील किया है और कहा है कि ए और बी कैटेगरीज में राहत न दी जाए। अब आप क्यों मान रहे हैं, अगर सरकार खुद इस बात को कह रही है कि ए और बी कैटेगरीज के अंदर यह राहत नहीं देनी चाहिए।

> "The recommendation contained in para 1 of the report except the last three lines are accepted. The said three lines read as under:
>
> In addition it is presumed by the Monitoring Committee that small shops will also be allowed under A and B categories of colonies as per the honourable court's direction of 29-9-2006. The learned Solicitor General, on instructions of the Central Government of Mr. Reddy, states that the Government is not contemplating to allow small shops in colonies of categories A and B."

अध्यक्ष महोदय, यहां पर किस बात की बधाई दी जा रही है? सरकार ने कहा कि ए और बी कैटेगरीज में छोटी-छोटी दुकानों को भी उजाड़ देना चाहिए, सीलिंग और बंद कर देनी चाहिए, हम उसे कंटैम्पलेट नहीं कर रहे हैं। दूसरे, यहां पर सीलिंग का जिक्र किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सीलिंग कहां से शुरु हुई? सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि सीलिंग का अधिकार किसने मांगा? हाइकोर्ट की फुल बैंच ने यह कहा कि दिल्ली कॉरपोरेशन को सीलिंग का अधिकार नहीं, दिल्ली कॉरपोरेशन सीलिंग नहीं कर सकती। दिल्ली कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ पैटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेशन की पैटीशन स्वीकार करके कॉरपोरेशन को सीलिंग का अधिकार दिया। यह सीलिंग का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने वहां से लिया। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं:

> "While reversing a Full Bench Division of Delhi High Court, the stand of Municipal Corporation of Delhi was accepted and it was held that the Commissioner of MCD is empowered to exercise the power of sealing in case of misuse of any premises."

आप कह रहे हैं कि यह कोर्ट कर रही है। कॉरपोरेशन सुप्रीम कोर्ट में गई। फुल बैंच ऑफ हाई कोर्ट ने कहा,...(व्यवधान)

श्री सज्जन कुमार : पीआईएल जो डाली गई थी, वह पीआईएल डालने वाला कौन था? मल्होत्रा साहब, सच यह है कि पीआईएल डालने वाले का नाम मैं नहीं लेना चाहता।...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वह पीआईएल नहीं है। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गई है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में गई है कि हमें सीलिंग की पॉवर दो। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, उनके हाथ में पूरे अधिकार हैं और कॉरपोरेशन ने वहां जाकर सीलिंग की पॉवर ली। डीडीए के पास सीलिंग की पॉवर नहीं है। कॉरपोरेशन ने सीलिंग की पॉवर सुप्रीम कोर्ट से जाकर ली हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि मिसयूज के मामले में सीलिंग नहीं हो सकती। जब उन्होंने कहा कि हम सीलिंग करना चाहते हैं तो कहा गया कि अच्छा सीलिंग करो।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Will you kindly yield. If you yield, I will speak.

Sir, since Prof. Malhotraji was going on record ...*(Interruption)*...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It is a Supreme Court judgment.

SHRI S. JAIPAL REDDY: True. Since Prof. Malhotraji was going on record with wild and sweeping allegations ...*(Interruption)*...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Sir, I am not yielding to him if he is going to use such language as 'sweeping and wild'. In that case, he can reply to the debate later. If he wants to speak, let him say whether this is a Supreme Court judgment or not. He cannot say 'wild and sweeping'. Why should I yield and get such comments?

MR. SPEAKER: If he wants some clarification, let us see.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Will you kindly bear with me for just a minute?

It was a dispute between DDA and MCD. MCD's law does confer the power of sealing on MCD. Many laws confer many powers on authorities.[r29]

While this power was not conferred on DDA, this power was enjoyed by the MCD. Therefore, MCD had to go in appeal not to take resort to sealing drive but to retain the power of sealing in emergency.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : He confirms it. दिल्ली कॉरपोरेशन का स्टैंड मान लिया गया और सीलिंग शुरु हो गई। अगर कॉरपोरेशन सुप्रीम कोर्ट न जाती तो उसे सीलिंग का अधिकार नहीं मिलता और दिल्ली में हाहाकार नहीं मचता और यह सीलिंग नहीं होती।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: What he said was, MCD did not go to get power. They had already the power.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : If they had already the power, the full Bench of the Supreme Court... … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are entitled to make your comment.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : The Supreme Court says, while reversing a full Bench decision of the Delhi High Court, the stand of the Municipal Corporation of Delhi was accepted. …

(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Sajjan Kumar, please take your seat. You have got many speakers from your party. They would reply.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वहां गये। जैसा मैने आपसे कहा कि उन्हें यह पावर नहीं है। मैंने पिछले सैशन में यहां कहा था और राज्य सभा में भी कहा गया था कि आप एम.सी.डी.एक्ट में अमेंडमेंट करिये। आप अमेंडमेंट करके कहिये कि मिसयूज के लिये न एमसीडी के पास और न डीडीए के पास पॉवर है, यह अपने आप बंद हो जायेगी। आप कहतें हैं कि हम सीलिंग नहीं करना चाहते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट मजबूर कर रही है, why do you not change the Municipal Corporation of Delhi Act? हमने पिछली बार भी कहा था कि आप दो लाइन का अमेंडमेंट लेकर आइये। यहां एम.सी.डी. लिखती है कि हाई कोर्ट की फुल बैंच ने कहा है कि पॉवर नहीं है जब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको पॉवर ग्रांट देते हैं, आप उन्हें अमेंड कर दीजिये। उसमें क्या तकलीफ हो रही है? मैं इस बात को आज तक नहीं समझा हूं। यहां छोटी-छोटी दो बातें हैं कि आपको एम.सी.डी.एक्ट में अमेंडमेंट करना होगा जो आपकी पॉवर में है। जहां तक एमनैस्टी का सवाल है, उसे करने में कहां कठिनाई है? तीसरी बात, जिसका यहां उल्लेख किया गया कि ये-ये कैटेगरीज़ नहीं होनी चाहिये, यह भी नहीं होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, एम.सी.डी. और सैंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दिये हैं, उनमें इस बात का जिक्र किया है कि ये-ये कैटेगरीज़ रहेंगी, बाकी सब को बंद कर दीजिये। This is your affidavit! रेड्डी साहब, यह आपका एफिडेविट है। इसमें यह दिया है कि ग्राउंड फ्लोर कामर्शियल होगी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर बंद कर दिया जाये, यह 20 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। अगर मालिक मकान खुद रहता होगा, वह तब होगा। उसमें यह भी लिखा है कि ये-ये कैटेगरी रहेंगी, All others may be withdrawn. ...(व्यवधान) आपने इस बात का उल्लेख किया है, मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री अजय माकन : यह कब का है?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह जुलाई-अगस्त का है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: No cross-talks please.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : They said so. कि ये-ये कैटेगरी रहेंगी, बाकी कैटेगरी नहीं रहेंगी। उस कैटेगरी में स्कूल निकल गये। अभी श्री सज्जन कुमार कह रहे थे कि स्कूल तो होने चाहिये। यहां स्कूलों को बंद कर दिया गया। आप किस बात के लिये राहत दे रहे हैं, आप बधाई किस बात की दे रहे हैं? केवल मई तक टाइम मिल गया, उसके बाद सब स्कूल बंद कर दिये जायें, सिर्फ यही सेशन रहेगा, उसके बाद बंद कर दिये जायें। जिन्होंने लगातार कोई कानून नहीं बनाया, जब बनाया गया तो अबटाइम मांगते रहते हैं। इसमें क्या राहत मिली, पहले मोहल्लत 30 नवंबर तक थी जिसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक हर आदमी आर्किटैक्चर से लिखवाकर एक एफिडेविट सर्टिफाई करवाकर यहां दे। यह तो वही हुआ कि दो महीने के लिये मौत की सजा टाल दी गई, क्या इसी बात पर आप बधाई देते हैं। यह टाला गया मामला है, न कि माफी मिली है। इसमें केवल दो महीने मिल गये। लगातार दो महीने तक लोग नींद में तड़पते रहेंगे। दो महीने से क्या फायदा हुआ? कौन सा ऐसा काम किया जिसके कारण यह सजा अथोराइज़्ड हो गई, या लीगल हो गई या यह बिलकुल ठीक हो गया। [s30]

अभी आपने ज़िक्र किया और रेड्डी साहब ने भी पिछली बार जिक्र किया था, मैं पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने इतनी बार आपको कहा है कि एक हाकिंग ज़ोन दिल्ली में बनाएं। पिछले साढ़े सात सालों से आपकी सरकार दिल्ली में है और ढाई सालों से केन्द्र में है। फिर भी एक भी हाकिंग ज़ोन दिल्ली में नहीं है। आप इसका जिक्र कर रहे हैं कि हमारे समय पर क्या हुआ। 1962 से लेकर तो हम पावर में नहीं थे। पिछले साढ़े पांच साल हम पावर में थे। आपने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए एक भी प्लाट नहीं दिया। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कोई दोमंज़िला मकान आपने बनाए हों तो बताइए। एक भी अनऑथराइज्ड कलोनी आपने रैगुलराइज़ की हो तो बताइए, नई मार्केट बनाई हो तो बताइए। आप कहते हैं कि हम गरीब आदमी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी को यह दीजिए वह दीजिए। यह इश्तहार डीडीए ने दिया है। सज्जन कुमार जी डीडीए का विरोध कर रहे हैं। डीडीए किसके अंडर है? रेड्डी साहब और अजय माकन साहब के अंडर है या नहीं? जो काम कर रहे हैं, वही कर रहे

हैं। जितनी गालियां डीडीए को दिल्ली के एम.पीज़ दे रहे हैं, सब रेड्डी साहब और माकन साहब को पड़ रही हैं क्योंकि डीडीए इनके अंतर्गत ढाई साल से काम कर रहा है। यहां पर देखिये क्या लिखा है। Auction to be held on 8.1.2007. 300 गज का प्लाट 1,29,60,000 रुपये के रिज़र्ब्ड प्राइस पर है। उसके ऊपर आक्शन की बोली शुरू होगी। इसमें 50-60 मकानों का ज़िक्र किया है। Auction to be held on 10.1.2007. जसौला जो गांव में पड़ता है वहां पर एक प्लाट 1,69,71,561 रुपये के रिजर्ब्ड प्राइस पर है। प्लाट्स आक्शन किये जा रहे हैं। किस गरीब आदमी की भलाई हो रही है? आप कहते हैं कि गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं। एक एक प्लाट दो-तीन करोड़ रुपये का है। अभी आपने दुकानें बेची हैं पांच करोड़ रुपये में, सात करोड़ रुपये में। कोई गरीब आदमी पांच करोड़ रुपये में क्या दुकान खरीदेगा? आप कह रहे हैं कि पांच करोड़ रुपये की दुकानें आपने आक्शन की हैं पिछले तीन महीनों में। 173 करोड़ रुपये में यहां का एक प्लाट बिका है। उसके हिसाब से एक एक मॉल बिक रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो झुग्गी झोपड़ी के लिए मकान बनाने का था, उसको 1600 करोड़ रुपये में आपने बेच दिया तहखंड का भूखंड और वह डीएलएफ को दे दिया कि आधा आप बना लें, उसमें पैसा बनाएं और उसमें से कुछ मकान बनाकर हमें दे दें। सज्जन कुमार जी कह रहे हैं कि ...(व्यवधान)

श्री सज्जन कुमार : मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मल्होत्रा जी, आपके समय में, एनडीए की सरकार के समय इसको कामर्शियल प्लाट कर दिया गया। हमारे सरकार में आने के बाद 3500 झुग्गी झोपड़ी वालों को ...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि क्या यह ठीक नहीं है कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद एक भी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को रिज़र्ब्ड प्राइस पर ज़मीन नहीं दी?

श्री अजय माकन : तभी स्कैम हुआ है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please, hon. Minister, this is not permitted.

... (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पहले गरीब आदमी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर मकान बनाता था। आज के दिन कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, do not do it.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। उन्होंने यील्ड नहीं किया है। I made an appeal that it is a very sensitive issue.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठकर बोलना ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सज्जन कुमार जी कह रहे हैं कि दिल्ली के पास जमीन नहीं है। जमीन होती तो हम ये कर देते। उनके पास नहीं है तो रेड्डी साहब के पास तो है। * ... और दिल्ली गवर्नमैंट बड़ी लायक है। अगर यह पोज़ीशन है ...(व्यवधान)

---

* Not recorded

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : यह आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : जो अनपार्लियामैंट्री है, उसे रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : दिल्ली सरकार को ज़मीन क्यों नहीं देते? ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let the situation outside be not imported here.

... (*Interruptions*)[MSOffice31]

15.00 hrs

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार को सत्ता में बने हुए साढ़े सात साल हो गए, लेकिन अभी तक उसने दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाए, इस बारे में एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। ढाई साल केन्द्र में कांग्रेस की सरकार को आए हुए हो गए, लेकिन उससे दिल्ली सरकार ने न जमीन ली और न लॉ एंड ऑर्डर लिया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस की शिकायत कर रहे हैं? आप अपनी ही सरकार की शिकायत कर रहे हैं। अगर आपको जमीन के बारे में कुछ करना था, तो आपने पिछले साढ़े सात सालों में लाल डोरा को क्यों एक्सटेंड नहीं किया। आपने लाल डोरे में एक इंच की बढोत्तरी नहीं की। आपने लाल डोरे की दुकानें रेगुलराइज नहीं कीं। आपने जो सड़कें बनाईं उनमें लाल डोरे को क्यों शामिल नहीं किया और फिर आप सरकार को बधाई दिए जा रहे हैं। आप सरकार को किस बात की बधाई दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन बातों का उल्लेख कर के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि शुरू में यहां जिक्र किया गया कि सुप्रीमकोर्ट के जजेज आदि के बारे में कोई टिप्पणी न की जाए, यह बात ठीक है। मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र में जब मैंने इस बारे में कहा था कि जो कानून बनाया गया है, वह कांस्टीट्यूशनली ठीक है कि नहीं, यह देखना सुप्रीमकोर्ट का काम है। इसमें मैंने कोई गलत नहीं कहा। हम सभी पार्टियों को मिलकर यह जरूर सोचना चाहिए कि मॉनीटरिंग कमेटी की पॉवर्स क्या हैं और मॉनीटरिंग कमेटी का मतलब क्या है। जब मैंने पिछली बार यह बात कही, तो उस समय ध्यान नहीं दिया गया।

महोदय, कोर्ट ने डायरैक्शन दी कि दिल्ली के चीफ सैक्रेट्री, डी.डी.ए. के वाइस चेयरमैन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर मॉनीटरिंग कमेटी को डेली रिपोर्ट करें। मॉनीटरिंग कमेटी में जो लोग हैं, उनके नाम आपको मालूम हैं। मॉनिटरिंग कमेटियां भी दो बन गईं। एक ऑनरेबल सुप्रीमकोर्ट ने बनाई जिसके मैम्बर हैं- श्री भूरे लाल, श्री के.जी. राव और जनरल एस.पी. झिंगन। दूसरी मॉनीटरिंग कमेटी हाईकोर्ट ने बनाई जिसके मैम्बर हैं श्री आर.एस. गुप्ता, बी.एल. वोहरा और श्री आर.के.मित्रा। दिल्ली के चीफ सैक्रेट्री, दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और दिल्ली नगरनिगम के कमिश्नर, डेली इन मॉनीटरिंग कमेटियों को रिपोर्ट करें और मॉनीटरिंग कमेटी तय करेगी कि कहां पर कौनसी दुकान होनी चाहिए. कहां क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि रेड्डी साहब यहां किस लिए बैठे हैं और वे मिनिस्टर किस काम के हैं। डायरैक्शन यह थी कि यदि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स को भी कोई फैसला करना है, तो वे भी मॉनीटरिंग कमेटी को एप्रोच करें। तब मैंने यह कहा था कि प्राइम मिनिस्टर किस लिए है। केन्द्र के चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर साहब है। इस बात पर श्री अजय माकन जी खड़े हो गए और मैं उन्हें पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने उस समय तीन बार कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों ले रहे हैं। मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि केन्द्र का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है या सुप्रीमकोर्ट? सुप्रीमकोर्ट या उसके द्वारा बनाई गई मॉनीटरिंग कमेटी कह सकती है कि कंटैम्प्ट में हम किसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, परन्तु मॉनीटरिंग कमेटी यह कैसे तय करेगी कि पॉलिसी क्या होगी, एग्जीक्यूटिव पॉवर्स किस के पास होंगी और लैजिस्लेटिव पॉवर्स क्या होंगी?

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे में प्राइम मिनिस्टर मिल-बैठ कर तय करें कि किस प्रकार की नीति होनी चाहिए। मैंने उस दिन भी, जब आप प्रिजाइड कर रहे थे, तब कहा था, लेकिन तब कहा गया कि क्या 20 साल तक पार्लियामेंट सोई हुई थी? किसी के द्वारा इस लफ्ज का प्रयोग पार्लियामेंट के लिए करना मैं अच्छा नहीं समझता।

महोदय, दिल्ली में यह मुकदमा चलते हुए 21 साल हो गए हैं। सबसे पहले श्री मेहता ने 1985 में यह केस दायर किया था और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तारीख पर तारीख पड़ती गई और अब 31 जनवरी की तारीख पड़ी है। उस दिन भी कोई फैसला होगा या नहीं और फैसला होने में कितने साल लगेंगे, पता नहीं। इसलिए यदि कोई कहे कि क्या 21 साल तक सुप्रीम कोर्ट सुई थी, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। श्री मेहता ने जो केस 21 साल पहले डाला था, उसमें यही लिखा हुआ है कि रेजीडेंश्यल एरिया में दुकानें होनी चाहिए या नहीं और किस प्रकार की दुकानें कहां होनी चाहिए, इस बारे में केस चलते-चलते 21 साल हो, लेकिन आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है।[r32] सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीजों के बारे में फैसला करना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं तीन-चार बातों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। एक तो आप कार्पोरेशन एक्ट को फोरी तौर पर एमंड करें और सीलिंग की पावर उससे वापस ले लें। दूसरा, वर्ा 1962 से पहले दिल्ली में मास्टर प्लान नहीं था। इससे पहले जो कुछ बना हुआ है, इसके ऊपर मास्टर प्लान लागू नहीं होगा, मास्टर प्लान की कोई चीज लागू नहीं होगी। इसका फैसला हो गया था। लेकिन मास्टर प्लान बनने के बाद ये सब चीजें चलती रहीं। पंजाब से दिल्ली में रिफ्यूजी लोग आए थे तो उस समय दिल्ली की आबाद 7-8 लाख थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद दिल्ली की आबादी 16 लाख हो गई। उस समय यहां आए लोगों ने किसी से भीख नहीं मांगी, किसी के आगे गिड़गिड़ाए नहीं, उन्होंने दुकानें बनाईं, मकान बनाए, अपने पांव पर खड़े हुए। उन्होंने छोटी-छोटी दुकानें और मकान बनाए। उन पर यह लागू नहीं होता है। मंत्री जी ने कहा है कि वर्ा 1962 से पहले बनी हुई दुकान का लाइसेन्स तो होगा, परन्तु वह असली मालिक है या नहीं है, इसका पता करो, फलां का पता करो, इसका ऐसा करो, उसके पास से एफिडेविट लाओ, हैण्डस चैन्ज न हुआ हो। इन सब के अन्दर आप उनको क्यों डाल रहे हैं? उनसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। उनसे कहा गया कि कार्पोरेशन इस बात पर उनको रैगुलराइज करेगी, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी, यदि वे ये सारी चीजें पेश करते हैं। मेरा कहना है कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वर्ा 1962 से पहले बनी हुई दुकानों को पूरी तरह से राहत दी जाए।

महोदय, लाल डोरे के अंदर बनी हुई दुकानों को भी राहत देने की बात है। रेड्डी साहब ने इसी हाउस में जवाब देते हुए कहा था कि मास्टर प्लान कब बनेगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, कोई तिथि नहीं बता सकता हूं। पिछले एक साल से रेड्डी साहब और माकन साहब कहते रहे हैं कि दो महीने में, तीन महीने में मास्टर प्लान आ जाएगा, हमने बना दिया है, हमने आब्जैक्शन्स मांग ली हैं। जबकि पहले यह कहा गया था कि नवम्बर से पहले आ जाएगा, फिर कहा गया कि इस साल के खत्म होने से पहले आ जाएगा। हम इस संबंध में गृह मंत्री जी से मिले थे, सब से मिले थे, सब ने कहा था कि साल के खत्म होने से पहले मास्टर प्लान आ जाएगा। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि मास्टर प्लान की कोई तिथि निश्चित नहीं है, उसमें तो अभी 18 जोनल प्लान बनने हैं, दो-ढाई सौ सब-जोनल प्लान बनने हैं। आप लोग लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं? आप लोगों से क्यों कह रहे थे कि मास्टर प्लान अभी बनने वाला है? आप कुछ भी मास्टर प्लान बना लीजिए लेकिन फिर भी 80-90 प्रतिशत लोग प्रभावित रहेंगे। आप क्यों एमनेस्टी स्कीम लाने से डरते हैं? यदि आप उल्हास नगर में कर सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते हैं? जब मैंने पिछली बार कहा था तो आपने कहा था कि उल्हास नगर एक छोटा सा एरिया है, मामूली एरिया है, वहां पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी रहते हैं, इसलिए हमने कर दिया। लेकिन फिर आपने बैंगलोर में कैसे कर दिया? पूरे हिन्दुस्तान में तीन बार एमनेस्टी स्कीम लाई गई, ब्लैक मनी को व्हाईट मनी करने के लिए। यदि पूरी दुनिया की ब्लैक मनी व्हाईट हो सकती है और उसको आप एमनेस्टी स्कीम के अंदर ला सकते हैं, उसको लाकर के ऐसे लोगों को राहत दे सकते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी है। उनसे जुर्माना लेकर के ब्लैक मनी को व्हाईट मनी किया गया। लेकिन यहां यह स्कीम लाने में क्या दिक्कत हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

श्रीमती शीला दीक्षित और सभी एमएलए ने मिलकर के 5-6 दिन पहले एक रेजोल्यूकशन किया था कि एमनेस्टी स्कीम लाई जाए। सभी एमपी कह रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम लाई जाए। आप उनके लिए मत कीजिए जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। आप शराब की दुकानों, पब्स, हानिकारक व्यापार वस्तुओं का व्यापार करने वालों और प्रदुाण फैलाने वालों के लिए मत कीजिए। लेकिन बाकी सब के लिए करने में क्या दिक्कत है? यदि आपको मल्होत्रा कमेटी से कोई रिप्लशन है, तो रेड्डी

कमेटी बना लीजिए, किसी और नाम से कर लीजिए लेकिन bring in an amnesty scheme उसके बिना दिल्ली के लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। मास्टर प्लान अगले 20 साल के लिए बनना है। 20 साल के लिए जो कुछ भी बना हुआ है, उस तरह से बनने की इजाजत उसमें नहीं दे सकते हैं। आप कार्पोरेशन एक्ट को एमन्ड कीजिए। आप ईश्वर के लिए ए और बी कैटेगरी के लिए विड्रो कीजिए। आपके सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा है कि ए और बी कैटेगरी में छोटी दुकानों को भी न छोड़ा जाए। सॉलिसिटर जनरल ने यह सब आपकी इन्सट्रक्शन में किया है। मैंने कल श्रीमती शीला दीक्षित का बयान पढ़ा था कि 2000 खोके बनाए जाएंगे[r33]।

मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में 2 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं। यदि आप दो हजार बनाएंगे तो 1 लाख 98 हजार कहां जाएंगे? हाई कोर्ट ने तो आर्डर कर दिया कि They are all to be removed. कनाट प्लेस और बाकी सब जगहों के भी हटा दिए जाएं। जितनी मोन्यूमेन्टल प्राब्लम्स हैं, उस के हिसाब से इन कदमों को उठाइए। लगातार बधाई दी जा रही है, कल सब लोग मिलकर के सोनिया जी के पास गए थे, उनको बधाई देने के लिए कि आपने बचा दिया। इतने लोग मर गए हैं और इतना हाहाकार मचा हुआ है। क्या यह बचाया गया है? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि 31 जनवरी को सैशन नहीं होगा और हम लोग यहां नहीं होंगे और उस समय जो हाहाकार मचेगा, मैंने पहले भी कहा था कि उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे और आज मैं फिर आपको जिम्मेदार ठहराता हूं You have been responsible for it. If you had listened to me at that time, it would not have happened there. आज फिर आप जिम्मेदार होंगे। अभी भी इस सैशन में आप कोई कानून नहीं ला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप ये दो-तीन कानून लाइए और बधाई देने की बजाय कोई कन्सट्रक्टीव काम कीजिए तब जाकर के इसका हल हो सकता है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विाय पर आपको बताना चाहता हूं कि यह बहुत ही पुरानी समस्या है और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस बात को रखा है। 20 सितम्बर 2006 को जो घटना घटी थी, अदालत के फैसले और एमसीडी का कार्यक्रम, के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थी। उसके बाद से समस्या गहराती जा रही है। इस समस्या का निदान ढूंढना इस हाउस का काम है। मल्होत्रा जी ने सभी बातों का जवाब दिया, लेकिन एक बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। इधर वालों ने भी कुछ नहीं किया और उधर वालों ने भी कुछ नहीं किया। ये दोनों एक-दूसरे को पूछते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन यह जवाब कोई नहीं देता है कि खुद क्यों नहीं किया। यह अजीब बात है। 30-40 साल तक दिल्ली में जो लूट चली, इसमें कांग्रेस और भाजपा के भ्रट नेतागण और भ्रट ब्यूरोक्रेटस शामिल रहे हैं। ये लोग इनको बोलते हैं, वे लोग उनको बोलते हैं, लेकिन कोई भी हल निकालने को तैयार नहीं है। यह एक सच्चाई है और यह दिल्लीवासियों को मालूम है।...(व्यवधान) आपके नेता भी इसमें हैं। किस-किस ने यह सब किया है, यह सबको मालूम है, अन्यथा इतने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी काम नहीं हो सकता है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please address the Chair, do not divert the speech.

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, सुप्रीम कोर्ट की मॉनीटरिंग कमेटी ने भी कहा था कि 14 तरह की चीजों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उस पर भी कार्यान्वयन नहीं किया गया है। मल्होत्रा जी ने जो कुछ भी कहा, उससे मैं सहमत हूं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक रास्ता सब लोगों को मिलाकर के निकालना चाहिए। मॉनीटरिंग कमेटी का औचित्य क्या है ? इसका हल सभी को मिलकर सोचना चाहिये।

महोदय, मास्टर प्लान के बारे में क्या कहा जाए? इस बारे में जितना कहा जाए, उतना ही कम है। मास्टर प्लान बार-बार बनाया जाता है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता है। सरकार को कम से कम यह तो वादा करना चाहिए कि नियत समय पर मास्टर प्लान बनेगा और उसको लागू किया जाएगा।

महोदय, मास्टर प्लान बनाने के लिए कोई भी ग्राउण्ड सर्वे नहीं किया जाता है। पहले 15 जोनल के सर्वे की बात थी, लेकिन 6 जोनल में ही हुआ था, बाकी में कुछ नहीं हुआ था। अब यदि कोई मास्टर प्लान बनता है तो उसके लिए कोई सर्वे नहीं

होगा केवल पेपर में ही कुछ प्लान बना दिया जाएगा और वह सही ढंग से समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। इन सभी पुरानी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में कदम उठाने की आवश्यकता है।

महोदय, दिल्ली के 70-80 प्रतिशत स्ट्रक्चर का निर्माण रूल्स को तोड़कर के किया गया है[r34]। आप ताज्जुब करेंगे कि 1641 अनोथराइज्ड कालोनीज़ जो हैं, उनमें 35 लाख अनोथराइज्ड लोग रहते हैं। 12 लाख झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, जिनमें 30 लाख अनोथराइज्ड लोग रहते हैं। 60 रीसैटिलमेंट कालोनीज़ हैं, उनमें 15 लाख अनोथराइज्ड लोग हैं। दिल्ली में 55 परसेंट लोग अनोथराइज्ड जीते हैं। यह कैसा गैरकानूनी शहर है, हमारा कैपीटल है, जो टोटली गैरकानूनी है। इस परिस्थिति से कैसे निकला जा सकता है, आज हमें बहुत गम्भीर रूप से इस पर चर्चा करनी चाहिए। यह जो अनियमितता है, इसको सही नियमों में बदलने का काम इस सरकार को जरूर करना चाहिए।

इसलिए हम वायॅलेशन देखते हैं, किस तरह रूल तोड़ा जाता है। एक तरफ जो जमीन का व्यवहार है, जमीन का व्य वहार जिस उद्देश्य से है, उस उद्देश्य से नहीं होता है। रेजीडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल एरिया है, इसका वायलेशन है और कितना सुनेंगे। पांच लाख में से सिर्फ एक लाख दुकान रैगुलर हैं, बाकी इर्रेगुलर जगह में हैं। सिर्फ 54 नर्सिंग होम्स रैगुलर प्लेस में हैं और 584 नर्सिंग होम्स गैरकानूनी हैं। यह तो गैरकानूनी शहर है। यहां कानून कहां है? हम यहां बैठकर कानून बनाते हैं, मगर सब कुछ गैरकानूनी है, इसलिए इसको सरकार को बहुत गम्भीर रूप से चिन्ता करनी चाहिए। ऐसी चीज नहीं चल सकती, कितने दिन तक चलेगी, किसको इसमें हम दोा देंगे? इसमें हम खुद भी दोाी होंगे। इसके पीछे कारण यही था कि जो हमें घर देने चाहिए थे, दुकानें देनी थीं, हम नहीं दे पाये। 20 लाख लोगों को ड्वैलिंग हाउस देने थे, हमने 10 लाख लोगों को दिये हैं। जितनी दुकानें देनी थीं, उनको सिर्फ 16 परसेंट दी हैं तो लोग कहां जाएंगे, जबकि इतने लोग यहां बढ़ते जा रहे हैं। बाहर से लोग यहां आ रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान के लोग दिल्ली में अपनी रोजी-रोटी के लिए आ रहे हैं और आकर बैठ जाते हैं। उनके लिए जो थोड़ा बहुत कमाने का साधन देना चाहिए, वह नहीं दे रहे हैं। 80 प्रतिशत दिल्ली का ग्रास प्रोडक्शन, दिल्ली का 80 परसेंट ग्रास एम्पलायमेंट इल्लीगल है, आप सोच सकते हैं। ये दोनों तरफ के लोग यहां एक इल्लीगल पहाड़ के ऊपर बैठकर भााण दे रहे हैं।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is the solution?

श्री हन्नान मोल्लाह : सोल्यूशन भी बताएंगे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, वह भी गलत थी। गवर्नमेंट की पालिसी जो डजिग्नेटिड कामर्शियल प्लेस थे, उसकी जगह आज पालिसी क्या हो रही है, वह सब को बचाने की नहीं है। यह अन्दर-अन्दर चला रहे हैं कि किस तरह एम.एन.सी. को दिया जायेगा, किस तरह मॉल्स को दिया जायेगा, किस तरह से बिग डैवलपर्स को दिया जायेगा। ये सारी बातें अन्दर-अन्दर चल रही हैं, बाहर एक दूसरी बात चलती है। यह अन्दर-अन्दर चल रहा है कि जो लुटेरे हैं, इसको कैसे लुटाया जाये। उसके अन्दर यह सब चलता रहता है। यह पालिसी तो बदलनी है। इस तरह जो हमारी छोटी दुकानें हैं, मझोली दुकानें हैं, छोटे-छोटे गरीब लोगों की दुकानें हैं, जो फेरी वाले लोग हैं, इन सब के लिए क्या होना चाहिए, इसको भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देकर सोचना चाहिए। सिर्फ मॉल्स बनाने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसके साथ-साथ जो इण्डस्ट्रीज़ नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में होती थीं, यह सब जब तोड़ दिया तो वे सब रीसैटिलमेंट कालोनीज़ के अन्दर जाकर गैरकानूनी रूप से घुस गये। इसलिए इसको भी सही ढंग से रीलोकेट करने का जो काम है, इसके बारे में भी सरकार को फैसला करना चाहिए।

सरकार ने तेजिन्दर खन्ना कमीशन बनाया था। उस कमीशन ने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं, मगर बहुत कुछ सुझाव हैं, जो दिल्ली शहर को प्राइवेटाइज़ करने के हैं, बहुत से सुझाव बड़े-बड़े मल्टीनेशनल प्रमोटर्स के हाथ में दिल्ली को सौंपने के सुझाव हैं। उस बारे में सरकार को सचेत रहकर दिल्ली को बचाने की योजना तैयार करनी पड़ेगी। जैसा मैंने बोला कि 79 रिच कालोनीज़ हैं, वहां आराम से लोग रहें, कुछ नहीं होगा। 295 मिडिल टाइप कालोनीज़ हैं। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Member, may I interrupt you? The subject of our discussion is "Regarding situation arising out of the ongoing sealing drive in Delhi".

श्री हन्नान मोल्लाह : यह सीलिंग के बारे में ही है। सीलिंग से जो समस्या पैदा हुई, उसके ये सब कारण हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब पुरानी समस्याएं बोलकर क्या होगा

इसलिए मेरा यही कहना है कि इसके पीछे का कारण भी यही है, यह सच्चाई है। इस भूमिका के ऊपर खड़े**श्री हन्नान मोल्लाह :** होकर सरकार को फैसला करना है कि किस तरह कानून को बदला जायेगा, कानून में परिवर्तन किया जायेगा

सरकार को फैसला करना है कि किस तरह से मास्टर प्लान को सही ढंग से बनाया जाएगा? कोर्ट ने भी हमारी सरकार को क्रिटिसाइज किया, मगर कानून को शट-डाउन नहीं किया। कानून को कोर्ट क्रिटिसाइज करें, यह क्या रूल ऑफ ला है? मेरा कहना है कि इस परिस्थिति में दिल्ली के लोगों को बचाना है, दिल्ली के गरीब लोगों को बचाना है, दिल्ली शहर को बचाना है, इसलिए हमको पहले सीलिंग बन्द करनी पड़ेगी। सीलिंग बन्द करने के लिए जो कानून चाहिए, उस कानून को बनाना पड़ेगा और उस कानून को नाइंथ शेड्यूल में रखना पड़ेगा, ताकि उसमें दखलन्दाजी करके कोई उसे बदल न सकें। ऐसा कानून सरकार को जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : कानून तो बनाया गया था।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में उसे नाइंथ शेड्यूल में रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं लैंड यूज पालिसी के बारे में कहना चाहता हूं, उसे मिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल लैंड यूज पालिसी के रूप में लाना पड़ेगा। कोई फिक्स रिजिड पालिसी इसमें नहीं चलेगी और सरकार को मिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल लैंड यूज पालिसी बनानी पड़ेगी। इसके साथ ही परिस्थिति, लोकलिटी तथा जनता की जरूरतों के मुताबिक ही यह करना पड़ेगा।

दूसरी बात, जो रेजीडेंशियल और नॉन रेजीडेंशियल हैं, वे डेजिगनेटेड हैं, उस जगह की किस तरह से परमीशन हो सकती है? एक चीज यह हो सकती है कि जहां पाल्युशन न हो, परमीशन देते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एप्रूव्ड बाई कम्युनिटी है, वहां लोकल लोग शिकायत करें, वहां परमीशन नहीं देनी चाहिये। ऐसा अप्रूवल लेकर हम परमीशन दें ।

तीसरी बात, लिस्टेड कैटगरी के लिए आप कुछ करिए कि कुछ जगह ये दुकानें हो सकती हैं और और इन जगहों पर इन्हें नहीं किया जाएगा, आप इस तरह की लिस्टेड कैटेगरीज बनाइए। अगर रेजिडेंशियल को नॉन रेजीडेंशियल एरिया में परमीशन देना है, तो इन तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। पाल्युशन की बात, कम्युनिटी के अप्रूवल की बात और कैटेगरीवाइज परमीशन देने की बात को ध्यान में रखकर ही पालिसी बनानी पड़ेगी। जो सत्तर प्रतिशत रोड रेजीडेंशियल एरिया में हैं और उसमें से जिनको कन्फर्म डिक्लेयर किया है, इसके अलावा और भी हजार ऐसी रोड्स हैं, उन हजार रोड्स को भी इसमें इन्क्ल्यूड करके कन्फर्मिंग एरिया में बदलना पड़ेगा।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि जो "लिस्टेड कैटेगरी टू फंक्शन फ्राम कामर्शियल एंड बिजनेस सेंटर्स" हैं, उसे लोकल कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी अलग-अलग स्तर पर कैटगरीज में बांटकर इनको परमीशन देना चाहिए। इसके अलावा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इन्डिस्क्रिमिनेटली ऐसी परिस्थिति पैदा न कर पाए। हमें यही सही ढंग से देखना पड़ेगा कि पानी और बिजली के लिए जितनी परमीशन है, उससे ज्यादा यूज करने वाले दुकान को परमीशन नहीं देना चाहिए। एक फिक्स रूल होना चाहिए कि वे इससे ज्यादा पानी या बिजली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, नहीं तो इसका गलत इस्तेमाल जिस प्रकार से व्यापारियों ने पहले किया, आगे भी करते जाएंगे। इसके साथ-साथ जैसा बताया गया कि हमारी 30 सितम्बर 2005 में जो परिस्थिति थी, अभी कैटेगराइजेशन के पहले उसको ध्यान में रखकर उसी जगह में खड़ा रहना है और जो चौदह सौ कालोनियों के रैग्युलराइजेशन की बात हुयी है, उसे भी करना चाहिए। पहले रिहैबिलिटेट करिए, फिर उसके बाद उनको डिस्प्लेस्ड करिए, नहीं तो डिस्प्लेस्ड करने के बाद रिहैबिलिटेट किया जाए, यह नहीं हो सकता। उन्हें कहां रिहैबिलिटेट किया जाएगा, वह इंतजाम करने के बाद ही रिप्लेसमेंट की बात होनी चाहिए और उनको नयी जगह शिफ्ट करना चाहिए। आने वाले दिनों में ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि कोई भी पालिटिशियन या ब्यूरोक्रेट इस कानून को तोड़े, तो उसके लिए कठोर सजा का बन्दोबस्त होना चाहिए, नहीं तो दस-बीस सालों के बाद फिर भ्रटाचार का शिकार बन करके दिल्ली में जो इल्लिगलिटी चल रही है, वह और बढ़ा जाएगी। यह सब ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करूंगा और जैसा कि रेड्डी जी ने कहा था कि जरूरत होगी, तो

हम कांस्टीच्यूशन अमेंडमेंट करेंगे। आपको जो करना है, बाहर मत कहिए। जो करना है, आप उसके लिए दृढ़ता के साथ फैसला करें और जहां-जहां रूकावट हो सकती है, उसका मुकाबलना करके आगे बढ़ने का फैसला करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी....(व्यवधान)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसके बारे में बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : वह परिस्थिति क्यों पैदा हुई और उसका सौल्यूशन क्या है, वह भी तो बताना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह एक मानवीय समस्या है। It is a humanitarian problem. यह केवल मड स्लिंगिंग है। यह उन्हें ब्लेम करते हैं और वह इन्हें ब्लेम करते हैं। इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। आज जो मैस है, उसके लिए न यूपीए, कांग्रेस बच सकती है और न एनडीए, भाजपा बच सकती है। समस्या क्या है, कोई समस्या का निदान नहीं चाहता। दिल्ली के चुनाव निकट हैं तो यह सोचते हैं कि कैसे कांग्रेस को हटाकर दिल्ली में हम गद्दी में आ जाएं, पूरी समस्या इतनी ही है। समस्या का निदान न मल्होत्रा साहब चाहते हैं और न सज्जन कुमार जी चाहते हैं, मैं श्री रेड्डी जी को नहीं कहूंगा।...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :पुराने साथी हैं।...(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : जब दिल्ली को पानी देना होता है तब इन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव याद आ जाते हैं। हमें बता रहे हैं कि हम राजनीति करते हैं। वहां इन्हें दिल्ली का कल्याण याद नहीं आता।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा-थोड़ा अच्छा है, हमेशा नहीं।

श्री रेवती रमन सिंह : यह लोग हमेशा बेचैन हो जाते हैं। गलत काम करते हैं तो उसकी सफाई देने लगते हैं।...(व्यवधान) दिल्ली देश की राजधानी है और हर साल लगभग पांच लाख लोग रहने और व्यापार करने के लिए दिल्ली आते हैं। उसमें बहुत बड़ा सैक्शन लेबरर्स, हॉकर्स का है। मुझे अफसोस है कि 1962 के बाद यहां का जो मास्टर प्लान बना, आप देख लें, आप कहते हैं कि मौजूदा सिचुएशन पर ही बोलिए, लेकिन सिचुएशन पैदा क्यों हुई। मास्टर प्लान 1962 में बना और 40 साल बीत गए लेकिन 40 साल बाद भी उसे लागू नहीं किया जा सका। जब 40 साल में मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ तो यह समस्या उत्पन्न होगी। मैं सरकार पर चार्ज करता हूं कि they are prisoners of indecision. यह निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। यह सोचते हैं कि क्या करें, क्या न करें, लेकिन सौल्यूशन का हल आज तक नहीं निकाल पाए। दूसरा मास्टर प्लान 1981 में लागू होना था। वह दस साल बाद 1990 में लागू हुआ। तीसरा मास्टर प्लान 2001 में लागू होना था, लेकिन 2006 समाप्त हो रहा है और जैसे अभी मल्होत्रा साहब ने कहा कि मास्टर प्लान कब लागू होगा तो संभवत: रेड्डी साहब ने कहा कि अभी इसका अता-पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो समस्या है, हम केवल मानवीय आधार पर यह क्यों नहीं कह सकते कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। दिल्ली में जो गड़बड़ियां हुईं, उसके लिए हम जिम्मनेदार हैं। It is a humanitarian problem and it has to be solved. रिहायशी इलाके में यह कह दिया जाए कि कोई दुकान ही नहीं रहेगी तो सब साउथ एक्सटैंशन में जाएं या क्नॉट प्लेस में आएं,

ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि मास्टर एक्ट को अमैंड करके यह प्रोवीजन रखना चाहिए कि जो हमारे रिहायशी इलाके हैं, कालोनियां हैं, उनमें भी छोटी-छोटी दुकानें होनी चाहिए ताकि वहां के लोगों को बाहर न जाना पड़े, वहां की जरूरतें वहीं पूरी हो जाएं। आज समस्या इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमैंट आई है, इनके स्पैशल प्रोवीजन एक्ट को उसने रोक दिया है। [MSOffice35]

ये कहते हैं कि इनवैलिड नहीं किया है, लेकिन मैंने कहा कि इनवैलिड कर दिया है। अगर इनवैलिड नहीं किया, तो उस पर रोक लगा दी जाये। यह बिल्कुल सच है। वह इनवैलिड के समान है। इसमें अभी केवल 18 हजार लोगों को ही रियायत मिली है। लेकिन अभी भी 44 हजार ऐसे लोग हैं जिनको रियायत नहीं मिली है। अगर यह जोड़ा जाये कि इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें 44 लाख लोगों की फैमिलीज और उन दुकानों में काम करने वाले 30-35 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। अब हम कह रहे हैं कि उसको अभी देखेंगे, करेंगे। आज जब सब दुकानें उजाड़ दी जायेंगी, तो आप उसमें क्या कर पायेंगे? आप उनको क्या रोक पायेंगे, क्या सुविधाएं दे पायेंगे?

मान्यवर, मुझे ताज्जूब है कि अभी सज्जन कुमार जी बता रहे हैं, जो कांग्रेस के सीनियर एमपी हैं कि जिन दुकानों को नीलाम किया जा रहा है, उसकी डेढ़- दो करोड़ रुपये फिक्स प्राइज है। जिन लोगों की दुकानें उजाड़ी जा रही हैं, वे लोग कहां जायेंगे? छोटा दुकानदार डेढ़-दो करोड़ रुपये फिक्स प्राइज कैसे देगा? क्यों नहीं आप यह प्रोविजन करते कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो उजाड़े गये हैं, उनको हम दुकान फिक्स रेट पर दुकानें दें। अगर कमर्शियल रेट पर आप दुकान देंगे, तो वे कहां से उसे खरीद सकेंगे। मैं यह चाहता हूं कि इस पर बजाय पोलिटिकल मड्स स्लीगिंग हो, यह हाउस एक एक्ट पास कर और वह एक्ट यह होना चाहिए जैसा हन्नान साहब ने कहा कि इसको नाइंथ शैड्यूल में रखा जाना चाहिए जिससे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसे चैलेंज न कर सके, इनवैलिड न कर सके, अल्ट्रावाइस न कर सके तभी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। मानवीय आधार पर इसे 31 जनवरी तक टाइम मिला है। यह टाइम अभी एक महीने में निकल जायेगा उसके बाद इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा? इसके बाद फिर सीलिंग चालू हो जायेगी। यह सीलिंग तत्काल रोकी जानी चाहिए। इसका सॉल्यूशन यह है कि हमें दिल्ली को अच्छा बनाना है लेकिन ह्यूमन प्रौब्लम्स से हमें दिल्ली को अच्छा नहीं बनाना है। अगर हमें दिल्ली को अच्छा बनाना है तो हमें यूपी से सबक लेनी चाहिए। आज ग्रुप्स आफ मिनिस्टर्स में कपिल सिब्बल जी बैठे हुए हैं। ग्रुप्स आफ मिनिस्टर्स में भी डिवीजन है। उनमें एक मत नहीं है क्योंकि यह सब जानते हैं कि सीलिंग चालू होगी, अरे सज्जन कुमार जी आप तो उसमें हैं नहीं, फिर काहे आप सफाई दे रहे हैं। गुप्स आफ मिनिस्टर्स के लोग जानते हैं, जो दिल्ली से एमपी हैं, कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो अगली बार वे लोग लोक सभा का मुंह नहीं देख सकेंगे। जैसे ये लोग सड़क पर घूम रहे हैं, एक बेचारे मल्होत्रा साहब चुनकर आ गये हैं, माकन साहब, वही हालत आपकी होने वाली है। आज आप यहां हंस लो।

मान्यवर, आप सोचिये कि एक बार हिन्दुस्तान पाकिस्तान बना। पाकिस्तान से सब लोग उज़ड़ कर दिल्ली में आये। काफी संख्या में लोग दिल्ली में बसे। आज आप उनको भी फिर से उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम वार लड़ रहे हैं और ये कोई विदेशी आये हुए हैं जिनको उखाड़कर इस देश से हमें बाहर करना है। कपिल सिब्बल साहब, आपको इस पर कुछ स्टैंड लेना चाहिए। आपको प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि कोई मिनिस्टर पब्लिकली नहीं बोलेगा। आप नहीं बोलोगे, तो ठीक है मत बोलिये। लेकिन आपको पब्लिक आपको माफ करने वाली नहीं है। आप यह बात समझ लीजिए। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI KAPIL SIBAL): Mr. Speaker, Sir, this is completely wrong. He has attributed a statement to the Prime Minister. I do not understand how my learned friend has any knowledge of it. This is absolutely false. Nobody has ever stated that and I do not think he should bring the Prime Minister or anybody else into it. We are discussing a very serious issue and I hope he addresses it with the kind of seriousness it deserves instead of making statements of this nature.

MR. SPEAKER: He has clarified it.

श्री रेवती रमन सिंह : इन्होंने क्लेरीफाई कर दिया है लेकिन सही बात नहीं कही है। मुझे इस बात का अफसोस है।

MR. SPEAKER: That will not go on record.

*(Interruptions)** ...

SHRI REWATI RAMAN SINGH : Sir, I am a responsible Member. I read it in the newspaper and if it was reported wrongly, what can I say about it? But I read it in a newspaper and it was reported in the newspaper.

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने जो बात उठायी है, उन्होंने उसका जवाब दे दिया है।

श्री रेवती रमन सिंह : अब आप यह देख लीजिए कि लगभग सात लाख ट्रेडर्स और 30 लाख उनके कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसी के साथ जो 1962 में पहले तिब्बतन लोग यहां आकर बसे हुए थे, उनका भी आज डिसप्लेसमैंट किया जा रहा है। [MSOffice36] मान्यवर, वे दूसरे देश से आए हुए मजबूर लोग हैं जिन्हें भारत सरकार ने यहां पर बसाने का काम किया है, उन्हें सुविधा दी। आप इस समस्या के लिए जो हल निकाल रहे हैं, उसमें कम से कम उन लोगों को आप प्राथमिकता दीजिए। इन लोगों को उजाड़ा न जाए, यह आप सुनिश्चित करने का काम कीजिए। इसी के साथ लगभग 30,000 नर्सिंग होम, 1,700 डाक्टर्स, लगभग 2,000 सेकेण्डरी स्कूल्स, 1,500 कम्प्युटर ट्रेनिंग सेन्टर्स, 600 प्ले स्कूल्स, 800 गेस्ट हाउसेज आदि इससे प्रभावित हो रहे हैं। जो स्टेट लैण्ड है, अगर उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है तो उसे खाली करवाने पर किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता है। आप लोगों से पिछले 40 सालों से बिजली, हाउस टैक्स, सेल्स टैक्स आदि टैक्सेज ले रहे हैं। जहां पहले 6 करोड़ रूपए टैक्स मिलते थे, वहीं आज 6,000 करोड़ रूपए मिल रहे हैं, उसके बाद भी आज कह रहे हैं कि उनको उजाड़ दिया जाए और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप पार्लियामेंट के मेम्बर नहीं हैं तो क्या यह मान लिया जाएगा कि आप पार्लियामेंट के मेम्बर नहीं हैं? यह कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है इस बहस का कोई मतलब तभी निकलेगा जब आप इस सदन को इस बारे में एश्योर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आज ही इस हाउस में इसका कोई सोल्युशन निकले और मैं श्री हन्नान मोल्लाह जी की इस बात से सहमत हूँ कि इसे संविधान की नवीं अनुसूची में डालकर आज ही पार्लियामेंट एकमत होकर इस समस्या का समाधान निकाले।

---

* Not recorded

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो सीलिंग अभियान चला और खासकर जो तोड़-फोड़ की कार्यवाही हुई, उससे लगभग 50-55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के लिए मास्टर प्लान वर्ा 1962 में बना था, उसके बाद वर्ा 2001 में मास्टर प्लान बनना चाहिए था। उसके नाम पर न्यायपालिका द्वारा जिस तरह का रूख अपनाया जा रहा है, उससे ही यह सारी समस्या खड़ी हुई है। समय-समय पर न्यायपालिका ने कार्यपालिका को, विधायिका को अपने कंट्रोल में ले लिया। पता नहीं भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन में सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं, आप स्वयं जानते हैं। मैं इतना जरूरत कहूंगा कि इससे काफी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। क्या इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी, क्या कार्यपालिका का कोई अधिकार रहेगा या नहीं, क्या विधायिका अपने काम स्वतंत्र रूप से कम पाएगी या नहीं? सभी क्षेत्रों में आज न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो रहा है। यह हस्तक्षेप जिस तरह से हो रहा है, वह उचित नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 122 की विभिन्न उपधाराओं में न्यायालय द्वारा लगातार हस्तक्षेप किए जाने से दुनिया

के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में की संसदीय प्रणाली ही संकट में पड़ गयी है। इस सीलिंग से जुड़े हुए मामले में मैं कुछ बुनियादी सवाल उठाना चाहूंगा। क्या संसदीय प्रणाली के काम करने पर ही प्रश्नचिन्ह उठ गया है क्योंकि दिल्ली नगर निगम द्वारा ब्युटीफिकेशन के नाम पर, मास्टर प्लान के नाम पर सीलिंग लागू किया जाना है।[H37]

मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इसी संसद में 12 [R38]मई, 2006 को शहरी विकास मंत्री जी द्वारा पेश किए गए दिल्ली स्पेशल प्रबन्धन बिल को पारित किया गया था। हमारे मित्र सज्जन कुमार जी बहुत जोर से अपनी बात को कह रहे थे कि नोटिफिकेशन चल रहा है। वह इस समय सदन में नहीं हैं, लेकिन अपनी बात कहते हुए इस बात पर काफी बल दे रहे थे। साहित्यिक अर्थ में देखा जाए तो नोटिफिकेशन खत्म नहीं हुआ, लेकिन यह देखने की बात है कि इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इस ि वचार करना होगा। उसे मना कर दिया गया है, अधिसूचना को रद्द नहीं किया अदालत ने, यह बात तो आपकी दुरुस्त है और मैं इसे मानता हूं, लेकिन इम्प्लीकेशन क्या हुआ, यह भी तो देखें। किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं, इसे भी देखना होगा। केवल तकनीकी दृटि से यह बात कहना कि नोटिफिकेशन रद्द नहीं हुआ, सही नहीं है। जो लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी भावनाओं को नहीं देखा गया, प्रमाणित नहीं किया गया और कह दिया गया कि नोटिफिकेशन जारी है। मैं भी मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया, लेकिन हकीकत हम सभी जानते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश के सामने, संसदीय लोकतंत्र के सामने, पूरे प्रजातांत्रिक सिस्टम के सामने पैदा हुई है और एक बुनियादी सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है। न्यायपालिका का जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है, जिस तरह से लक्ष्मण रेखा रोज-ब-रोज लांघी जा रही है, मैं समझता हूं कि वह कार्यपालिका और विधायिका की स्वायत्तता पर भी प्रहार है। हम यह नहीं कहते कि न्यायपालिका को आटोनोमस स्टेटस न दे, वह पूरी तरह से स्वायत्त है, लेकिन क्या सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका ही है। वह अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च है। क्या संसद को अपना काम करने की इजाजत नहीं है या कार्यपालिका को अपना काम करने की इजाजत नहीं है, सबको अपना-अपना काम करने की इजाजत है और सभी अपनी-अपनी जगह सर्वोच्च हैं। इसलिए सभी को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो संविधान की धारा 122 के तहत संविधान की भी मंशा है। इसलिए एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए एक दूसरे की मर्यादा को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, यह सवाल आज हमारे सामने है।

दिल्ली में तोड़-फोड़ जारी है। इसका मैं बाद में उदाहरण दूंगा कि दिल्ली नगर निगम में क्या हो रहा है, इसको जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे सामने है।

न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की सीमाओं का निर्धारण संविधान के द्वारा तय है, लेकिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग के लिए अपनी तरफ से एक निगरानी समिति बनाई है। उसमें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की है कि वह समिति निर्देश दे सकती है। उसने इस निगरानी समिति के सारे काम तय कर दिए। इसके सदस्यों की तनख्वाह तय की कि हर सदस्य को 30,000 से 35,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। उसके सदस्यों के लिए ऑफिस का भी प्रबंध किया और सदस्यों के लिए गाड़ी की भी व्यवस्था की। सारे कार्यपालिका के काम, जो कार्यपालिका के फंक्शंस थे, उन्हें अपने हाथ में ले लिया। दिल्ली में एक इंडिया हैबिटेट सेंटर है।...(व्यवधान) अंग्रेजी पढ़े-लिखे दो प्रतिशत लोग कितने बढ़िया तरीके से इसे उच्चारित करते हैं। ...(व्य वधान) मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, अंग्रेजियत के खिलाफ हूं। अंग्रेज तो देश छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजी और अंग्रेजियत हमें दे गए। इसलिए मैं अंग्रेजी के नहीं, बल्कि अंग्रेजी कल्चर के खिलाफ हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप विाय पर बोलें। par

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं विाय पर ही बोल रहा हूं। मेरे पास एमसीडी की चिट्ठी है। उसमें कहा गया है कि इस निगरानी समिति का कार्यालय इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा और यह भी जिक्र है कि इसके सदस्यों को गाड़ी दी जाए। कार्यपालिका के स्क्रूटनी के कामों को न्यायपालिका ने कंट्रोल करके न्यायपालिका खुद कार्यपालिका का काम कर रही है, मंत्रालय का काम कर रही है। मंत्री जी जितना भी कहें कि नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया गया, वास्तिकता कुछ और ही इससे झलकती है। अगर मैं कोई असत्य बात कह रहा हूं, तो मुझे कहें। यह कोर्ट का निर्देश है, मैंने इसे देखा है। यहां पर विद्वान मंत्री जी विराजमान हैं, वह भी जानते हैं। इसलिए निगरानी समिति के सदस्यों की तनख्वाह फिक्स करना और न्यायपालिका के द्वारा निगरानी समिति के सभी सदस्यों को गाड़ी उपलब्ध कराना क्या साबित करता है।[R39]

यह आदेश दिया गया और यहां तक कि ऑल-इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यालय स्थापित करना, यह क्या हो रहा है? एमसीडी दूसरी तरफ अपने छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकती है। उस एमसीडी को निर्देश दिया जाता है कि आपको यह काम करना है। माननीय मल्होत्रा जी यहां अभी नहीं हैं। मल्होत्रा कमेटी की अनुशंसा को किसी ने नहीं माना, ऐसा वह बोल रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, इसका दोा एक तरफ से नहीं है, किसी एक सरकार, पार्टी या सत्ता-विपक्ष का नहीं है। अगर सच्चाई को सामने रख दिया जाए तो सभी लोग नंगे हो जाएंगे क्योंकि सब जानते हैं कि मल्होत्रा कमेटी की अनुशंसा को किस सरकार ने नहीं माना। कौनसी सरकार थी जिसने मल्होत्रा कमेटी की अनुशंसा को नहीं माना। ये लोग विकास और मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। ये मॉडर्नाइजेशन का नया खेल चला रहे हैं। एमसीडी के एक्ट में सीलिंग का प्रॉविजन है और जब तक यह एक्ट एग्जिस्ट करेगा,* ......

डीडीए के एक्ट में सीलिंग का प्रॉविजन नहीं है लेकिन एमसीडी में सीलिंग का प्रॉविजन है। क्या संसद को अधिकार नहीं है कि वह प्रॉविजन लाए, कानून बनाए, केवल इस का रोना रो रहे हैं कि कानून गलत बना हुआ है। नोटिफिकेशन रद्द नहीं हुआ है, ऐसा कहते हैं और इधर उनका इम्प्लीकेशन देख लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संसद को अधिकार है और आज इस बहस में एक नतीजा निकलना चाहिए और संसद को अपने अधिकार का प्रयोग करके इस सीलिंग एक्ट को खत्म करना चाहिए। एमसीडी के सीलिंग एक्ट को अमेंड करके वापस लेना चाहिए। माननीय हन्नान मोल्लाह साहब ने भी कहा कि इसे नौवीं अनुसूची में भी डाला जाना चाहिए।

बेरोजगारी की समस्या होते हुए भी आज बड़े-बड़े मॉल खोले जा रहे हैं। अमरीका की तरह दिल्ली को बनाने का सपना लोग देख रहे हैं। सपना तो लोग रात में देखते हैं, ये लोग देश को अमरीका बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुराने एक्ट को खत्म किया जाए। मैं एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। एक एक्ट सीलिंग के अलावा और बना हुआ है जिसमें साइकिल-रिक्शा की भी सीलिंग हो रही है। माननीय मल्होत्रा जी इस बात को नहीं समझ पायेंगे। करीब 10 लाख साइकिल-रिक्शा आरटीएल रोड, चांदनी चौक पर नहीं चलेगा, ऐसा एक पत्र निकला है। कहा गया है कि प्रदूाण रोकना है जबकि

---

* Not recorded

साइकिल-रिक्शा तो तेल बचाता है और प्रदूाण रोकता है। भारत सरकार का अभियान है कि तेल बचाओ क्योंकि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तेल बचाने वाली गाड़ी जो है रिक्शा उसी को बंद कर दो। एक आदमी आस्ट्रेलिया में यहां के रिक्शे का डिजाइन ले गया और नये डिजाइन के अनुसार रिक्शे को हल्का बनाया और वहां रिक्शा चला रहा है। यहां यह मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: सीलिंग का जो कानून है उसे कौन लागू करेगा, यह प्रश्न है, इस पर बोलिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी सर। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि न केवल इस सीलिंग एक्ट को वापस लिया जाए बल्कि आज भी रिक्शे का लाइसेंस जो अंग्रेज के जमाने में था क्योंकि ब्रिटिश सल्तनत में घोड़ा-गाड़ी चलता था। दिल्ली में चलता था और लखनऊ में भी नवाब लोग घोड़ा-गाड़ी पर चलते थे। भारत में 500-600 रियासतें थीं जो अभी 26 राज्यों में बंटा हुआ है। उस समय घोड़ा-गाड़ी और तांगा चलता था। लाइसेंस उस समय घोड़े का डाक्टर देता था लेकिन आज भी अध्यक्ष महोदय, रिक्शे का लाइसेंस एनीमल का डाक्टर दे रहा है। आप इस कानून को वापिस ले लीजिए। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसे वापिस ले लीजिए। आदमी ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है और घोड़े के डाक्टर से लाइसेंस लेता है। रिक्शा चलाने वाला, रेहड़ी चलाने वाला आदमी है वह घोड़ा नहीं है। हमने कहा है कि 11तारीख को संसद को इस मसले पर घेरो, या तो कानून बदलेगा या हम

लोग वही घेरा डालेंगे। आखिर कानून को तो बदलना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कारपोरेशन का जो एक्ट है उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, मैं एक और बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सीलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनाधिकृत कॉलोनी है या कमर्शियल उपयोग जमीन का लोग कर लेते हैं। लेकिन मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि आखिर इस सीलिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? दिल्ली में इसकी आड़ में गैर-कानूनी काम हो रहा है। इस सिटी को आप अमरीका बनाना चाहते हैं। जो सिटी में कंजैशन है उसको लोग हटाना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि प्लॉन कौन बनाता है, प्लॉन तो अधिकारी लोग बनाते हैं। पांच साल का प्लॉन बनाने में प्लानिंग कमीशन और मंत्रालय का और ऑफिसर्स का योगदान है।

15.50 hrs (Shrimati Krishna Tirath in the Chair)

सभापति महोदया : आपके 10 मिनट थे लेकिन आपको बोलते हुए 13 मिनट हो गये हैं। [r40]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदया, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। आपके क्षेत्र करोलबाग को मैं जानता हूं। एक महीने में मैं पूरी दिल्ली को छान लूंगा और यहां से निकलूंगा तो मेरा यही काम होगा कि कानून बदलता है कि नहीं बदलता है। मैं इस विाय पर लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी तो मैं यहां प्रदर्शन करुंगा। इसी विाय पर मैं लग गया हूं।

सभापति महोदया: देवेन्द्र जी, मैं यह कह रही थी कि आपके 10 मिनट थे लेकिन आप 14 मिनट ले चुके हैं। इसलिए आप जल्दी समाप्त करें। इस बारे में और भी बोलने वाले हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैडम, आप भी इस समस्या से अपने क्षेत्र में प्रभावित हैं, आप भी वहां जाती होंगी तो झगड़ा होता होगा। गरीब की आवाज हो तो थोड़ा अधिक समय देना चाहिए। हम तो गरीबों के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि यह जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसका क्या कारण है? इसका जवाब है कि गांव में जॉब-ऑरिएंटेड काम नहीं हैं। माननीय रेड्डी साहब का एक बयान तीन-चार दिन पहले अखबार में मैने पढ़ा था। उन्होंने बुनियादी बात को रखा था कि जब तक गांव में रोजगार नहीं होगा, तब तक दिल्ली में कंजैशन बढ़ता रहेगा और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए आदमी दिल्ली आता रहेगा।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : हम भी वहीं से आते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : गांव की आबादी का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। एक ही शहर में नहीं, मुम्बई में भी बिहार के लोग भरे पड़े हैं, चालीस लाख लोग अकेले मुम्बई में हैं। दूसरे शहरों जैसे चंढीगढ़ में हैं, अहमदाबाद में हैं, कर्नाटक में हैं बंगलौर में है और दिल्ली में हैं। गांव में जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक बड़ती हुई आबादी का भार शहरों को झेलना होगा। इसलिए उस आबादी को रोकने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। डीडीए और एमसीडी का ध्यान इन लोगों की ओर नहीं गया है।

सभापति महोदया: आप सीलिंग से संबंधित बात कीजिए। सीलिंग को कैसे रोका जाए और लोगों को कैसे राहत दी जाए, वह बताएं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सोशल वैलफेयर ऑरगेनाइजेशन्स ने कोर्ट में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ रिट दायर की है, तब सबकी नींद खुली है। उससे पहले एमसीडी और डीडीए सोई रही और सरकार ध्यान भी उतनी प्रीओरिटी से उस ओर नहीं गया। किसी की भी सरकार रही हो लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। आज बड़े-बड़े मॉल बनाने पर ध्यान जा रहा है और कहा जा रहा है कि इकोनोमिक ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। किसकी इकोनोमिक ग्रोथ आप बढ़ाना चाहते हैं, जो इस देश में कालाबाजारी करते हैं, जो कालाधन रखने वाले लोग हैं और जो मॉल बनाने वाले लोग हैं। इस देश में 83 हजार मिलिनियर्स हैं।[r41]

सभापति महोदया गरीबों को सीलिंग से कैसे राहत मिलेगी, वह बात करिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव आप सच्चाई को समझो। मैं गरीब के विाय में बोल रहा हूं। मॉल में गरीब का क्या काम है? "तेरे अंगना में मेरा क्या काम है" 10 लाख से ज्यादा जिस की आमदनी होगी उन लोगों को इन मॉल्स में जाना है। मॉल के अन्दर समाज के अन्तिम आदमी का कोई स्थान नहीं है। महोदया, आप जिस पार्टी में है, आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकती हैं। गांधी जी द्वारा बताए अंतिम आदमी का इन मॉल्स में कोई स्थान नहीं है। गांधी जी द्वारा बताया गया अंतिम आदमी कौन हैं? रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे दुकानदार, रिक्शा चलाने वाले और खेतिहर मजदूर, ये सब समाज के अंतिम आदमी हैं। आज उनके लिए क्या हो रहा है? यह एक बुनियादी सवाल है। आप 10 गुना अधिक कीमत पर मॉल बना देंगे और वहां बड़ी-बड़ी दुकानें बना देंगे। क्या गांधी जी द्वारा बताए अंतिम आदमी कोई एक भी दुकान वहां खरीद सकेंगे? उनके दाम 10 करोड़ हैं। वे इतनी कीमत में कभी भी दुकान खरीद नहीं पाएंगे। आर्टिकल 19 के तहत जिन लोगों को व्यापार करने का अधिकार है, उनके ऊपर सीलिंग के द्वारा चोट पहुंचायी जा रही है।

पूरी दिल्ली में 1662 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां हैं जिन में 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। आज उनको बेघर किया जा रहा है। उन अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में न बिजली है, न पानी है और न ही शिक्षा का प्रबन्ध है। आपने कोई वैकल्पिक व्य वस्था नहीं की थी इसलिए वे लोग वहां बस गए। आपने उनसे बिजली, पानी के बिल के पैसे लिए और रोड टैक्स लिया। अब उनसे कहा जा रहा है कि यहां से भाग जाओ। लोकतंत्र बचेगा या नहीं? आधुनिकीकरण और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर तथा बढ़िया सिटी बनाने के नाम पर ये काम हो रहे हैं। देश में ब्यूटिफिकेशन किस के लिए हो रहा है? केवल 5-10 परसेंट लोगों को खुश करने के लिए ही ये सब हो रहा है। 90-95 परसेंट गरीब लोगों की ब्यूटिफिकेशन के नाम पर रोजी-रोटी छीनी जा रही है। क्या इसे रोकने के लिए सरकार कानून नहीं बनाएगी? सरकार को इस पर दृढ़ता और मजबूती से सोचना चाहिए। कोई भी गरीब आदमी यह दुकानें खरीद नहीं सकता है। सरकार एक परसेंट लोगों की चिन्ता छोड़ कर गरीबों के बारे में सोचे। जितनी अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां हैं, उनके बारे में एक प्लानिंग बना कर उन्हें रैगुलराइज्ड करे और परमिसिबल रिलैक्सेशन देने के लिए प्लानिंग बनायी जाए। एक प्लानिंग बना कर पूरी तरह छोटे-छोटे गरीब लोग जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में रहते हैं, उनको समाहित किया जाए। एमसीडी के कानून को संशोधित किया जाए। एमसीडी के सीलिंग कानून को तुरन्त खारिज करना चाहिए और संसद के जरिए एक नया कानून बनाना चाहिए। संसद को कानून बनाने का अधिकार है ताकि किसी गरीब की कहीं भी रोजी-रोटी छीनी न जा सके, किसी छोटे दुकानदार की दुकान कहीं स्थानांतरित न की जा सके। यह अंग्रेजों का शासन नहीं है। आजादी को 58 साल हो गए हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कानून में परिवर्तन किया जाए और इसे नौंवे शेडयूल में डाल दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Madam Chairperson, we are discussing this matter for the third time in the House. The hasty manner in which the Delhi Laws (Special Provisions) Act 2006 was passed, which placed one year moratorium on the demolition of unauthorized construction and sealing of commercial establishments in the residential areas in the Capital, it was anticipated to be rejected by the Supreme Court. We had rightly anticipated and apprehended at the time of debate that this Bill would be rejected. This Act has been rightly rejected by the Supreme Court. But the hon. Minister has assured in this House that there is nothing to be worried and there is no alarming situation.[MSOffice42]

16.00 hrs[MSOffice43]

He also assured that there would be no difficulty and this Act would not be rejected by the Supreme Court. But what has happened now? Ultimately, the Supreme Court has rejected this legislation. Our apprehension at that time was correct. The hon. Minister and the Government should have taken sufficient precaution to see that this Act would not be rejected by the Supreme Court. The Apex court has described the Act as fully void and illegal. The Bench has also observed that it was a pure and simple legislation aimed at overruling the orders of the court. This is an embarrassment to the House. Yes. I am just quoting.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Tripathyji, it was an observation and not a judgement. Please appreciate the distinction between an observation and a judgement.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Of course, this is an observation. But this is a stricture to the House itself. This is an embarrassment to the House. We have passed an Act on which the Apex court in the country has told that this is overruling the order of the court. This is not at all a healthy situation. But, we had been assured by the hon. Minister and he had expressed his confidence about the legality of the law.

Madam, this has not been done for the first time. After the UPA Government has come to power, thrice the Acts passed by this supreme legislative body, the Parliament, have been rejected. This is the third time. It is also happening in this Government. We were supporting this legislation because it is for the poor people. But it is rejected by the court. The Government is responsible for this. They are putting the entire Parliament in embarrassment.

The manner in which the Centre has tried to subvert the demolition and sealing drive reflects very poorly on itself. A few months ago, it ordered that the sealing of premises need not resume as it intended to seek a six-month stay on this from the Supreme Court. Having filed an application in the court to this effect, the Centre suddenly withdrew it without informing the court about its plan to introduce this legislation. What was the difficulty? When you withdrew your application in the Supreme Court, why had you not informed the Supreme Court that you are going to have such a legislation? Now, you are responsible, the entire Government is responsible for the rejection of this Act. There was no business on the part of the Government, when your appeal was in the Supreme Court and you were seeking six months' time, what was the necessity to withdraw that application from the Supreme Court? If you withdrew that application, why had you not informed that the intention of the Government was to make a legislation? You should have informed the court. But you have not informed anything. Suddenly you came with a legislation and the court has rejected this Act.

There is no doubt that the Parliament is supreme. In legislative matters, in law-making affairs, the Parliament is supreme and nobody can challenge it. But the tendency of the Executive to circumvent the court order through an introduction of a legislation is a unhealthy feature for democracy. There should not be a tendency of the Executive always to subvert the order of the Supreme Court. That is a bad tendency. It is not a healthy tendency in democracy. So, the Government should also learn not to go with such type of legislation when court has already passed an order.

Madam, everybody wants Delhi to be a model city. Nobody wants otherwise. Everybody wants that Delhi is to be a model city for the country. For this purpose, a new Master Plan is required to be notified under the Delhi Development Act, 1957 in order to provide for the needs of the increasing population. . … (*Interruptions*)

मॉडर्न सिटी तो बनेगी।…(व्यवधान) It is for everybody. It is to be prospectively from 2021. This delay in finalizing and notifying the new Master Plan for Delhi has put immense difficulties to the slum dwellers staying in *jhuggis and jhonpris*, the street vendors who are about two lakh people in different parts of Delhi and lastly the commercial premises operating from the capital's residential areas. [MSOffice44]

At present, this sealing is affecting about 30,000 commercial establishments and has resulted in making about one lakh people jobless. *In toto*, this will affect about seven lakh families and 30 lakh people including employees if, at all, sealing is done in entire Delhi. For all these miseries of the affected people and the inconvenience caused to the public in general, the Government of India is primarily and solely responsible. The timely review and modification of the new Master Plan could have been done by the Government of India. Also, the Master Plan has not yet been finalised and notified.

There is a flush of flood like situation of unemployed people in Delhi and other urban areas of the country. This is an alarming situation. Now it will become more serious in future because people are rushing to urban areas from rural areas. It will result in shortage of water, dwelling units, electricity, food etc. These people will need hospitals and educational facilities for their children. There will be need for shopping complexes and other amenities.

MADAM CHAIRMAN : Kindly give your suggestions only regarding this issue.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : I am just giving my suggestions. This has resulted now and this will also happen in future. Hence, I would like to know from the hon. Minister when the prospective Master Plan will be complete, and will be notified. He should inform the House as to when it will be notified. He has taken two months' time since it was debated last time. Now, two months have passed. How much more time will he take to just finalise this Master Plan? That is the primary thing which is needed by the court. If you do not finalise the Master Plan, whatever legislation you pass, it will be declared void by the court. Otherwise, you bring a legislation and place it under Schedule IX of the Constitution so that it will not be rejected by the court. We are also interested to help the poor people. We are also interested to help those who have been living in *jhompris* and *jhuggis.* We are interested in the welfare of the unemployed people. If the Government is serious to rescue these people, to help these people, it should come with a legislation and put it in Schedule IX so that there will be no interference by the court. Otherwise, they should tell us when the Master Plan will be finalised by the Government.

Madam, the Government should come out with a solution to this problem immediately because today this has happened in Delhi and tomorrow, it will happen in other urban areas also. Mumbai is also facing the same difficulty. All the urban areas of the country are facing the same difficulty. So, the Government should also have a prospective planning as to how to come out of this

problem and crisis in the urban areas. Otherwise, this will happen at other places also and the courts will interfere at all places. There will be Public Interest Litigations and the High Courts and other courts will interfere. What has happened in Delhi today will tomorrow happen in all other urban areas of the country. So, the Government should come out with their future planning, their perspective planning so that the influx of unemployed people, those who are coming to urban areas, are reduced. The Government should provide more employment opportunities in the rural areas so that the people will not be intending to come to urban areas. That is needed now.

Whatever they are propagating, they are not doing that practically in the field and they are not providing employment in rural areas. That is why, people are coming to urban areas for earning their livelihood, for their employment and to improve their lives. This is the real situation that is happening in Delhi. You should also have your own planning to come out of this problem.

MADAM CHAIRMAN: Hon. Minister will give reply at the end of the debate.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : My request is that the Government should tell us when this Master Plan will be completed and what is the Government's thinking in solving this problem in Delhi and other areas of the country?

SHRI JAGDISH TYTLER (DELHI SADAR): Thank you, Madam. I have been waiting for a very long time to speak on this subject which is very dear to us, the people who belong to Delhi.[s45]

It is especially so for people like us who belong to Delhi. I am speaking on behalf of hundreds and thousands of traders who have suffered because of wrong planning; who have suffered because of sealing; who have suffered because of the children not having gone to the schools; who have suffered because of they were not being able to pay back the money to the banks; who have suffered because they stopped getting credit from the other States; who have suffered because the kitchens are cold; and who have suffered because they have really cried as they lost their close ones. One cannot imagine the kind of suffering that these people have gone by.

There is an Act, namely, the Delhi Development Act, 1947, which came into force in 1957. I just want to quote something from this. This is for those people who have violated the Master Plan. There is a provision under the authority regulations under Section 57 sub-clause (f) of the Act, which provides terms and conditions subject to which "the users of the land buildings in contravention of the plans may be continued."

The Delhi Development Authority formulated the Delhi Development Authority (Zoning) Regulations in 1983, which came into force with effect from 18 January 1986. Clauses 11, 12, 13 and 16 provide the terms and conditions under which one can use the land and buildings for commercial use in contravention of the Plan. Why this clause was not used for those four lakh people who had used the residence for commercial use, which we allowed or they allowed or all political people allowed or the Governments that were in power at that time allowed or the

authorities at that time -- whether it was DDA, the MCD or anybody else -- allowed? They took taxes from them; fined them; and put those people in jail those who could not pay the taxes. Now, when they have paid something to the tune of over Rs. 90,000 crore, you have asked them that we will lock you up or we will close your buildings, and we will see to it that you are ruined. Who is responsible for it?

I am very glad that Shri S. Jaipal Reddy and Shri Ajay Maken -- a young man from Delhi -- have done everything possible under the sun, and under the law to protect them. But, unfortunately, something went wrong somewhere. I do not want to blame for it, and I do not want to again have a dialogue with the Opposition or ourselves that we are wrong or they are wrong. Actually, we are all in wrong. We have ruined the people of Delhi because we are politically responsible for them.

The sealing was done in Kamla Nagar, Jawahar Nagar, Sadar Bazar, Bara Hindu Rao, etc. Why did anybody dare go there, and close their shops when according to the first Master Plan 1962 and the Second and the Third Plans, Kama Masjid, Chitli Qabar, Bazar Sita Ram, Ajmeri Gate, Chandni Chowk, Fatehpuri, Lajpat Rai Market, Kashmeri Gate, Mori Gate, Malka Ganj, Subzi Mundi, Bara Hindu Rao, Sadar Bazar, Nabi Karim, Qadam Sharif, Ram Nagar, Paharganj, Model Basti, Manakpura NS, Shahdara Town, Jhandewalan Scheme – Block E, etc. were all in the Master Plan. Who is responsible for them? Why did these authorities go to them? I would like to ask this from them. Why were they destroyed? Nobody seems to answer it. Some of these areas fall in my area, and we pleaded with these people that under the First Master Plan these were cleared, and they are known as commercial areas.

There was a Commissioner, Mr. Wilson, at the time of British Raj. He was asked by the Viceroy to go and see Pahaadi Dheeraj, Bahadurgarh Road, and at that time it was declared as commercial, that is, in 1928. Now, these people are coming and sealing the place and saying that you are using it commercially. According to the DDA's Plan, the roads are shown as 60 feet, but according to the Plans of the British time, the roads are shown as 40 feet. This is the kind of map we have, and the kind of plans we have. The MCD Commissioner apologized when I showed these original maps, but the shops had already been sealed.[r46]

They have been destroyed, but no one is being held responsible for it. I would like to ask you, why the traders should suffer. Under the Master Plan of 1962, the DDA, the MCD or whichever authority is concerned, they were supposed to have 75 districts in Delhi, but only nine have come up. From 1962 to 2006, you should have at least 200 districts, but only nine have come up. Why should the people be held responsible for it? From 1962, 300 Community Centres should have come up, but only 35 have come up; 1,250 Shopping Centres should have come up, but only 135 have come up. I am talking about the 1962 Master Plan; I am not talking about the 2006 Master Plan. Who is responsible for this? Are we going to be irresponsible? When people open shops, I want to ask the Resident Welfare Associations as to what authority do they have, and whether the people who opened shops are not residents. Since they are old, since some of them lost their children and they cannot pay the taxes, they have opened small shops. But somebody who is well off goes to the court and gets a stay order against them. What happens to those people whose grown up children are no more and who have opened a shop? Who is going to be responsible for them? Nobody is giving any

answers to them. But somebody goes and says that some Resident Welfare Associations have put garlands around his neck because he saved them. If it is not for Reddy or Ajay Maken, what would have happened?

I do not want to name anybody. I want to ask on behalf of those people who are suffering whether there is anybody to give answers to them.

Now, I come to schools. Liquor shops can be opened, but the schools must close, what a shame it is. There are 1700 recognized schools which are operating on unauthorized lands. Out of these 1700, only 383 schools are operating on authorized lands. What is going to happen to the rest? Delhi needs bye-laws. I want you to change the laws. I want to give a suggestion to you. There are 1700 recognized schools which are on unauthorized lands. There are 2,000 private schools including nursery schools; hundreds of them are unrecognized, but they are operating on private lands. There are only 382 schools which are in their proper places.

According to the Master Plan 2001, I am not talking about 2006 or 2021, there are supposed to be 7,500 senior secondary schools, and we have only 1,700 schools today. If you take the 2021 Master Plan, do you know how many schools we need in Delhi? You need, maybe, around 17,000 schools, and not 7,500 schools, and you are going to charge crores of rupees per acre. Who is going to give that much money – the Birlas, the Tatas or the Modis? You have schools like Vasant Valley, Vasant Kunj that ply air-conditioned buses to transport children. My father started the Delhi Public School, Summerfield School and the J.D. Tytler School. We have over 115 schools, and they can afford to give three crore rupees per acre, but if somebody generally wants to start a school and help the Government, where are they going to get the money from? Do you want the black- marketeers to come and run the schools? Do you want people who earn their money in unscrupulous ways to come and run the schools? You must give land to these schools at one rupee per yard. You can put as many conditions as you want to put, but please do not charge commercial rates. You are charging commercial rates even for hospitals.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति जी, 1972 तक जमीन का रेट 5 हजार रुपये गज था।...(व्यवधान)

SHRI JAGDISH TYTLER : I do not want anything, Prof. Malhotra. I want to speak for the people of Delhi, and I am not speaking for any particular class. I just want to tell you this much.

श्री अजय माकन : सभापति जी, इन लोगों ने कामर्शियली शुरु किया था, इसमें अस्पताल, कामर्शियल ऐरिया सब इन्होंने शुरु किया था। मैं यह बात बिलकुल रिकार्ड पर बोल रहा हूं। हायर ऐजुकेशन के लिये एन.डी.ए. की सरकार ने शुरु किया था...(व्यवधान)

सभापति महोदया : माकन जी, जब आप रिप्लाई करेंगे तो सारी बात कह दीजियेगा।

प्रो. राम गोपाल यादव माननीय सदस्य बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिये।

SHRI JAGDISH TYTLER : [r47][r48]I want to use this forum to request the hon. Prime Minister, Shri Reddy and the Youngman, Shri Maken, please for God's sake keep as many conditions as you

want and conduct as many inspections as you want, but do not commercialise schools. We have to go and see the schools in South Delhi and see the kind of children studying there. They are the same children studying who belong to the families of Residence Welfare Associations owning a land for Rs.10 crore per acre. They are paying Rs.2,000 or Rs.3,000 a month as fees. Do you want a person to pay Rs.3 crore per acre who cannot afford to do pay this amount and who cannot even put his children in these schools? These are the schools which are coming and asking you to pay Rs.3 crore per acre. I do not know what kind of a thinking is this! For God's sake, I would like to make one personal request. Keep schools out of what we call `trade'. School is not a trading centre. School is not a shop. Those who are running the schools as a shop, close those schools. I will be the first to say this. I am a son of a man who started schools in Delhi. I know what I am talking about. I see the conditions of the schools also. But I want to tell you one thing. There was a time – all the hon. Members must listen to this – when higher secondary education results were out, St. Columba's School, Delhi Public Schools, Summerfields, and Springdales schools children used to come first. As soon the Central Schools have started coming up, you see the results. All the top schools have disappeared. Only middle class children who are studying in these Central Schools are coming first and occupying positions. These are the schools which give proper education, not the air-conditioned schools where children get lunch from a five star hotels. That is the kind of schools which are coming up now because they have brought the land by paying Rs.3 crore per acre. That is something which I observed. Please keep the word `trader' out of the schools.

I do not want to take too much time. This is for Shri Reddy. Look at the scale of taxation which you have just announced. Do you know that this is going to hit the man so badly that he is not going to stand and give you what you wanted? In `a' and `b' categories, it is Rs.3,005 per sq. metres; with excess floor area, they will have to pay over and above the floor area ratio; in `c' and `d' categories, it is Rs.1,400 per sq. metres; in `e', `f' and `g' categories, it is Rs.700 per sq. metres. Can you imagine who has got 50 yards of plot, he is asked to give Rs.490 per sq. metres every time he puts up a new building. Can he give it? It is simply impossible. In the same manner, rates were hiked in the buildings. In `a' and `b' categories, it is Rs.4,020 per sq. metres. These are the important matters I want to bring to your notice that in `c' and `d' categories, the rate is Rs.1,610 per sq. metres; in `e' and `f' categories, the rate is Rs.805 per sq. metres; a plot exceeding 50 sq. metres is sold at Rs.564 per sq. metes. As per the 23.07.1998 notification, the rates are: in `a' and `b' categories, it is Rs.4,370 per sq. metres; in `c' and `d' categories, it is Rs.1,750 per sq. metres. These are the rates and the Delhi people will not be able to take and we would again be going back, and unauthorized constructions and unauthorized buildings will be coming up. I want to make a request.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : These are residential and commercial rates.

SHRI JAGDISH TYTLER : Yes. These are the rates which have just been notified. But the DDA fortunately has not notified as yet. I hope you would come up with the reply.

Before I close, I would like to say that in my constituency, the DDA says that they cannot bring the rates down when the new shops are going to be allotted. I want to given an instance. In Guru Teg Bahadur Nagar, which is in my constituency, which used to be called Hudson and Outram

lanes, these are the places where 80, 120 and 15 metres plots were given in Nehru Nagar by DDA at exorbitant prices, which they cannot afford. I approached Shrimati Indira Gandhi, the then Prime Minister. I said: "Madam, can these people afford?" Here we talk of people trying to help the poor. You would be surprised. Shri Jag Mohan was the Vice-Chairman at that time. The DDA did everything possible under the sun but the Minister said nothing and that it would not be done. [r49]

I was the Member of Parliament from that Constituency. I went to Shrimati Indira Gandhi. I said that Madam, they cannot afford it and that you cannot do this. These are the people who are poor refugees. Do you know that the same plots of 80 square yards and 120 square yards were given at Rs.15000 and Rs.18000 respectively? I am not talking about a yard but the total plot. The plots of 1500 square yard were given at Rs.1500 per month installment for five years. So it can be done if you want. You make as much money as you want from all these commercial centres like Malls and put it back to the people. When you give it to the poor people, make sure that the rates are low as Shrimati Gandhi had done at that time because you can afford it. If you have got a hotel plot of 800 square yard costing Rs.150 crore or Rs.200 crore, by all means you take Rs.300 crore from them. But when you give it to the poor people, come back and do what Shrimati Indira Gandhi did and what the Congress Party thinks.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : सभापति महोदया, मैं सांसद के रूप में पहली बार यहां से बोल रहा हूं।

श्री एस.जयपाल रेड्डी : क्या यह आपकी मेडन स्पीच है?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जी हां। यहां से पहली बार सांसद के रूप में बोल रहा हूं

श्री एस.जयपाल रेड्डी : तब तो हम वैलकम करते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : पहले रेड्डी साहब जब इस तरफ थे, तब मैं वहां वस्त्र मंत्री था। मैं बिहार से आता हूं, लेकिन मेरी शिक्षा दिल्ली में ही हुई है और मैं दिल्ली की गलियों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं आदरणीय सज्जन कुमार जी के क्षेत्र में रहता था। वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एवं गांवों तथा शहर की समस्या से अच्छी तरह परिचित हूं। मैं दिल्ली और इसकी समस्याओं से 1985 से अच्छी तरह से जानता हूं।

महोदया, अब जब मैं बिहार से चुनाव के बाद दिल्ली लौटा और मैंने दिल्ली को देखा, तो मुझे बहुत आश्चर्य और दुख हुआ। अर्थक्वेक के समय, जब मैं गुजरात गया था, तब वहां ऐसा नजारा था या जैसे ईराक के ऊपर पर बम से जब हमला होता है और इमारत ढह जाती है, तब उसकी जो हालत होती है, वैसा नजारा मुझे दिल्ली में देखने को मिला। मुझे इस विाय में कुछ विशेा नहीं कहना है क्योंकि हमारे दल के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने इस विाय से संबंधित टैक्नीकल बातों को पहले ही स्पट रूप से सदन में प्रस्तुत कर दिया है।

महोदया, इस विाय पर दोनों तरफ से पांच वक्ता बोल चुके हैं और जब आप छठवें वक्ता के रूप में बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो विाय के बारे में कुछ भी नया बोलने के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों की ओर

ध्यान दिलाना चाहता हूं। जगदीश टाइटलर जी ने इसमें स्कूलों के विाय को जोड़कर इस बहस को रोचक बना दिया है। जब दुकानों और मकानों को तोड़ा जाता है, तो इससे राट्रीय क्षति होती है। जब कोई मकान गिरता है या गिराया जाता है, तो उसमें सीमेंट, बजरी और लोहा नट होता है। हमारे देश में सीमेंट बनाया जा रहा है और काफी महंगा हो गया है। मकान या दुकान तोड़ते समय उसमें लगा सीमेंट व्यर्थ जाता है, मजदूरों की मजदूरी बेकार हो जाती है, सरिया बेकार हो जाता है, जबकि देश में सरिया बहुत महंगी कीमत पर बिक रहा है। इसलिए मकान अथवा दुकानें तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका नुकसान किसी व्यक्ति को नहीं हो रहा है, बल्कि इससे राट्र का नुकसान होता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यहां जो स्थिति बनी है इसकी इजाजत किसने दी? यहां आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। कुछ देर पहले कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बोलने वाले हमारे एक साथी ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। यहां पर हमारी या कांग्रेस, दो पार्टियों की ही सरकार रही है, कम्युनिस्टों को दिल्ली में कभी सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला। इसलिए इसमें हमारी या कांग्रेस पार्टी की ही जिम्मेदारी है। हम दिल्ली में अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है और इसमें सबसे बड़ा फायदा शापिंग मॉल वालों का है। जब भी दिल्ली में दुकानें टूटीं, माल वाले सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी दुकानों की कीमतें रातोंरात बढ़ गईं। जब एम.जी.-वन टूटा तो माल वालों की जो जगह 500 रुपए फुट के किराए की थी, वह 5 हजार रुपए फुट हो गई। चूंकि मैं टैक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूं इसलिए जानता हूं कि गांव से आए हुए कपड़े पर जब किसी बड़े डिजाइनर का टैग लग जाता है और वह किसी बड़े घर में जाता है, तो वह बहुत ज्यादा कीमत पर बिकता है। आज स्थिति यह हो गई है कि आप पूरी दिल्ली में शापिंग मॉल बना देना चाहते हैं और जो छोटे दुकानदार तथा व्यवसायी हैं उन्हें आप यहां से उज़ाड़ रहे हैं। परिणामस्वरूप माल वालों की जगहों के रेट दिन दूने और रात चौगुने बढ़ रहे हैं। मैं पहले भी आपके ध्यान में ला चुका हूं कि दिल्ली की जो वर्तमान स्थिति है, उसके लिए कांग्रेस के लोगों में भी भीतर ही भीतर लड़ाई चल रही है। वे भी इस स्थिति से खुश नहीं हैं।[r50] यहां एमसीडी बनाम दिल्ली सरकार हो गया है। मल्होत्रा जी ने अपनी बात में रखते हुए कहा कि एमसीडी ने कोर्ट में सुओ-मोटो कहा कि हमें सीलिंग का अधिकार नहीं है और कोर्ट ने उन्हें अधिकार दिया है। एमसीडी और दिल्ली सरकार की लड़ाई में दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा दंश झेलना पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

हमारे मित्र श्री यादव जी इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, वे कह रहे थे कि गांव आधारित उद्योग होने चाहिए। 15 साल में सबसे ज्यादा लोग तो बिहार से यहां आ गए हैं। अगर बिहार में गांव आधारित उद्योग होते, तो उनको वहां से पलायन नहीं करना पड़ता। यदि वे यहां होते तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि उनके पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है? आज दिल्ली में हर कोई आना चाहता है और यह अधिकार सभी को होना चाहिए। चाहे दिल्ली हो या मुम्बई हो, यहां हर कोई आना चाहता है, क्योंकि एक देश की आर्थिक राजधानी है और दूसरी राजनीतिक राजधानी है। यहां आने से कोई भी किसी को नहीं रोक सकता है। लेकिन इस बात की जानकारी भी ली जानी चाहिए कि किस कारण से गांवों के लोग मेट्रो शहरों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं? इसकी वजह यह है कि यहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने का वक्त नहीं है। दिल्ली की जनता इस उम्मीद पर इस डिबेट को देख रही है कि हम केवल अपना भााण करेंगे या एक-दूसरे पर पाइंट स्कोर करेंगे या दिल्ली के लोगों के दुख से उनको निजात दिलाएंगे। श्री रेड्डी जी मेरे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, बहुत काबिल मंत्री हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। श्री अजय माकन भी बहुत काबिल मंत्री हैं और हमारे मित्र हैं। आप लोगों ने बहुत साल शासन किया है। एनडीए की सरकार ने तो केवल पांच साल शासन किया है। मैं बहुत सारी कमेटियों का रेफरेंस दूंगा तो घण्टी बज जाएगी।... (व्यवधान)

सभापति महोदया : आप केवल सुझाव दे दीजिए, जिससे सभी को राहत मिल सके।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं अपनी समय सीमा में रहता हूं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जब भी बोला हूं, मुझे कभी घण्टी नहीं मिली है। मैं इससे पहले ही अपनी बात को समाप्त कर देता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि साढ़े सात साल आपकी सरकार रही है और दिल्ली के लोगों ने आपको सर आंखों पर बैठाया है। महोदया आप भी दिल्ली से सांसद हैं। दिल्ली में मल्होत्रा जी के अलावा सभी सांसद कांग्रेस के हैं। आपको विधानसभा में पूरा बहुमत मिला है। दिल्ली के लोगों ने आपको एमसीडी भी दी है। इसलिए 'तुमने ही दर्द दिया है, तुम ही दवा देना'। आप इसमें मत जाइए कि वर्ा 1952 में क्या हुआ और वर्ा 1955 में क्या हुआ था? जब टाइटलर साहब यह रेफ्रेंस दे रहे थे तो उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मैं उस रेफ्रेंस को जानना भी नहीं चाहता हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि दिल्ली और केन्द्र में आपकी सरकार है, एमसीडी भी आपकी है। इसलिए दिल्ली के लोगों को दुख-दर्द कैसे दूर हो, यह आपकी जिम्मेदारी है।

टाइटलर जी ने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। वैसे तो मैं बिहार से एमपी हूं लेकिन मेरी पत्नी एक शिक्षिका हैं और दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल में पढ़ाती हैं। इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी स्कूल के बारे में रहती है। मैं कई बार उन्हें स्कूल में छोड़ने और लेने गया हूं। मैंने दिल्ली के स्कूल देखे हैं और मुझे लगता है कि पिछले 15 साल के बिहार के स्कूलों में और दिल्ली के स्कूलों में कोई खास अंतर नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में न तो शौचालयों की ठीक व्यवस्था है और न पानी की व्यवस्था है। यहां तक कि कुछ स्कूल तो बिल्डिंग से महरूम हैं और टैंट में चल रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस माध्यम से प्राइवेट सैक्टर द्वारा बनाए गए स्कूलों को उजाड़ने का भी ाड्यन्त्र आप लोग रच रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर जितने बच्चे हैं, उस हिसाब से टीचर नहीं हैं। हर स्कूल में यदि 40 बच्चों पर एक टीचर हो तो आपको और अधिक स्कूल खोलने की आवश्यकता होगी। बिहार में 200 बच्चों पर एक टीचर था, लेकिन नीतिश कुमार जी की सरकार ने 2 लाख 36 हजार टीचर की बहाली की। 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यह हमने बिहार में करके दिखाया है। हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि दिल्ली सरकार बिहार सरकार को आदर्श मानते हुए उस तरह की व्यवस्था करे, तब जाकर निदान होगा। दिल्ली में सब तरफ से लोग आते हैं और दिल्ली देश का आइना है। दिल्ली के सभी कांग्रेसी एमपी हमारे मित्र हैं, लेकिन आप लोगों की सरकार आपको हराने के लिए साजिश रच रही है। यदि इसी तरह से चलता रहा तो यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सज्जन कुमार जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। आपको सरकार को बधाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि आप तो बहुत ही दबंग और मजबूत आदमी हैं। आपको बधाई की आवश्यकता है। आप अपनी बात सख्ती से रखिए। जिस तरह से टाइटलर साहब ने रखी है। इस बात पर आप मजबूती से लड़िए। आप लड़ेंगे तभी आप बचेंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप सीलिंग का समाधान बताइए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं सीलिंग का समाधान ही बता रहा हूं। जनता इनको वोट बधाई देने के लिए नहीं देती है[r51]। जनता वेट दे रही है, इसलिए अगर अपनी सरकार भी गलत काम कर रही है तो उठकर, खड़े होकर अपनी बात को मजबूती से कहना चाहिए।

इसलिए मैं आपके माध्यम से बात को बहुत लम्बा नहीं करना चाहता, मेरी मेडन स्पीच अपोजीशन के सांसद के तौर पर है। वैसे तो हर बार मैंने मंत्री के तौर पर बोला है, लेकिन सांसद के तौर पर विजय जी ने, मेरे नेता ने मुझे आदेश दिया और मैंने कोई बहुत-बड़े कागज-पत्र इकट्ठे नहीं किये, यहीं से बातें सुनकर अपनी बात को रखा है और मैं चाहता हूं कि दुखदर्द का इलाज कीजिए, राजनीति से ऊपर उठकर कीजिए और दिल्ली के हित में कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदया, सीलिंग ड्राइव और इस तरह 193 के तहत यहां पर जो चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद सरकार की ओर से इस चर्चा का जवाब दिया जायेगा। अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्टर जयपाल रेड्डी जी यहां से बाहर चले गये, लेकिन अजय माकन जी यहां पर उपस्थित हैं और ये स्वयं दिल्ली के हैं। आज जो दिल्ली के व्यापारियों की स्थिति है, आज जो दिल्ली के डॉक्टर्स की स्थिति है, जो नर्सिंग होम्स चल रहे हैं, उनकी स्थिति है, जो स्कूल्स चल रहे हैं, उनकी स्थिति है, जो अनऑथोराइज्ड कालोनीज़ में निवासी रह रहे हैं, उनकी स्थिति है, जो जानकारी मुझे मिली है, उस जानकारी के मुताबिक सात लाख ट्रेडर्स हैं, जिनके खिलाफ यह कार्रवाई होने जा रही है। लगभग 30 लाख इन ट्रेडर्स के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो कम से कम 30 लाख लोग जो बारोजगार हैं, वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यदि यह कार्रवाई ऐसे ही चलती रहती है, सीलिंग चलती रहती है, यह कंटीन्यू करती है तो कम से कम 30 लाख लोग, जिन्हें आज रोजगार प्राप्त है, वे बेरोजगार हो सकते हैं। 30 हजार डाक्टर्स, डिस्पेंसरीज़ और नर्सिंग होम्स हैं, जिनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई होने जा रही है, जो आईडेंटीफाई किये गये

हैं। 1700 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल्स हैं, 1500 कम्प्यूटर ट्रेनिंग सैण्टर्स हैं, 800 गैस्ट हाउसेज़ हैं और 1400 से ज्यादा डी.डी.ए. में बसी हुई अनऑथोराइज्ड कालोनीज़ हैं। मुझे लगता है कि लगभग 60 प्रतिशत दिल्ली इससे इफैक्टिड है, शायद 60 प्रतिशत से ज्यादा भी हो सकती है। 60 लाख से ज्यादा आबादी इस कार्रवाई से प्रभावित है।

इसके लिए जिम्मेदार एम.सी.डी. को ठहराया जा रहा है, डी.डी.ए. को ठहराया जा रहा है। अगर डी.डी.ए. का सम्बन्ध है तो स्वाभाविक रूप से भारत सरकार का सम्बन्ध आता है। इसलिए राज्य की सरकार जिम्मेदार होती है, इसलिए केन्द्र की सरकार जिम्मेदार है। ये सारे जो मकान बने हैं, इमारतें खड़ी हुई हैं या कालोनीज़ बनी हैं, ये सब 5-10 साल में नहीं बनी हैं, ये पिछले 40 साल में बने हैं। इनमें से कई इमारतें तो ऐसी हैं, जो 40 र्वा से भी ज्यादा पुरानी हैं। जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, जिनका कारोबार 40 साल से ज्यादा पुराने समय से चलता आ रहा है, मुझे लगता है कि 40 साल पुराना होगा तो उस समय दिल्ली यूनियन टैरीटरी थी, इसलिए लगभग सारी जिम्मेदारी उस समय की केन्द्र सरकार की थी, गृह मंत्रालय की थी। सवाल यह नहीं उठता कि इस समय सत्ता किसकी है, सरकार किसकी है।[R52] आज जो दिल्ली की स्थिति है और जो कार्यवाही की जा रही है, इसीलिए मैंने शुरू में यह कहा कि जो 193 के तहत चर्चा होगी और मंत्री जी चर्चा का जवाब देंगे, मुझे लगता है कि आज की चर्चा के जवाब की आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ जवाब ही आना है, तो साठ लाख से ज्यादा जो आबादी अफेक्टेड है, उनको कोई राहत हम इस सदन के द्वारा नहीं दे सकते हैं।...(व्यवधान) जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका दुख मिटाने की हमारी जिम्मेदारी है। मैं महाराट्र से हूं, लेकिन आखिरकार इस सदन का सदस्य हूं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप लोग आपस में डिस्कशन मत कीजिए।

महोदया, इसीलिए मैंने ये आंकड़े दिए हैं। सवाल यह उठता है कि चालीस सालों में यह सब सभापति**: श्री अनंत गंगाराम गीते** हुआ और इन सारे लोगों ने भारत सरकार को टैक्स के रूप में करोड़ों रूपए दिए हैं, राज्य सरकार को प्रापर्टी टैक्स और सेल-टैक्स के रूप में करोड़ों रूपए दिए है, म्युनिसिपलिटी को म्युनिसिपल लोकल टैक्सेज के रूप में करोड़ों रूपए दिए हैं, इन सारे लोगों को एमसीडी ने लाइसेंसेज दिए हैं, राज्य सरकार ने अलग-अलग लाइसेंसेज इश्यू किए हैं। कई ऐसे इंस्टीच्यूशंस हैं जिनको यदि अब सवाल यह उठता है कि इस सब के बावजूद येभारत सरकार के लाइसेंस की आवश्यकता है, तो वह भी उनको मिले हैं। सभी अनआथराइज्ड कहलाए जा रहे हैं। इसलिए यहां पर बहस के बजाए और मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देने के बजाए, सरकार क्या करना चाहती है, इस विाय में बतायें। जब सारी चर्चा हम सुनते हैं, तो किसी की इच्छा नहीं दिखायी देती है कि इस प्राब्लम को हमेशा के लिए खत्म करें। सरकार को पहले अपनी इच्छा शक्ति को यहां सदन में स्पट करने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच केंद्र की सरकार इस मसले को पूरी तरह से हल करना चाहती है। यदि केंद्र की सरकार यह चाहती है, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि यह सदन आपको पूरी तौर पर सहयोग करेगा। यह कोई दो दल के विवाद का विाय नहीं है। सड़कों पर जाकर अलग-अलग हम अपने-अपने दलों की बात रख सकते हैं, लेकिन आज जो दिल्ली की स्थिति है, जैसा कि अभी शाहनवाज हुसैन जी यहां पर कह कर गए कि कितने करोड़ रूपए का धन इसे बनाने में लगा। एक शहर ही, जिसकी आबादी का लगभग साठ प्रतिशत शहर ही अनआथराइज्ड है, इसका यही मतलब होता है और जितने मकान-दुकान सील हुए हैं और ऐसे ही सीलिंग चलती रही, तो जो रोजाना घाटा हो रहा है, उसमें कितने करोड़ रूपये बैंकों के इसमें लगे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का इसमें धन लगा है? टाइटलर जी सदन में बोल कर चले गए, उन्होंने स्कूलों का जिक्र किया। सत्रह सौ सेकेंड्री स्कूल हैं, यह सारी एजुकेशन की जिम्मेदारी जो संविधान के द्वारा दी गयी है, यह संसदीय लोकतंत्र जिसके तहत हम राज्य चला रहे हैं, उसके मुताबिक प्राइमरी स्कूल की जिम्मेदारी लोकल अथारिटी को देते हैं, सेकेंड्री की जिम्मेदारी स्टेट को देते हैं और हायर सेकेंड्री की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों को सौंपते हैं, लेकिन आज हमारे देश की आबादी को देखते हुए किसी भी पार्टी की सरकार हो, शत-प्रतिशत शिक्षा की जिम्मेदारी कोई सरकार नहीं पूरा कर सकती। आज प्रचास प्रतिशत से अधिक जिम्मेदारी अलग-अलग निजी संस्थायें उठा रही हैं। जो सरकार को काम करना है, वह काम संस्थायें कर रही हैं। यदि वे सरकार का सहयोग कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन अच्छी संस्थाओं को सहयोग करके बचाया जाए। यदि हम इन स्कूलों को बंद कर दें, तो सत्रह सौ स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविय का क्या होगा? एक साल भी विद्यार्थी का खराब होता है, तो उसका बुरा परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। इस गंभीर मामले को चर्चा के रूप में न लेते हुए हम चाहेंगे कि भारत सरकार की ओर से मंत्री केवल 193 का जवाब नहीं देंगे, बल्कि सारी समस्या का हल व उनका निदान कैसे करेंगे, इस पर बयान सदन में मंत्री जी दें, यही हम चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[v53]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हज़ारीबाग) : सभापति महोदया, दिल्ली का सीलिंग का मसला बहुत गंभीर है जिसका सबको मिलकर समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। भाजपा हो या कांग्रेस, यह दोनों एक-दूसरे पर तीर चला रहे हैं और दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए जितनी भाजपा जवाबदेह है उतना ही सत्ता के लोग जवाबदेह हैं। भाजपा ने सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया और यह सत्ता में आए हैं तो जब सीलिंग का मामला आया और सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने लगा, तब इनकी नींद खुली है। न्यायपालिका कभी इसे सीमा के उल्लंघन का मामला और कभी केवल ट्रेडर्स का मामला मान रही है। न्यायपालिका सोच रही है कि यह केवल ट्रेडर्स का मामला है जबकि यह केवल ट्रेडर्स का मामला नहीं है। दिल्ली में जो 50 लाख से अधिक लोग रहते हैं, यह उन सबका मामला है। जिस तरह न्यायपालिका लगातार डंडा दिए जा रही है, लगता है कि वह लक्ष्मण रेखा को लांघकर सीधे-सीधे कार्यपालिका पर प्रहार कर रही है। दिल्ली की सीलिंग के मामले से लगभग 50 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए। 183 रोड्स को एमसीडी ने चिन्हित किया है जिनमें 15 लाख लोग रहते हैं। उनका भविय क्या होगा। उन्हें नियमित करने के लिए सरकार ने क्या सोचा है और क्या करना चाहती है, यह वह अपने उत्तर में बताए। यहां 4 से 5 लाख छोटे-छोटे दुकानदार हैं। उनके परिवार और उनके भविय का क्या होगा। लगभग 4-5 लाख रिक्शा पुलर्स हैं जो विभिन्न राज्यों से आकर यहां कार्य करते हैं। उनके भविय का क्या होगा। 6 लाख से अधिक ठेले वाले, खोमचे वाले चांदनी चौक, करोल बाग आदि जगहों पर रहते हैं। उनके परिवार का क्या होगा और उनके जीवन का क्या होगा। 1500 अनऑथराइज्ड कालोनियां हैं जिनमें लाखों लोग रहते हैं। जब वे बन रही थीं, क्या तब एमसीडी को खबर नहीं थी कि उन्हें रोकना चाहिए। तब पैसे का लेन-देन करके उन्हें बनने दिया गया। उस समय न इन्होंने रोकने का काम किया और न उन्होंने रोकने का काम किया। दोनों दिल्ली की सत्ता में रहे। पहले भाजपा के लोग दिल्ली में सत्ता में थे, तब उन्होंने भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है और उनका भविय क्या होगा। हम कहना चाहते हैं कि आप 1500 अवैध कालोनियों को नियमित करने के बारे में सोचें, 5, 6 लाख छोटे दुकानदारों के बारे में सोचें, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। डीडीए द्वारा एलॉट किए गए फ्लैटों को जिन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए आगे बढ़ाया है, उन्हें कैसे नियमित किया जाए, इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। मैंने कहा कि यह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह लगातार बढ़ती गई, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आज जब काफी बढ़ गई तो इधर उजाड़ा जा रहा है, उधर उजाड़ा जा रहा है। यह दृश्य देखने से लगता है जैसे दिल्ली में युद्ध हो रहा है। एक तरफ जनता, गरीब लोग, चाहे वे ट्रेडर्स हैं और दूसरी तरफ बीएसएफ के लोग भिड़ रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे यहां बैटल हो रही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसा मास्टर प्लान बनाना चाहिए जिससे गरीब लोगों, छोटे-छोटे दुकानदारों, रिक्शा पुलर्स, ठेले, खोमचे वाले लोगों के लिए वैकप्लिक व्यवस्था हो सके। मास्टर प्लान बनाकर टाइम फ्रेम प्रोग्राम बनाया जाए कि कब, कैसे करना है। उन्हें हटाने से पहले कैसे रीहैबीलिटेट किया जाए, इस बात को सोचना चाहिए।[MSOffice54]

अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि यह भााण देने की बात नहीं है। बात इधर से उधर करो, उधर के आरोप इधर लगाओ और इधर के आरोप उधर लगाओ, वह ठीक नहीं है । दिल्ली के गरीब लोग, आम लोग, दुकानदार, स्कूल, नर्सिंग होम या कम्प्यूटर सैंटर्स हैं, वे कैसे बचें और कैसे बच्चों की शिक्षा हो सकें आदि इन सारी बातों पर विचार करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि उजाड़ने से पहले उन तमाम 50 लाख गरीब लोगों को जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि देश से दिल्ली में रोजी-रोटी की तलाश में आते हैं, उनका क्या होगा? रिक्शा चलाने वालों का क्या होगा, गरीब दुकानदारों का क्या होगा? आप इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके ही सीलिंग लागू करें, नहीं तो जिस तरह से यह हो रहा है उससे गरीब उजड़ जायेंगे। अब यह सरकार

गरीबों को उजाडने के लिए नहीं है। यह सरकार गरीबों को रोजगार देने के लिए है। अब इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कैसे करे, इस पर सरकार को य़ोजना बनानी चाहिए। इसके बाद ही आप सीलिंग का काम करें, य़ही मैं कहना चाहता हूं।

SHRI KAPIL SIBAL: Madam Chairman, I consider it a privilege to participate in this very important debate. जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यह डिबेट पटरी से हिल कर डीरेल हो जायेगी। क्योंकि डिबेट की शुरुआत आरोप-प्रत्यारोप से शुरू हुई। मैंने सोचा कि अब यह डिबेट सही पटरी पर आ गयी है। हम अगर आरोप लगायेंगे, बीजेपी को कहेंगे कि छः साल तक आप भी सत्ता में थे, आपने कुछ नहीं किया। इसी तरह वे हमें कहेंगे कि आप स्वतंत्रता के बाद से ही सत्ता में रहे हैं, तो आपने क्या किया? इससे आम आदमी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसको राहत मिलने वाली नहीं है। हमें एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिले क्योंकि दिल्ली की 60-70 प्रतिशत ऐसी जनता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए रोज काम करती है। अगर हम उनको उजाड़ देंगे, तो समझ लीजिए कि केवल दिल्ली ही नहीं उजड़ेगी बल्कि पूरा देश उजड़ेगा। इसको सामने रखते हुए हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे एक रास्ता निकले।

सभापति महोदया, सबसे पहले मैं दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक-प्लानिंग प्रौसैस होता है, वह बहुत काम्पलीकेटेड प्रौसेस होता है। उसमें दूरअंदाजी की बहुत जरूरत होती है। जब 1962 में दिल्ली डेवलपमैंट प्लान बना यानी मास्टर प्लान बना, तो यह सोचा गया था कि 20 साल के बाद एक और प्लान बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1962 में जो प्लान बनाने वाला है, उसको यह देखना चाहिए कि 20 साल की लोगों की जरूरतें कैसे पूरी हों। 20 साल के बाद एक नये दृटिकोण से फिर उसको देखना चाहिए था कि अगले 20 साल में क्या होने चाहिए। अब जब पहले 20 साल पूरे हो गये, तो टाइटलर जी ने आपको आंकड़ों द्वारा बता दिया कि क्या हुआ? जब 1982 का टाइम आया तो 1982 का मास्टर प्लान बना ही नहीं। 1986 में एशियाड आ गया। लोगों ने सोचा कि पहले एशियाड हो जाये, उसके बाद मास्टर प्लान के बारे में सोचेंगे। इस तरह वह अधूरा रह गया। 1990 में 2001 के मास्टर प्लान का नोटीफिकेशन हुआ। इसका मतलब जब 1990 में 2001 के मास्टर प्लान का नोटीफिकेशन हुआ, तो 1962 और 2002 की जो जरूरतें थीं, उसको पूरा करना था। वह भी नहीं हो पायीं। 1990 का मास्टर प्लान नोटीफाइड तो हो गया लेकिन उसका लैंड यूज पहली बार 1996 में बना। जब लैंड यूज ही 1996 में बना तब तक अगले 20 साल पूरे होने वाले थे। अगर कोई गलती है, तो वह प्लानिंग प्रौसेस की है। क्योंकि सरकारें तो मास्टर प्लान नहीं बनातीं। यह एक एक्सपर्ट के ऊपर सौंपा जाता है। अब एक्सपर्ट डीडीए बन गयी और डीडीए का इतना दृटिकोण नहीं था कि वह दिल्ली में होने वाला है, पिछले 50 सालों में जो कुछ हुआ, उसको सामने देखकर एक प्लानिंग प्रौसैस तय करे। If you look at any city abroad, you will find that the richest people live in the suburbs.[R55]

Why do they live in the suburbs? They live in the suburbs because they have the economic strength to travel from the suburban area to the centre of the city to work. But in Delhi, the richest people live in Aurangazeb Road, the richest people live in Prithviraj Road. The rich people are living in the centre of the city. In other words, instead of the rich people living in the suburban areas, it is just the opposite of any urban development.

16.56 hrs (Mr. Speaker *in the Chair*)

उसका नतीजा यह हुआ कि जमीन के दाम बढ़ गए क्योंकि जो अमीर आदमी हैं वे दिल्ली के सेन्टर में जमीन खरीदना चाहते हैं। हाल ही में दिल्ली में एक प्लॉट 137 करोड़ में एक कंपनी ने खरीदा। दूसरी तरफ सारी आबादी, सभी गरीब लोग जो बाहर से रिफ्युजी बनकर आए, जिनको वहां पर रिहैबिलिटेट किया गया, वह सारे दिल्ली के बीच में रहते हैं। अब उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, लेकिन सभी बड़े-बड़े स्कूल सबअर्बन्स में हैं। अमीर लोग तो अपने बच्चों को पढ़ने

के लिए बाहर भेज सकते हैं लेकिन जो गरीब आदमी है, वह कहां से भेजेगा। इसलिए स्कूल वहा एक जरूरत बन जाती है। अगर सेन्टर में कोई जगह नहीं रहेगी तब भी बच्चे पढ़ेंगे, चाहे सरकार और अदालत ऐसा चाहें या नहीं। बच्चे तो पढ़ेंगे और अगर बच्चों की जरूरतों के स्कूल बनेगा, चाहे वह अनअथॅराइज्ड हो, हम उसे गिरा नहीं सकते हैं। यह हमारे बच्चों की जरूरत है और बच्चे हिन्दुस्तान का भविय हैं, इसे हम अदालत के द्वारा खत्म नहीं होने देंगे।

Sir, a very interesting thing happened when I met a most significant architect of this country, I will not give the name. He came up to me and said: 'Mr. Sibal, I am really surprised at the kind of debate that is going on in this country.' I said: 'What is the problem?' He said: 'If there is an unauthorized building that has come up somewhere, the question that is to be asked is, why has it come up? It has come up because it represents the needs of the community. If it has come up, somewhere along the line the planning process has failed because it is the planning process which ought to have determined the need of the community and ensured that instead of an unauthorized structure, there should have been an authorized structure and if that has not happened, then the planning process has failed. Why do you blame the poor people?'

Sir, the real problem is, the law is far behind the dynamics of economic activity. र्वा 1962 में आपने मास्टर प्लान के रूप में लॉ तो बना दिया, लेकिन इकोनोमिक एक्टीविटी इतनी तीव्रता से आगे बढ़ती है कि लॉ पीछे रह जाता है। रियलिटी वह एक्टीविटी है, रियलिटी लॉ नहीं है। Law represents the mirage of the reality. आज के दिन रियलिटी क्या है? आप किसी भी प्लानिंग प्रोशेस में देखिए, किसी भी आर्किटेक्ट से पूछ लीजिए, वे कहते हैं कि अगर आपको रेगुलेट करना है तो रियलिटी को देखकर रेगुलेट कीजिए। यदि उस रियलिटी को आप खत्म कर दें और अपने मन से या अपने ि वचार कि मुताबिक उसे रेगुलेट करें तो यह उचित नहीं होगा। आज रियलिटी यह है कि दिल्ली में 60 से 70 प्रतिशत लोग गरीब हैं और उनको भी दिल्ली में रहने का उतना ही हक है जितना बाकी लोगों को, इसलिए इस रियलिटी को सामने रखते हुए आप अपनी बिल्डिंग प्लानिंग प्रोशेसेज को बनाइए। In other words, regulations in respect of urban areas must recognize the reality of Delhi, must not destroy the reality of Delhi and no institution can afford to do that. That is why, we stand here not for the purpose of criticizing anybody. That is not our task, that is not how it should happen.[R56]

17.00 hrs

B[r57]ut the complexities of the planning process are not subject to judicial determination. It is very difficult to have judicial parameters for planning process because it is the planner who understands the needs of the community.

In one sense, I think, we should be grateful to the Supreme Court of India because in a sense the Supreme Court has started a debate in this country, the Supreme Court by saying that 'we will implement the law that you have yourselves placed on the Book'. We are saying that if you do not implement the law, do something else. To that extent, we are grateful to the Supreme Court because it has now become a matter of national debate. But, at the same time, the Supreme Court must also realize that there is a reality of Delhi that we cannot destroy.

Sir, I am sorry to say that most of us, when we go abroad, we think of London, we think of New York, we think of European cities and we want to replicate those European Union cities in India. It is not possible. It should not happen. I would be the saddest person in this country, if that happens. India itself has a soul, every city in India has a soul. We must cherish that soul, the soul of India or the people of India and the way they live, the diversity of culture, the way in which they

interact with each other and no institution should destroy that soul of India. We will not allow that to happen and that is very important.

There are one or two things, because lots of people have already spoken, that I want to share with you. One of the biggest handicaps that we have had in this country is that we have never allowed technology to be used in the planning process. I just want to give you two examples. When the whole issue of unauthorized constructions came up, I, in my Ministry, decided that I would produce a technology by which we would be able to say what are the kind of unauthorized constructions that are going on in Delhi from a room. I took the most difficult part of Delhi, which is Zone I. I was able to produce a technology which I have now handed over and I spent about Rs.3 crore to Rs.4 crore on this.

Now, what we have done is that we used satellite, we have used videography on the ground and we have actually gone to every dwelling unit in MCD Zone I in Delhi and got facts about the number of people staying there and working there, whether it is in houses or it is in commercial establishments. We have all used that in a software and we have got live cameras which have a range of about five kilometers. तो हम अपने कमरे में बैठकर देख सकते हैं and that has a data base. Say, if you have January 1, 2007, if that is the base, अगर 30 जनवरी को वहां कोई मकान बना, अगर एक मकान में नई खिड़की बनाई गई, तो हम अपनी नजरों से देख सकते हैं कि वह खिड़की बनाई गई है।

MR. SPEAKER: Inside the bedroom also?

SHRI KAPIL SIBAL: No, it is outside. Inside the bedroom will happen when our political culture changes. I hope that never happens.

MR. SPEAKER: It has happened.

SHRI KAPIL SIBAL: But we can monitor that. This technology can be used for traffic control. This technology can be used if there is a fire anywhere because we will know how to reach those people, which is the best route. This technology can be used for anything, any activity that takes place. We have the technology and I believe if you extend to all of Delhi, it will take about 14 months. Then in the future, we can control unauthorized construction if it takes place in a manner which is not inconsistent with our view of what Delhi should be in 2021. That is number one.

The second thing that we can do with this technology is and I will share that with you. One of the biggest problems we have with Delhi is the infrastructure problem. बिजली की चोरी होती है। पानी जाया जाता है, क्योंकि पाइप में लीकेज हो जाती है। इससे 50 प्रतिशत पानी जाया हो जाता है। मैं मैक्सिको सिटी में गया था। वह थोड़ी ऊंचाई पर है। वहां जो सबसे गरीब आदमी है, वह सबसे ऊंची जगह पर रहता है। उसके लिए पानी पहुंचाना सबसे महंगा पड़ता है। इसलिए सबसे गरीब आदमी को पानी के लिए सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। हमने कहा कि क्यों न मैक्सिको सिटी की तरह दिल्ली का प्रोजेक्ट बनाया जा[R58]ए। किस तरह से आम जनता के लिए पानी, जो सबसे गरीब है, सबसे चीप तरीके से उनको पहुंचाए। पिछले महीने उनकी एक टीम आई और हमने एक प्रोजैक्ट किया। इस टैक्नॉलोजी द्वारा हम हर पाइप के ऊपर एक सैंसर लगा देंगे। उस सैंसर द्वारा पता लग जाएगा कि कहां पानी लीक हो रहा है। अभी तो पता नहीं चलता है कि कहां लीक हो रहा है, आप खोदते जाएं, खोदते जाएं, पता ही नहीं लगेगा। वहां उससे पता कर लेंगे कि कहां लीक हो रहा है। उससे रिपेयर भी कर सकते हैं। दिल्ली स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। दिल्ली में रोग नहीं होने चाहिए। दिल्ली में सब लोगों को इकट्ठे रहना

चाहिए। ये सब चीजें ठीक है लेकिन अगर हम मॉडर्न टैक्नॉलोजी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप जब कहते हैं कि एक महीने में 2021 मास्टर प्लान बना दो, यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको दूर-दृटि से एक ऐसा मास्टर प्लान बनाना चाहिए जो दिल्ली की जरूरतें अगले 20 साल में हैं, वे कैसे पूरी हों, उसे मद्देनजर रखते हुए एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मास्टर प्लान बना दिया लेकिन जोनल प्लान बनाया नहीं। जोनल प्लान बना दिया, सब-प्लान बनाया नहीं। उसका कोई फायदा नहीं है। जिस आदमी को जिस मकान में रहना है, उसे यह पता लगना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं? आप वह नहीं करते हैं। यही गड़बड़ होती है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं क्यों कि वे बहुत जरूरी हैं। 1982 में मास्टर प्लान बनना था लेकिन नहीं बना। जैसा मैंने पहले कहा कि जो 2001 में बना, जो टारगेटिड था, 1982 और 2001 के बीच 15 जोनल प्लान बनने थे लेकिन 6 बने, डिस्ट्रिक्ट सैंटर्स 29 बनने थे, 10 बने, होल-सेल मार्किट 13 बननी थी, लेकिन 6 बनी। सबसे बड़ी बात यह है कि शॉपिंग सैंटर्स 2560 बनने थे लेकिन 600 बने। उसका यह नतीजा हुआ कि लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि लोग अपनी चीजें खरीदना बंद कर देंगे। There is a gap between demand and supply. If you were supposed to make 2560 shopping centres, and you make 600 centres, then somebody is going to fill the gap. And that shopping centre is not going to be made 20 miles away; it is going to be made where people live. If those people live and are providing services to those shopping centres, how is that unauthorized? I think, it is the most authorized service that those people are performing. How do you call it unauthorized? It is unauthorized because you are judging it from the 1962 Plan, by your Municipal Bye laws. If your Municipal Bye laws have not kept up with the dynamics of economic activity, it is not the fault of the consumer; it is the fault of the planning authority; it is the fault of your being not able to continuously update the law. कौन जानता था कि इंर्फर्मेशन टैक्नॉलोजी आ जाएगी? क्या किसी को मालूम था कि इंफर्मेशन टैक्नॉलोजी में लोग घर में काम करना शुरू कर देंगे? 1962 और 1982 में कोई नहीं जानता था। आज के दिन कोई दफ्तर बेशक न जाए, घर पर काम कर सकता है। अगर 10 लोग घर में बैठ कर काम करें तो उसमें क्या बुराई है। वह कमर्शियल एक्टिविटी हो गई। अगर एमसीडी लॉ चेंज नहीं हुआ और आई.टी. आ गया तो कमर्शियल एक्टिविटी हो गई। अगर आर्किटैक्ट अपने घर में लोगों की समस्या का समाधान कर सकता है without having to go to the site, 10 लोग कमरे में बैठ कर काम कर सकते हैं, वह कमर्शियल एक्टिविटी हो गई और इल्लिगल, अनऑथोराइज्ड हो गया। It is because, you have not been able to keep pace with the dynamics of change. So, I would suggest that you scrap all this. What you need is a law that constantly changes with the time. What you need is a permanent monitoring system which looks at the needs of the community as they arise. Five lakh people come from outside Delhi every year. अगर आप बुरा न मानें तो मैं आपको आंकड़े बता रहा था जिसे मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं वाटर की बात बताना चाहता हूं। हमें 1024 मिलियन गैलन की जरूरत थी, यह टारगेटिड था लेकिन 650 मिला। इस तरह से जरूरतें पूरी नहीं हुईं। Therefore, people decided through private enterprise to actually meet the needs of the community. The same problem is going to arise in the 2021 Master Plan, as in the draft stage. [r59]

I just want to demonstrate that. The water requirement that we have is 1,840 million gallon tonnes for 2021 but water under the Draft 2021 Master Plan is for 919 million gallon tonnes. मेरा मतलब है कि हमने ड्राफ्ट में शुरूआत की थी लेकिन जो प्रोजेक्टिड नीड को पूरा नहीं किया जा सका। इसके लिए आप जल्दबाजी न करें। हमारी पावर रिक्वायरमेंट 8800 मेगावाट है but the provision under the draft plan is for 1,800 MW. That means there will be a shortage of 7,000 MW in the draft 2021 Master Plan. Please do not say, "Please implement it tomorrow." This is a no way to plan a city or a nation. Please take your time. Make the Zonal Plan. It should not be that you notify the Master Plan without the Zonal Plan and the Sub-Zonal Plan. Use world-class experts to look at Delhi, to see what the future of Delhi should be in the context of the needs of Delhi, and then notify the Master Plan. In the meantime, please go to the Court and say: "Look, these are the problems." Place all these figures before the Court. I am sure that the Court will appreciate that position. If the Court still does not appreciate that position,

then what for you and I? Then, we will ensure that the people of Delhi get justice because we are here to give justice to our people, and that has to be ensured by the Government in power. I do not see any divisiveness in this debate. The issue is not Court *versus* Executive, Court *versus* Legislature. The issue is the planning process. The Court does not have the wherewithal to understand the dynamics of the planning process. We, on this side, have failed to understand it also. The fault is not of the Court. You give them a law and they want to implement it. We have a law which is far out-served its utility because that law is irrelevant to the needs of the community today. That is what we have to do. That is what we have to match.

Sir, what we are doing in the 2021 Master Plan is this. The normal consumption of people *per capita* for the purposes of water is 80 gallons *per capita* per day. Under the 2021 Master Plan, we reduced it to 30 gallons *per capita* per day because we do not have the resources, and in some cases we have reduced it to five gallons *per capita* per day. Can a man live with five gallons *per capita* per day? Why? This will ultimately go to the poor *jhuggi-jhonprii* people. You will tell them to live with five gallons *per capita* per day but the rich man will get 30 gallons *per capita* per day.

Sir, I would suggest that in terms of basic requirements, there is no difference between rich and poor. I would say that the poor must pay much less than the rich for basic services in this city, in all the cities of India, in this country, and we should never forget that.

Sir, I have a couple of things more and then I have done. Take, for example, housing. As far as housing is concerned, under 2001 Master Plan, there were to be 16.2 lakh dwelling units in addition to what existed in 1982 but the estimates reveal that only 5.6 lakh dwelling units were built. ये कहते हैं कि अनऑथोराइज हैं। जब आप कहते हैं कि अनऑथोराज्ड है तो जरूरत सोलह लाख की थी और पांच लाख बने इस तरह से दस लाख अनऑथोराइज होंगे ही, क्योंकि आपने जगह नहीं दी इसलिए चौदह सौ कॉलोनियां अनऑथोराइज्ड है। आप क्या करेंगे? क्या आप सैनिक फार्म को तबाह कर देंगे, हालांकि वे प्राइवेट लैंड पर हैं। अनंत डेरी सरकारी लैंड पर है क्या आप उसे भी खत्म कर देंगे? आप कितनी इमारतें गिराओगे? इसके लिए आपको कितने साल लगेंगे? आज के दिन जो इमारतें गिरी हुई हैं, वहां आपने एक-दो दीवार तो गिरा दी हैं लेकिन इमारत तो वहीं की वहीं हैं। आप पहले उसे गिराओगे, फिर ट्रक लाओगे। आपके पास उसे गिराने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसे कैसे गिराओगे? अगर आप हथौड़े से गिराओगे तब तो साल लग जाएंगे और फिर उसे ट्रक में ले जाओगे, उसे कहां फेंकोगे? आप कितनी इमारतें गिराओगे और कितने साल लगेंगे? यह नजरिया ही गलत है।

जहां तक पापुलेशन की बात है, सेंसिस फिगर के अनुसार दिल्ली की एस्टिमेटिड पापुलेशन एक करोड़ अट्टतीस लाख है। The population of Delhi is going to be 13.8 million people.[R60]

[r61]

At the moment, it is 1.28 crore.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : No.

श्री कपिल सिब्बल : आप पूरा गिन रहे हैं, मैं कोर एरियाज गिन रहा हूं।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : The figure of 1.38 crore. At the moment, it is 1.6 core.

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, now, it is 1.6 crore

श्री कपिल सिब्बल : अब बताओ उसकी जरूरतें आप कैसे पूरी करोगे। आपको स्कूल भी बढ़ाने होंगे, आपको गैस्ट हाउसेज भी देने होंगे। आपने फाइव स्टार होटल्स तो ऑक्शन कर दिये, लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी है, अगर वह दिल्ली में आकर रहना चाहे तो कहां रहेगा। उसके लिए आपको गैस्ट हाउसेज बनाने पड़ेंगे। यह नहीं होगा कि वह 15 मील दूर जाकर रहेगा। वह भी दिल्ली में रहना चाहता है, क्योंकि उसकी भी जरूरतें हैं। वहां आप जमीन देंगे तो रेसिडेंशियल एरियाज और गैस्ट हाउसेज बनेंगे। उसमें क्या गलत बात है, ये बनने चाहिए। यदि आप उनकी जरूरतें पूरी करेंगे तो ये बनने चाहिए। मैं तो कहूंगा - that is an essential service; this is not unauthorized; it is authorized service to the people. It is unauthorized because you do not look at the totality of the situation.

This is, Sir, the issue that I would like to place. I feel that the time has come when all of us need to get together.

मल्होत्रा साहब, आपको भी यह नहीं कहना चाहिए कि आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। इससे आपकी जनता को भी राहत नहीं मिलेगी और न हमारे लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली सब लोगों की है। दिल्ली हमारी है और सब लोगों को राहत मिलनी चाहिए। आप कहते हैं कि सरकार कुछ लाये। मैं कहता हूं कि आप कुछ बताइये, जो आपने कहा है कि एम.सी.डी. एक्ट को स्क्रैप कर दीजिए, इसको अमैन्ड करके पावर ऑफ सीलिंग स्क्रैप कर दीजिए। अगर पावर ऑफ सीलिंग स्क्रैप भी कर देंगे तो इससे जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। सिम्पल बात है, क्योंकि कोर्ट कहेगी आपने स्क्रैप कर दिया, लेकिन लॉ तो वही है। अगर आप सीलिंग नहीं करेंगे तो हम करेंगे।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : How can they do it?

SHRI KAPIL SIBAL: You say: “How can they do it?” When it will happen, then what will you say? Then, you will say that put it in the IXth Schedule.

MR. SPEAKER: The ultimate question is: “Who will do it?”

SHRI KAPIL SIBAL: That is right. Who will? That is the question. That is the question I want to answer. I want to deal with that.

MR.SPEAKER: Even if there is a law, who will do it?

SHRI KAPIL SIBAL: That is right. The question I want to answer is this. The only authority, which ultimately deals with the planning process is the Parliament, and the Parliament has failed in its duty in not recognizing the needs of the people of this city; and we need to correct ourselves.

MR. SPEAKER: Well, I do not accept that.

SHRI KAPIL SIBAL: I say it, Sir. I think, the planning process has gone perfectly all right.

MR. SPEAKER: Parliament as an institution has not failed.

… (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: It is Parliament’s job to put a law in place… (*Interruptions*)

I am sorry, Sir. This is my view. I may be wrong.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Master Plan is not approved by the Parliament.

SHRI KAPIL SIBAL: That is not the point. We can bring laws in place; we can move Bills; we can make amendments to make sure that the planning process is consistent. That is what I am saying. We, as a body, need to move forward, look at the dynamics of the future and make sure that laws are put in place, which meets the needs of the people of this country. I do not need to blame anybody.

But I think, Sir, I am as responsible as anybody else; I need to persuade my people; you need to persuade them; we need to persuade you; and all of us get together so that we are out of this mess because we are in a mess.

With these words, I thank you very much for allowing me to participate in this discussion.

MR. SPEAKER: Thank you very much.

Now, Shri Vijayendra Pal Singh. Please be very brief. We have to conclude this discussion by 6 o'clock.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): Mr. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this very important issue. What I feel is that as very rightly put-forth by quite a few Members, let us not get into the blame game that we blame the other part and they blame us.

It is very important that this problem has to be sorted out. I also do not agree to what Kapil-ji was saying that the Parliament is at fault because it comes to the Parliament at the last stage to sort it out. It should have been sorted out at the MCD, DDA, planning and the Legislature level, and not at the Parliament's level.[r62]

It has come to Parliament at a stage when it is already in a mess. But I agree to the extent that we must get over the blame game. I must also put forth that we are talking of Delhi, which is not just the Capital of India, but it is a city which is recognized in the world as a very, very green city, a heritage city, a city which has a history that no other city can boast of. If that city is ruined, we would all be blamed for it, and that is where we come at Parliament level.

A number of times, problems were sorted out at the judiciary level. But there are times that they step out of the *Lakshman Rekha* as people have been talking about. But you will recall that when the CNG problem came to Delhi—that was a big problem—the direction came from the judiciary. That was also a time when we were in a mess about that. There were no CNG pumps. The taxi systems were all going haywire. We were not getting the taxies. All those problems were there. But nobody talks about this now because all that has been sorted out.

We have to also understand that we have to be a leader in this, in the sense that what we do in Delhi, the same problem is going to be there in other mega cities like Kolkata. It is there in Kolkata. It is there in Mumbai. It is not just in Delhi. So, when it comes to other cities, let us take a lead here. What we do here, should be a sort of guideline for the other cities. There are cities like Jaipur. They

are also going to face the same problem. But let us get the best international practices. Do you think that this problem is only in India? Do you think that all other cities like Shanghai, Tokyo, New York did not face this type of problem? What were the best practices they used? Can we not take some sort of cue from them and get the best?

I agree to the extent that what has happened has to be sorted out and it has been very rightly put forth by Prof. Vijay Kumar Malhotra that we must have some sort of an amnesty with the caution that we do not step over the *Lakshman Rekha* and then get into a mess. We have to also look in to this and have a balanced view. This is what is required in the city which is a green city.

Whenever we are landing from aeroplanes in Delhi, we see a lot of greeneries. It is a sort of greenery which is not there in many cities, not just in India but in the world. It is not just the Lutyen's Delhi that we are talking about but it is the whole Delhi that we are talking about.

We have to also talk about the satellite cities which have cropped up, and the small shops. Now, you cannot say that we will not get into this mall concept and we will remain where we are. The mall concept has come over in the whole world. It has come here. It is coming in Mumbai. It is coming in Kolkata. Everywhere it is coming. We cannot stop them. But we must be cautious about it. We must also do something about the small shops. Every colony must have shops but there should be guidelines as to where they are going to be put or where it has to be removed and which does not need to be removed. That sort of guidelines has all gone haywire. That is what has to be looked into.

May I also say that how the problem of five lakh shops is going to be sorted out? You need some sort of monitoring. It is not the monitoring that the Supreme Court has said. It is not that kind of monitoring. But we need to have some sort of monitoring, and that must be looked into[MSOffice63].

[MSOffice64]

May I also point out what Shri Kapil Sibalji was talking about the other problems? The traffic in Delhi is getting worse by the day. We have to start thinking about that also. These problems were there in other cities like Bangkok. These problems were there in Singapore. In Singapore they have got now a system that only so many cars are going to be plying on the roads of Singapore and not any more and not any less. There is a licence for cars plying on the roads of Singapore. They have set a capacity to that city. Can we also have a capacity to this city that only these numbers of cars are going to be there? Unless we do something like that, the problem of the shops and all that will also be so much on the roads in Delhi that movement here will become very very difficult.

I come to my last point. We must also think about the historical value of this city. We have got these flyovers. This is a new concept. But in most of the historical and heritage cities, in Europe they do not have the flyovers. They have tunnel system. Why do we not have the tunnel system? The flyovers ruin our skyline; they ruin our city. In Brussels and other places they do not have flyovers.

The flyovers are banned there. They are having the tunnel system. If we can have the Metro, why can we not have the tunnel system? This is what I wanted to point out.

श्री सन्दीप दीक्षित : अध्यक्ष जी, पिछले 2-3 घंटे की डिबेट में दिल्ली में सीलिंग के बहुत कुछ ऐसे विाय उठाये गये हैं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि मुझ से पहले के वक्ताओं ने कहा कि यह विवाद का विाय नहीं होना चाहिये कि किसने किया और किस ने नहीं किया। इस बात पर बहुत सी राजनैतिक टिप्पणियां शुरु में की गईं लेकिन जो विाय है, मैं उन पर अपने सुझाव रखूंगा क्योंकि समय की कमी है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा श्री कपिल जी ने और कई माननीय. सदस्यों ने बिना किसी शक के यह कहा है कि दिल्ली की समस्या प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण रही है। उसी फेल्योर का नतीजा है कि कहां कहां दिल्ली की जो वास्तविकता थी, जो उसकी आवश्यकतायें थीं, दिल्ली की जमीन पर जो कंस्ट्रक्शन एजेंसियां काबिज थीं, जो दिल्ली की दुकानें बना रहे थे, उन तक नहीं पहुंच पायी। पिछले 20-25 साल से दिल्ली शहर जब तीव्र गति से आगे बढ़ा, हिन्दुस्तान का सब से अग्रणी राज्य विकास के रूप में आगे आया, दिल्ली व्यावसायिक रुप से अग्रणी शहर बनता चला गया, वहीं सरकार की ओर से जनता की जरूरतें पूरी करने में यह पीछे रहा। आज जो कमी रही है, वह विशेाकर डी.डी.ए. के कार्य-कलापों में कमी रही है। एम.सी.डी. को जिस तरह से सब चीजों को देखना चाहिये था, जैसा उसका अधिकार होना चाहिये वह शायद नहीं कर पायी है।

<u>17.28 hrs</u> (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

सभापति महोदय, मेरे कुछ सरल सुझाव हैं। श्री कपिल जी ने कहा कि क्या जनवरी में दिल्ली में मास्टर प्लान ला सकते हैं जिसके तहत सारी समस्यायें सुलझा ली जायें, शायद नहीं। मुझे यह मालूम है कि जिस तरीके से तैयारिया की जा रही हैं, एक कोशिश है। एक सुझाव प्रो. मलहोत्रा ने दिया है। क्या आज की समस्या की जो यथास्थिति है, उसे स्वीकार करेंगे? मेरा ख्याल है कि इस पर विचार करना आवश्यक है। जो स्थिति बनी है, उसमें हो सकता है कि दुकानदारों की कमी रही हो लेकिन ज्यादातर उन लोगों की कमी रही है जिनके हाथों में दिल्ली बनाने की जिम्मेदारी रही। उस यथास्थिति को कैसे कायम करें, क्या कानूनी रूप से उसे ला सकते हैं, क्या पैनल्टी लगाकर कर सकते हैं, इस बात पर हमें सोचना पड़ेगा। स्थिति थोड़ी-बहुत दुविधापूर्ण है। जहां हमने 5-6 लाख दुकानदारों को राहत दी है, कहीं एक-डेढ लाख दुकानदार ऐसे हैं जो बार-बार यह प्रश्न करते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है कि हम पर यह तलवार लटकाकर रखी हुई है, चाहे इसमें छोटे दुकानदार हों, बड़े दुकानदार हों, चाहे शोरूम हों, इन सब में किसी व्यक्ति विशेा का नाम न लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिग फिशेज़ को पकड़ने के लिये कहा है। मैं मानता हूं कि कि जहां बिग फिशेज़ ने अतिक्रमण किये हैं, क्या बड़े दुकानदार यथास्थिति नहीं चाहते हैं[s65]?

मेरे ख्याल से जब आजीविका का सवाल सामने आता है, तो बड़ी दुकान हो या छोटी दुकान हो, हर व्यक्ति को अपनी दुकान चलाने का पूरा हक है। उसने भी बड़ी दुकान उन्हीं परिस्थितियों में बनाई, जैसे छोटे दुकानदारों ने बनाई। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को जरूर वह सौहार्दपूर्ण और संवेदनशील तरीके से देखें कि क्या इस तरह का कोई प्रारूप हम ला सकते हैं। मेरे ख्याल से हम ला सकते हैं। जैसे कपिल जी ने भी सही कहा कि एक तरफ हम कोर्ट के सामने जाएं, उनके सामने वास्तविकता रखें, प्लानिंग फेल्योर की कमियों को स्वीकार करें, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस देश ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है और कहीं कमी भी रही है। जहां प्रगति के लिए हमारी पीठ थपथपाई जाती है, वहीं अपनी कमी को भी हम आगे बढ़कर स्वीकार करेंगे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

एक और बात है कि जो दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा है, बहुत से माननीय सदस्य जो यहां आए हैं, वे दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन जो दिल्ली की समस्याओं से जूझते हैं, उनसे कभी जरूर पता करिये कि दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में हमें क्या दिक्कतें आती हैं। जब यहां अधिकारियों में सामंजस्य करने की कोशिश की जाती है, तो

बहुत दिक्कत हो जाती है। एक नाले में आधा किलोमीटर हिस्सा एम.सी.डी. का है, फिर बीच में एन.डी.एम.सी. का है और आगे सीपीडब्लूडी का है। समस्या उसी नाले में गिरते हुए गंदे पानी की है, लेकिन एक संस्था यदि समझती है कि यह समस्या है तो वह अपने हिस्से को बना देती है, लेकिन दो संस्थाएं नहीं बनाती हैं, जिससे नाला वहीं का वहीं धरा रह जाता है। अगर नाले के बारे में ऐसी समस्या हो सकती है, तो संपूर्ण चिन्तन में जब दिल्ली की बात आती है तो जिस तरीके से अधिकारी या उन संस्थाओं में जो राजनतिज्ञ होते हैं, यदि कहीं भी वे अलग चलने की मंशा रखते हैं, तो जहां वास्तविक रूप में भी कार्यक्रम में सामंजस्य होना चाहिए या तालमेल होना चाहिए, वह नहीं होता है।

1992-93 में दिल्ली के संबंध में एक नया बिल लाया गया। उस समय जो सरकार थी और अधिकारी थे, उन्होंने अपने मत से इसका स्वरूप रखा। आज 13-14 साल बाद वह स्वरूप पूरे तरीके से दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्षम नहीं है - या तो सारे के सारे अधिकार भारत सरकार को वापस दीजिए, इसमें भी दिक्कत नहीं है। हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली की जनता को ऐसी सरकार मिले जो सच्चे स्वरूप में उसके प्रति जवाबदेह बन सके - चाहे एम.पीज हों, विधान सभा के सदस्य हों या एम.सी.डी. के मैम्बर हों। आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, वह आपस के सामंजस्य की है। कई राज्यों से जो सदस्य आते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे बताएं कि जब भी जिले में जरूरत पड़ती है तो आप जिले के कलैक्टर से फोन पर बात कर सकते हैं। वहां एक व्यक्ति होता है और एक सूत्र में प्रशासन बँधा होता है। वह एक व्यक्ति, यदि कहीं भी विरोधाभासी बातें होती हैं तो उनको संजो लेता है। हमारे यहां कोई एक व्यक्ति नहीं है। हर तरह की चीज़ के लिए अलग सरमायेदारी हैं। किसी के 16-17 पिता हों और एक लड़की चुननी हो तो क्या हालत होगी उस लड़की की और उस शादी की? यही हालत आज दिल्ली की है। जब तक एकसूत्र में प्रशासन को नहीं पिरोयेंगे, इस बढ़ते हुए शहर में ये समस्याएँ दिन पर दिन बढ़ती रहेंगी और नई समस्याओं से जूझने के लिए य़दि आप नई प्रशासन प्रणाली हमें नहीं देंगे तो आज सीलिंग की समस्या है, तो कल कोई न कोई दूसरी समस्या अवश्य खड़ी होगी और इसी तरह की बेबसी में दिल्ली के सांसद रहेंगे, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। ये भी सत्ता में काबिज थे। इनकी भी यही समस्याएं थीं इन संस्थाओं से और हमारी भी यही समस्याएं हैं। कृपया इसको गंभीरतापूर्वक देखें। प्रशासन प्रणाली में जब तक कोई सामंजस्य नहीं होता है तो वह ठीक तरह कार्य नहीं कर सकता है। सीलिंग का मामला इसका उदाहरण है। क्यों ऐसा हुआ कि जब और समस्याएं दिल्ली में आईं - सीएनजी की समस्या हो या औद्योगिक पुनर्वास की समस्या हो, 1992-93 से पहले जब कभी समस्याएँ आईं, तो उसमें इंदिरा जी ने अभूतपूर्व काम करके कई बार दिल्ली को पुनः बसाया और यहां की समस्याएं वे किसी न किसी रूप में सुलझाती चली गईं, क्योंकि जो दिल्ली के लिए जिम्मेदार थे, जिनके ऊपर दिल्ली की जनता ने अपनी आस्था रखी थी, उनके पास वे अधिकार भी थे, वे समस्याएं भी थीं। उनको सुलझाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए वे संस्थाएं विवश थीं और इस तरह से वे समस्याएं सुलझती रहीं।

एक बात मुझे और कहनी है कि मास्टर प्लान, जो मैंने देखा है, उस मास्टर प्लान में मैं मानता हूं कि वह विशेाज्ञों ने बनाया होगा, क्योंकि जहां उसे डीडीए बनाता है, ज्यादातर अधिकारीगण उसे बनाते हैं। उसमें एक व्यक्ति मुझे ज़रूर गायब दिखता है - [MSOffice66]

वह है गरीब। पूरा मास्टर प्लान ऐसे बनाया गया है, जैसे हम किसी चित्र को बनाते हैं, जैसे एक बच्चे को कोई चित्र बनाने के लिए कहा जाए, जब चित्र बन जाए, तब बच्चा देखे कि मैंने इसमें पंछी तो बनाया ही नहीं, तब वह कहीं किसी कोने में पंछी बना दे या नदी बना दी, फिर जब वह देखे कि नदी में नाव तो बनाई ही नहीं है, फिर वह नदी के किसी कोने में नाव बना दे। दिल्ली के मास्टर प्लान में, जो मैंने देखा है, उस आधार पर कह सकता हूं कि उसमें कहीं रेहड़ी-पटरी वालों, झुग्गी-झोंपड़ी वालों या लाल डोरा में रहने वालों की समस्या की बात नहीं आती है। उन्हें चित्र के आखिरी ब्रश की तरह अंकित किया गया है और कहीं किसी कोने में समाहित कर दिया गया है। दिल्ली के मास्टर प्लान में, दिल्ली की परिधि में, कहीं ग्रामीण विकास की कोई बात नहीं है। हिन्दुस्तान का कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं होगा जिसके शुरू में ही ग्रामीण विकास की बात नहीं कही गई हो या ग्रामीण विकास से बात शुरू नहीं की गई हो, लेकिन दिल्ली के मास्टर प्लान में कहीं गरीबों का कोई वर्णन नहीं है। मुझे इल्लीगल शब्द पर ही सख्त आपत्ति है। किसी व्यक्ति को आप इल्लीगल डिक्लेयर कर देते हैं, यह कैसे संभव है। कोई व्यक्ति दिल्ली में अनेक वों से रह रहा है और आप अचानक आज उससे कह देते हैं कि तुम्हारा मकान इल्लीगल बना हुआ है या तुम इल्लीगल तरीके से रह रहे हो।

सभापति महोदया, दिल्ली में जब डेयरियों को हटाने का ड्राइव चल रहा था, तब एक व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा। मुझे खेद है कि मैं उसके सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। उसने कहा कि दिल्ली में मैं घर में गाय तो नहीं रख सकता, लेकिन मैं

अपने घर में पालतू कुत्ता अवश्य रख सकता हूं। उस व्यक्ति की मूल भावना यह थी कि मैं अपने घर में गाय नहीं पाल सकता, लेकिन कुत्ता जरूर पाल सकता हूं। मैं उसका जवाब नहीं दे सका। मैं समझ नहीं पाया हूं कि आप किस तरह की दिल्ली बनाना चाहते हैं। अगर दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने में अधिकारियों में आपस में सामंजस्य नहीं होगा, तो ये समस्याएं बार-बार उठती रहेंगी और हम उनका समाधान कभी नहीं कर पाएंगे। अतः मैं मंत्री जी से इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुझाव हमारे दिल्ली के सांसदों एवं विपक्ष के प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी की तरफ से आए हैं, उनके आधार पर कुछ ठोस काम करें और यदि ऐसा काम किया जाएगा, तो यह सदन हर उस आदमी के साथ खड़ा होगा जो इन समस्याओं के समाधान हेतु काम करेगा।

श्रीमती कृणा तीरथ (करोलबाग): सभापति महोदय, देर आयद दुरुस्त आयद वाली कहावत यहां चरितार्थ हो रही है। किसी महिला को दिल्ली के विाय में बोलने का मौका आपने दिया, लेकिन देर से दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय : ठीक है। आपको लास्ट में टाइम दिया गया है, लेकिन आपकी पार्टी का टाइम भी समाप्त हो रहा है। इसलिए आप टाइम का ध्यान रखिए।

श्रीमती कृणा तीरथ : सभापति महोदय, दिल्ली का मास्टर प्लान कैसा होना चाहिए, दिल्ली का जोनल प्लान कैसा होना चाहिए, इस बारे में समग्र तरीके से कभी विचार नहीं किया गया। दिल्ली का यह दुर्भाग्य रहा है कि दिल्ली उजड़ती रही और बसती रही। आज फिर एक मामला हमारे सामने है। मुझसे पहले बोलने वाले मेरे अनेक साथियों ने बताया कि दिल्ली का मास्टर प्लान कैसा होना चाहिए और जो सीलिंग का मामला अभी उठा है, उससे कैसे निजात पाई जाए। यहां के जो लोग उजड़े हैं, चाहे वे छोटे दुकानदार हों, बड़ी-बड़ी फैक्ट्री वाले हों, स्लम कालोनीज में रहने वाले हों या अनधिकृत कालोनीज में रहने वाले हों, सभी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चले, उन्हें भारी कठिनाईयों से गुजरना पड़ रहा है। आज हमें यह समझना है कि दिल्ली का मास्टर प्लान कैसे बनाया जाए या जो नया मास्टर प्लान आ रहा है, उसमें इन सभी चीजों को कैसे ठीक किया जाए।

महोदय, आज हमें यह देखना है कि जिन बस्तियों में दुकानें बनी हुई हैं, उन्हें हम कैसे रैगुलराइज कर सकते हैं। दुकानों से न तो रेजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों को तकलीफ है और न दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ है, लेकिन दुकानों का जो सामान आता है, उसे लोड और अनलोड करने में जो गाड़ियां खड़ी होती हैं और उनसे जो जाम लगता है, उसके कारण ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसी कारण एक रेजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशन ने कोर्ट में आवेदन देकर निवेदन किया कि इस समस्या का समाधान किया जाए और कोर्ट ने सीधे आदेश दे दिया कि इन दुकानों को सील कर दिया जाए और जो अनऔथोराज्ड कंस्ट्रक्शन है, उसे तोड़ दिया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्री, श्री एस. जयपाल रेड्डी से गुजारिश करूंगी कि जो मामला हमारे सामने है, इसे कैसे सुलझाना चाहिए, इस बारे में विशेा ध्यान दें और कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे दिल्ली उजड़ने से बच सके। नया मास्टर प्लान बनाएं या कुछ और करें, लेकिन दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी का रख-रखाव कैसे करना है, कैसे दिल्ली के लोगों को रोजगार देना है, घर कैसे बनाने हैं, उनके लिए पानी, बिजली और सीवर की समस्याओं का समाधान कैसे करना है, इन सबका फ्यूचर के हिसाब से ध्यान रखते हुए प्लान बनाया जाए। ऐसे प्लान को ही मास्टर प्लान कहते हैं।[r67]

आज जो मास्टर प्लान हम शुरू करेंगे, वह आने वाले समय के लिए होगा। लेकिन आज की ज्वलंत समस्या सीलिंग की है। यह मामला काफी समय से लटका हुआ है। कोर्ट बार-बार महीने और दो महीने की तारीख देता है। उनके ऊपर जो तलवार लटकी हुई है, उसको हटाने के लिए मैं अपने कुछ सुझाव आपके माध्यम से देना चाहती हूं।

मैं कहना चाहती हूं कि छोटी दुकानों का सामान सड़कों पर पड़ा रहता है, जिससे वहां रहने वालों को और दुकानदारों को भी असुविधा होती है। मेरा सुझाव यह है कि एक समय निश्चित करके उनके लिए अंडरग्राउण्ड पार्किंग बनाने की व्यवस्था करें, जिस तरह से हमने समय निश्चित करके मेट्रो को जमीन के ऊपर और नीचे बनाया है। इसके अलावा उसके नजदीक यदि कोई

जगह खाली हो, मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण दे सकती हूं कि करोल बाग, बीडनपुरा, रैगरपुरा, टैंक रोड़, बापा नगर की दुकाने शिफ्ट कर दें। कुछ एकड़ लैण्ड सीपीडब्ल्यूडी की मिलिट्री रोड़ पर खाली पड़ी है, उस पर दुकानें बनाकर के दे दें तो इससे रिहाइशी इलाके के लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे और दुकानदार भी खुश हो जाएंगे कि उनको एक ही स्थान पर व्यापार करने को मिलेगा। तीसरा समाधान यह है कि उनका जो सामान लोड या अनलोड होता है उसका समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का रख दें, जिससे वहां के रहने वाले लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। यदि उनकी मार्किट में पार्किंग नहीं बन सकती है तो आस-पास के इलाके की खाली जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग बना दें। जैसे हमारे यहां अजमल खां रोड़ अथवा शास्त्री पार्क में पार्किंग बनायी जा सकती है। सज्जन कुमार जी ने जैसा बताया कि डीडीए के पास काफी जमीन है और वह उस जमीन को अनाप-शनाप रेट पर बेच रही है, जबकि डीडीए इसलिए नहीं बना था। डीडीए बना था छोटे उद्योगों और गरीब लोगों को कम दाम में फ्लैट और दुकान बनाकर देने के लिए, जिसमें न कोई लाभ हो और न कोई नुकसान हो। लेकिन डीडीए इस कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी है और कार्पोरेशन भी कुछ नहीं कर सका है।

महोदय, दिल्ली में जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली गई। बाहर से आने वाले लोग रोज़ी रोटी की तलाश में देश की राजधानी में आने लगे और जब दिल्ली में कहीं रोज़ी-रोटी के लिए जगह नहीं बची तो उन्होंने छोटी-छोटी दुकान खोल लीं, कहीं छोटे उद्योग लगा लिए। आज कोर्ट का मानना है कि जितनी भी दिल्ली में दुकानें हैं, वे नुकसानदेह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसी फैक्ट्यिों को दिल्ली से बाहर कर दिया गया, जो सेहत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली थीं, ध्वनि प्रदूाण फैलाती थीं। लेकिन आज जो छोटी-छोटी दुकानें हैं, कपड़ा बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, परचून की दुकानें हैं, उनसे किसी को कोई तकलीफ नहीं है।

सभापति महोदय : यदि आपका कोई स्पैसिफिक सुझाव है, तो दीजिए। कारणों में मत जाइए, समाधान की बात कीजिए।

श्रीमती कृणा तीरथ : मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो 50 फीट तक इमारत बनाने की अनुमति दी है, वह बहुत अच्छी है। मैं मानती हूं कि दुकानदारों द्वारा सड़कों को घेरने से यह समस्या खड़ी हुई है। इसको रोकने के लिए काम किया जाए। इसके अलावा डीडीए कम दामों पर दुकानें और मकान बनाकर no profit, no loss basis पर गरीब बस्ती वालों को दे। झुग्गी वालों को मल्टी स्टोरी बनाकर के वहीं पर दिया जाए। खाली जगह पर उनके लिए स्कूल, डिस्पैन्सरी, पार्क इत्यादि की सुविधा दी जाए। साथ ही उनके रोजगार के लिए छोटी दुकानें बनाकर उन्हें दी जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, चूंकि मंत्री जी ने भी अभी जवाब देना है। जितने सदस्य यहां बोले हैं, उनकी बातों में अपनी बातों को जोड़ते हुए कहना चाहती हूं कि मंत्री जी अपने जवाब में यहां दिए गए सुझावों को ध्यान में रखेंगे और दिल्ली की जनता के लिए एक अच्छा मास्टर प्लान बनेगा।

SHRI S. JAIPAL REDDY: At the outset, I thank all the hon. Members for having taken such keen interest in the problems of Delhi city. As many as 13 hon. Members have spoken. All the Members of Parliament from Delhi city have spoken, except my colleague in the Ministry, Shri Ajay Maken. He perhaps felt that he did not have the freedom but he is speaking through me. Prof. V.K. Malhotra in his characteristic fashion generated a lot of heat but I must thank him for also having shed a lot of light. I must thank Shri Kapil Sibal, who is not only my eminent Cabinet colleague but also a legal eagle for having intervened to shed light on certain aspects –technology, planning process.

Delhi, we are all interested because it has the unique status of being our national capital. The problems in Delhi have grown over decades. They are in a way historical in nature. One historical problem, in my view, is that land was controlled beyond a point by the Government since the British times.

The second problem was institutional. We allowed everything to be handled by DDA. I am not joining all those who keep lasting DDA but DDA was entrusted with too much responsibility to handle it properly. Be that as it may, Master Plans over a period were only a marginal improvement on the original Master Plan of 1962. As Shri Kapil Sibal has rightly pointed out, they did not try to accommodate the ground reality, as they should have. In the mean time, Delhi, as the only metropolis in north India, has continued to attract huge rural migration. We need to note that as many as five lakhs of rural people migrate to Delhi every year. I am not saying that this should be stopped nor is it perhaps desirable. But it adds to our problem.

Secondly, Indian economy is growing fast. This also has imposed its own strain on the infrastructure in Delhi. Thirdly, as has been emphasized by many, the gap between the availability of commercial space and the demand has kept growing. Because of all these things, problems have grown in size, in complexity. This has happened over a period of two-three decades. As hon. Members are aware, the Supreme Court chose to give an order on 16.02.2006 that all the illegal shops on roads of 80 feet and above width be sealed. Later on they said, they should all give undertakings, through the affidavits, saying that they would on their own cease misusing.

Later, the period of undertaking, because of our initiative, was extended to 31st October. The Supreme Court also appointed a monitoring committee. It did not leave the matters to the instrumentalities of the Government to implement the order of the Supreme Court. As part of this process, 5000 shops were sealed and 40,800 traders filed affidavits. As this was all on, you are aware that this Parliament enacted Delhi Laws (Special Provisions) Act. It was intended to serve three purposes.

Firstly, to freeze the situation as existed on 31st December, 2005 and to take all possible measures to finalise or revise norms and guidelines in respect of unauthorized developments and thirdly, to suspend any punitive action.

As Prof. Malhotra and others have pointed out, questions were raised about the legal validity of this Act. I am glad to tell you that this law, which was passed, has not been stayed or suspended. No doubt, the Supreme Court gave some directions qualifying its operations. But, this law is still in operation. I am requesting hon. Members not to confuse observations with the judgements or decisions.

Secondly, after passing this extraordinary law, we did not rest on our oars. We immediately issued a public notice proposing changes in the Master Plan Delhi 2001 and these changes were not fanciful. They were based on the Report of Tajender Khanna Committee. There were not only experts on the Committee but representatives of two principal Parties also served. The recommendations of Tajender Khanna Committee were unanimous. I want Prof. Malhotra to note that a senior Leader of BJP was a Member and he was officially, formally a privy to all the recommendations of the Committee.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Tajender Khanna recommended for the amnesty scheme. I can read it for you.

SHRI S. JAIPAL REDDY: No, please.

In pursuance of 21st July notice, after going through all the statutory processes, we issued a Notification on 7th September. Another Notification was issued on 15 September. Still another Notification was issued on 22nd September. On account of these notifications, I assert here with all the authority at my command, 90 per cent of the affected people have been provided with relief.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It is totally wrong. Only five per cent have been provided with relief.

SHRI S. JAIPAL REDDY: No.

I agree that Delhi has gone through huge convulsions. Vast sections of people of Delhi have been subjected to huge sense of anxiety and uncertainty.[R68]

That is not because we did not go about the right way. That was because we took time to convince the Supreme Court about the scale of the problem and the intricacies of the problem. For the first time, in the history of India the Government of India went so many times to the Supreme Court to see that its orders are modified by the Supreme Court itself.

Now Prof. Vijay Kumar Malhotra talks of amnesty. As he rightly mentioned, he did talk of amnesty earlier too. But is there any guarantee that amnesty would have gone unchallenged in the Supreme Court?

Secondly, there was another side to it. Through 7th notification, we provided huge relief not merely to people who already converted their residences into commercial premises but also through creation of vast additional commercial space. I am giving you approximate figures. Through 7th notification, we created new space in terms of 430 kilometres of commercial streets, 400 kilometres of mix-land use, 100 kilometres of pedestrian shopping and 500 kilometres of Master Plan. In all we created an additional commercial space of 930 kilometres. The only way to bring down the prices of commercial premises is to make more space available and strengthen the supply factor.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Have you calculated the conversion charges? No poor man will ever be able to pay the conversion charges. It is in crores if anybody has to run the shop there. Kindly look into that also.

SHRI S. JAIPAL REDDY: If Mr. Malhotra agrees that I have created this space additionally, I am prepared to look at the charges once again because in all these matters there is nothing like - last word said. There are no scriptures here. It is just a matter of judgment and the judgment can always be reviewed. I want to seize this opportunity to assure the hon. Members that I am prepared to take a second look at the charges.

Some partisan points were made by Prof. Vijay Kumar Malhotra. I said during the course of earlier debates how Mr. Jag Mohanji had rejected his own Committee's recommendation, with undeserved contempt. Its Committee's recommendations needed better treatment at the hands of Mr.

Jag Mohan. But I want to place on record that in a letter released on 28th August, 2000, Shri Jag Mohanji had ordered that to take strong and prompt action against all illegal constructions/unauthorized constructions, encroachments and also against misuses of land in violation of the provisions of the Master Plan… (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सैंट्रल गवर्नमैंट ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली गवर्नमैंट ने हमारी रिपोर्ट रिजैक्ट की।

SHRI S. JAIPAL REDDY: This is a letter issued from Nirman Bhawan which is under my occupation now but this was under the occupation of Mr. Jag Mohan in 2000. Even now he writes articles which are in violation of your positions. That is a different matter but I am talking of the order he passed as Minister.[R69]

18.00 hrs[R70]

Please face up to reality. In the year 2000, it was naturally the BJP-led coalition that was in power.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप क्या करने वाले हैं, वह बताइये। …(व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: I think Prof. Vijay Kumar Malhotra would be enlightened to note what Shri Jagmohan had directed – "all illegal constructions should be demolished, not cosmetically but in *toto*."

सभापति महोदय : छः बज गये हैं। अगर हाउस सहमत हो, तो जब तक मंत्री जी का रिप्लाई पूरा नहीं होता तब तक के लिए हाउस बढ़ा दिया जाता है।

कुछ माननीय सदस्य: ठीक है।

SHRI S. JAIPAL REDDY: What is more, "the cost of demolition should be recovered from the illegal builders within 15 days of demolition". I am reading from the order passed by the Government of India.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Hon. Minister, you may kindly lay it on the Table of the House… (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am prepared to lay it on the Table of the House. When I quote from a circular I am obliged to place that on the Table of the House if there is a demand for it.

श्री संतोा गंगवार (बरेली) : आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे ही सारे आदेशों के बारे में बता रहे हैं। …(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमारे समय में एक भी मकान नहीं गिरा। प्राइम मिनिस्टर ने उस समय सब रोक दिया। …(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप माननीय मंत्री जी का जवाब सुनिये।

…(व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: Please hear me. It has further been said: "In case DDA flats where constructions have come up beyond the condonable limits, cancellation of allotment should be carried out in addition to demolition of the additional constructions". I am further continuing: "In cases where the illegal constructions have taken place on rural lands" Shri Sajjan Kumar may kindly take note: "Action under the provisions of Delhi Land Reforms Act, 1954 should also be taken. Such land should be taken over as per provisions of the Delhi Land Reforms Act and action should be taken as soon as plots are cut by colonizers and construction done in the shape of boundary walls………"

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या कोई एक्शन हुआ था? Not a single house was demolished. हमारे टाइम में एक भी मकान नहीं गिरा। आपके टाइम तो सारे बुलडोजर चल गये। …(व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: Because of such orders, the court also felt impelled perhaps to intervene. I am nobody to defend the courts here. I am not holding any brief for the courts. I am merely holding the mirror up to you. That is all.

Sir, all the Members have expressed deep sympathy with various sections of people. I share the sympathy abundantly. I must say that I have spent myself sleepless nights, restless days attending to various things and I can today say, after the relief the Supreme Court gave on 23rd of this month, that 90 per cent of the traders have been provided with relief. I repeat this formulation.

Sir, we have something more to do. I would refer to that… (*Interruptions*) The Supreme Court has permitted the MCD to come up with an additional list of roads for clearance and MCD, at the moment, is engaged in the preparation of this list. You may be aware, as many as more than 2000 roads were notified by Delhi Government on 15th September. In addition, we will soon be notifying hundreds of roads. For notification we need to have some survey and the surveys are underway. [R71]

A referenc[MSOffice72]e has been made by some other Members to the need for regularization of 1400 and odd colonies. The processing of regularization of these colonies is at an advanced stage. I am trying to accelerate its pace and I am sure, in a few weeks time, the Union Cabinet will regularize the unauthorized colonies which are as many as 1400 colonies. Shri Sajjan Kumar and Shri Tytler have referred to the generosity which late Shrimati Indira Gandhi displayed towards the poor people. We may not be as generous but I may tell you that I will not be found to be parsimonious.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, ये कॉलोनीज वर्ा 1976 के बाद वर्ा 1977 और 1978 में रेगुलराइज की गयी थीं। उस समय इन्दिरा जी की सरकार नहीं थी।

श्री सज्जन कुमार : मल्होत्रा जी, आप सदन के फ्लोर पर खड़े होकर सही बात नहीं कह रहे हैं। सच्चाई यह है जब ये कॉलोनीज रेगुलराइज की गयी थीं, उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं।…(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज आप लोग क्रॉस-टॉक मत कीजिए। सज्जन कुमार जी, आप बैठ जाइए।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Shri Kapil Sibal has referred to the technology that his Ministry has developed which is particularly applicable to Delhi. I want to tell the hon. House that I will use this

technology for the preparation of zonal plans. As has been mentioned by Shri Kapil Sibal, we lag behind a lot in terms of preparation of the zonal plans. This technology will be greatly useful in finalizing the zonal plans. I want to say that we are keen on accelerating the process of finalization of Master Plan, Delhi 2021. It will not be as perfect or as roseate as Shri Kapil Sibal would like it to be but it is better to be imperfect than to wait for a perfect plan. It shall be our sincere and maximum endeavour to finalise the Master Plan Delhi 2021 by the end of January. From that time, in one year, by deploying the technology that has been developed by the Department under Shri Kapil Sibal, we will be intending to finalise our zonal plans.

As regards schools, in our seventh September notification, we gave protection to all the schools and all the institutes right up to May, 2007. If the seventh notification was questionable, we would not have been able to provide protection. Today, all the schools are enjoying protection. In fact, they can go on beyond that. Let me read the relevant provision of 7th September notification.

> "Schools operating in residential premises in residential use zones
>
> shall continue till 18th May, 2007." … (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : What is that?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Please wait for the next sentence. The problem with Prof. Malhotra is that he is depending too much on his past knowledge and not keeping abreast of the developments on the urban development front.

> "The local body concerned may allow schools to continue thereafter subject to necessary changes being made in the use/premises/ lay out plans by the local body within its competence in terms of sub-clause 8(2)(a) of the Master Plan for Delhi 2021… "

Protection has been given beyond this and what is more is that we are going to give protection to all the schools. I want to tell one point to Mr. Tytler who is genuinely concerned about the schools.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आपने यह जो सेकेण्ड पार्ट पढ़ा है, उसमें एक भी स्कूल नहीं आता है। आपने यह जो कहा है कि इस-इस कंडीशन में यह आगे भी चल सकता है, उसमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करेंगे।

श्री अजय माकन (नई दिल्ली): उसमें कंडीशन सिर्फ यही है कि उसे एमसीडी एलाऊ कर सकती है। इसके अतिरिक्त उसमें कोई कंडीशन नहीं है। [MSOffice73]

SHRI S. JAIPAL REDDY : At any rate, I want to tell the hon. Members that the Master Plan, Delhi will take care of all these things. … (*Interruptions*)

I am aware of the fact that roads in rural areas could not be given relief in terms of 7th September Notification. This point was made rightly by Shri Sajjan Kumar. I want to assure him and all other hon. Members that this problem will be taken care of as part of the Master Plan 2021.

We hope to finalise it, as I said earlier, by just the end of January because the Master Plan is there. Objections and suggestions have been received, they have been studied and they are at a very advanced stage of consideration.

As far as slums, hawkers and vendors are concerned, I want to tell you that the law that we passed in May is still valid. As a consequence, none of the slum dwellers has been disturbed, except when their lands were acquired for public projects. The protection given by the law passed by Parliament in May is still valid. As I said before, we want to go in for *in situ* development. We want to provide houses to the slum dwellers in their own lands because some of the slums have been there for decades. They cannot afford to get themselves disturbed. We cannot uproot them socially. In addition to that, we are planning to build one lakh houses for the poor people in the next two years. … (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : 14 लाख झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, और आप एक लाख मकान बनाएंगे तो बाकी 13 लाख कहां जाएंगे?

श्री अजय माकन : आपने कितने बनाए थे?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमने दो लाख प्लाट दिए थे। आपकी दो साल में टर्म खत्म हो जाएगी...(व्यवधान) उसके बाद हम बनाएंगे।

श्री अजय माकन: आप तो तोड़ने में लगे रहे।

SHRI S. JAIPAL REDDY: I do not find myself competent to speak on the constitutional status of Monitoring Committees. It is for parties to discuss. I should not rush in where angels fear to tread. At least I am not among those angels. But even angels fear to tread.

As far as the pre-1962 cases are concerned, we gave full protection in terms of 7th September Notification. Let me read the relevant portion for the information of Members. It says:

> "Residential areas and streets and stretches earlier declared as commercial areas/streets or where commercial use was allowed in MPD 1962 shall continue such use at least to the extent as permissible in MPD 1962. Commercial activity existing prior to 1962 in residential areas, subject to documentary proof thereof."

… (*Interruptions*)

So, some proof is required.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उसके आगे दस चीजें और मांगी हैं कि इस बीच किसी को बेच न दिया हो, काम चेंज न किया हो।...(व्यवधान) Please look into it. By that not even one shop would be regularized.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I do not like to tell you how this provision should be interpreted. They should be interpreted rather properly. … (*Interruptions*) Please do not import your own imagination into the provisions. [MSOffice74]

Our friends have referred to the antiquated nature of the MCD Act. I want to take this opportunity to assure the Members that we will take a look, as Government, both the MCD Act and DDA Act. These legislations are in need of a close and hard look. Though the MCD comes under the Ministry of Home Affairs, I am speaking on behalf of the Government that the MCD Act also will be looked at in fresh terms. … (*Interruptions*)

We have had the hawkers' policy in place. I know it needs to be properly implemented. But I want the hon. Members to know what my Ministry has gone through in the last nine months. I am not saying the instrumentalities we have are the best in the world, but their endurance limits were put to test.

Now, after the 23rd judgment of the Supreme Court, we are heaving a huge sigh of relief. A vast section of the people is heaving a huge sigh of relief. Prof. V.K. Malhotra has no reason to feel a huge sigh of relief because he has the vested interest in the troubles of Delhi. … (*Interruptions*) I am talking of political vested interest. So, therefore, we are no doubt worried about what Delhi went through. But I would like to tell you while the traders and other sections went through troubles, we have been able to attend to their troubles. Between 29th March and 19th May 14,033 shops were sealed. Of these, 9,017 shops have already been de-sealed because of the directions of the Monitoring Committee and the remaining 5,006 shops were de-sealed in terms of 7th September Notification. Between 1st September and 20th September, 2,019 shops were sealed and about 2,000 shops have already been de-sealed. Therefore, while the mental agony, which the people of Delhi went through, should not be under-estimated, the actual problem should not be magnified. I want you to look at these things in empirical terms.

Shri Jagdish Tytler has referred to the charges. I have already referred to that point. I want to say that, as of now, the people of Delhi are breathing free and easy. I can only tell you that the sense of comfort of the people of Delhi will be enhanced and augmented in the days, weeks and months to come.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इन्होंने कहा है कि 90 प्रतिशत मामला हल हो गया है। हम लोग समझते हैं कि इससे न तो यह एक्ट ला रहे हैं न एमनेस्टी ला रहे हैं। इनके असंतोा जवाब के कारण हम प्रोटैस्ट कर रहे हैं।

18.20 hrs

(At this stage Prof. Vijay Kumar Malhotra and some other

hon. Members left the House)

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, there is one important matter. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You should give your notices tomorrow.

… (*Interruptions*)[a75]

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): I have also got my notice.

SHRI P.C. THOMAS : Sir, it is a very important matter. Could you allow me just for a minute?… (*Interruptions*)

सभापति महोदयः ऐसे में सभी माननीय सदस्यों के जीरो आवर के नोटिस लेने पड़ेंगे। आप कल के लिए नोटिस दे दीजिए।

…(व्यवधान)

सभापति महोदयः मैं इसके बारे में हाउस की सैंस लेना चाहता हूं।

…(व्यवधान)

SHRI P.C. THOMAS : I want to raise one important matter about Mullaperiyar.… (*Interruptions*)

अनेक माननीय सदस्यः जीरो आवर कल लिया जाए। …(व्यवधान)

सभापति महोदयः सदन के अधिकांश सदस्य कल जीरो आवर लेने के लिए कह रहे हैं।

…(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir you can keep it for tomorrow.

SHRI P.C. THOMAS : I will take only one minute to raise an important matter. … (*Interruptions*)

सभापति महोदयः आप सब को स्मरण होगा कि मैंने यह आदेश दिया था कि मंत्री महोदय के जवाब तक के लिए हाउस का समय बढ़ाया जाए। यदि आप सब सहमत हों तो महत्वपूर्ण वियों को कल रखा जाए।

…(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्यः कल के लिए रखा जाए। …(व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ।…(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप विाय पर नहीं बोलिए।

मैं अब जीरो आवर स्टार्ट करना चाहता हूं लेकिन सभी माननीय सदस्य समय सीमा का ध्यान रखें। सभी को एक-एक मिनट का समय मिलेगा।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, we take up 'Zero Hour' matters. Shri Hannan Mollah, you can speak. I am allowing Shri Hannan Mollah to speak.